DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

कार्रवाई को देखते हुए इलाके के लोग रोने लगे

3 दिल्ली में बसी कॉलोनियों को पिछले साल अवैध करार दिए जाने के बाद बिल्डिंगों को ढहाने की कार्रवाई शुक्रवार को शुरू

11 बजे से अवैध निर्माण के खिलाफ चली जेसीबी ने ग्राउंड फ्लोर तक बने करीब आधा दर्जन मकानों ढहा दिया

7 एकड़ जमीन में दर्जनों अपार्टमेंट्स और 20 से 30 साल पुराने मकान बने हुए हैं

महिलाओं और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की भी हुई, तीन लोगों की तबीयत खराब हो गई

'जीते जी हम अपना घर खाली नहीं करेंगे'

महरौली में चला अवैध कंस्ट्रक्शन पर DDA का बुलडोज़र, लोगों ने किया विरोध

■ राम त्रिपाठी, महरौली

महरौली के करीब 3 किमी क्षेत्र में बसी कॉलोनियों को पिछले साल अवैध करार दिए जाने के बाद डीडीए ने इन कॉलोनियों की बिल्डिंगों को ढहाने की कार्रवाई शुक्रवार को शुरू कर दी है। लोगों के भारी विरोध के बाद सुबह करीब 11 बजे से अवैध निर्माण के खिलाफ चली जेसीबी मशीन ने ग्राउंड फ्लोर तक बने करीब आधा दर्जन मकानों को ढहा दिया। इसके बाद दोपहर 1:40 बजे उसके बगल में बनी 4 मंजिला बिल्डिंग में डीडीए की तरफ से आए प्राइवेट मजदूरों ने दीवारें तोड़ीं। उसमें 10 से अधिक फ्लैट बनाए जा रहे हैं। वह बिल्डिंग निर्माण के बाद से खाली पड़ी हुई थी। बाकी बिल्डिंगों को पुलिस लोगों से खाली नहीं करा पाई थी।

प्रभावित लोगों को कोर्ट से स्टे मिलने की बात दोपहर करीब 3 बजे फैली, जिससे करीब 15 मिनट के लिए डीडीए का एक्शन रुक गया था। जेसीबी मशीन और मजदूर वापस जाने लगे थे। लोग भी आराम करने लगे। उसी समय महरौली थाने के एसएचओ ने मौके पर पहुंचकर सभी को कार्रवाई दोबारा शुरू करने के निर्देश दिए। इस पर स्टे की सूचना से कुछ शांत हुए लोग एकदम से भड़क गए। उनकी पुलिस के साथ हाथापाई तक हो गई। मौके पर भारी संख्या में महिला पुलिसकर्मी भी तैनात थीं। प्रभावित महिलाओं और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की भी हुई। इसी तरह की धक्का-मुक्की सुबह कार्रवाई शुरू होने से पहले भी हुई थी जिसमें 2 महिलाओं समेत तीन लोगों की तबीयत थोड़ी खराब हो गई।

> शुक्रवार को हुई कार्रवाई के लिए अर्धसैनिक बल के जवान अंधेरिया मोड़ से लेकर भूल-भुलैया तक तैनात किए गए थे

शुक्रवार को हुई कार्रवाई के लिए अर्धसैनिक बल के जवान अंधेरिया मोड़ से लेकर भूल-भुलैया तक तैनात किए गए थे। करीब 7 एकड़ जमीन में दर्जनों अपार्टमेंट्स और 20 से 30 साल पुराने मकान बने हुए हैं। इस क्षेत्र का डिमार्केशन होने के बाद डीडीए को पता लगा है कि यह भूमि रिजर्व फॉरेस्ट लैंड है, जो डीडीए के अधीन है। जहाज महल स्मारक के सामने डीम्ड फॉरेस्ट एरिया में बनी बिल्डिंगों के खिलाफ एक्शन शुरू हुआ है, जिसके शनिवार को भी जारी रहने की संभावना है।

'सरकार पहले बताती'

भगवान, अब घर नहीं रहेगा तो जी कर क्या करेंगे, कैसे जिएंगे।' 'पाई-पाई जोड़कर फ्लैट खरीदा है।' 'हम गलत थे तो सरकार पहले बताती...हमारे साथ धोखा हुआ है।' ये उदासी, हताशा और निराशा के सुर कार्रवाई के दौरान हर आदमी के मुंह से निकल रहे थे। शनिवार को डीडीए को अपनी कार्रवाई के दूसरे दिन लोगों के तीखे विरोध का सामना करना पड़ सकता है। डीडीए अब जिन बिल्डिंगों के खिलाफ शनिवार को एक्शन लेने जा रहा है। उनमें कई सालों से लोग रह रहे हैं। नौकरीपेशा लोगों ने साफ संकेत दे दिए हैं कि जीते जी वे अपना घर खाली नहीं करेंगे। जमीन के डिमार्केशन गलत हुआ है।

> हमारे फ्लैटों की रजिस्ट्री हुई है। कई साल से हाउस टैक्स दे रहे हैं। बिजली-पानी का बिल भी भर रहे हैं। अगर हम गलत थे, तो सरकार को पहले बताना चाहिए था। सरकार हमसे लाखों रुपए वसूलती रही। अब हमें हो दोषी बता रही है। भ्रष्टाचार सरकार के विभागों में हैं। उसे सुधारें। - *शोभना*

> दिल्ली सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने गलत डिमार्केशन किया है। एसडीएम के सामने यह गलती आई है। सरकारी विभाग अपनी गलती सुधार नहीं रहे हैं। डिमार्केशन का तरीका भी गलत था। हमें दोषी ठहराया जा रहा है। घर खाली नहीं करेंगे। यहां से हमारी लाश ही जाएगी। - *ज्योति डंगवाल*

> हमने ईमानदारी से घर लिया। अब हमारे साथ सरकार धोखा कर रही है। डीडीए मेरा घर उजाड़ने जा रहा है, तो मैं जी कर क्या करूंगी। दोबारा मकान कहां से बनेगा। अब कैसी जिंदगी। डीडीए को मेरा घर गिरना है गिरा दें। मगर मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगी। - *राधा भक्त*

Photos: Sunil Katana

दोपहर 1:40 बजे उसके बगल में बनी 4 मंजिला बिल्डिंग में डीडीए की तरफ से आए प्राइवेट मजदूरों ने दीवारें तोड़ीं

HC ने रोका बुलडोज़र को कार्रवाई करने से

तत्काल सुनवाई के अनुरोध पर चारों याचिकाएं जस्टिस मनमीत प्रीतम अरोड़ा के सामने सुनवाई के लिए आईं। गौसिया स्लम कॉलोनी और खसरा नंबर-1151/3 में फिलहाल के लिए यथास्थिति बनाए रखने का डीडीए को निर्देश।

■ विस, नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने महरौली इलाके में स्थित एक झुग्गी बस्ती और कुछ यार्डों में तोड़फोड़ की कार्रवाई पर शुक्रवार को रोक लगा दी और डीडीए को निर्देश दिया कि वह फिलहाल इलाके में यथास्थिति बनाए रखे। ड्राइव के खिलाफ दायर चार याचिकाओं पर हाई कोर्ट ने यह आदेश पारित किया।

तत्काल सुनवाई के अनुरोध पर चारों याचिकाएं जस्टिस मनमीत प्रीतम अरोड़ा के सामने सुनवाई के लिए आईं। गौसिया कॉलोनी सेवा समिति की याचिका पर डीडीए को नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने अथॉरिटी को 13 फरवरी तक अपना लिखित में जवाब देने के लिए कहा। इस बस्ती में 400 झुग्गियां बताई गई हैं। झुग्गीवासियों को राहत देते हुए कोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलीलों पर गौर किया। कोर्ट ने पाया कि गौसिया स्लम कॉलोनी डूसिब की ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रकाशित सूची के अंतर्गत अधिसूचित बस्ती है। इसमें 400 झुग्गियां ऑन रिकॉर्ड हैं। झुग्गी बस्तियों के संबंध में साल 2015 में बनी नीति के साथ इस तथ्य को भी कोर्ट ने तवज्जो दी कि अथॉरिटी का रुख अभी स्पष्ट नहीं है।

समिति की ओर से एडवोकेट अनुपमा सिंह व अन्य वकील पेश हुए थे। उन्होंने दलील दी कि यह झुग्गी बस्ती डूसिब की अधिसूचित झुग्गियों में से एक है, इसलिए इसे गिराया नहीं जा सकता है। दिल्ली अर्बन स्लम एंड रीहैबिलिटेशन एंड रीलोकेशन पॉलिसी, 2015 को आधार बनाते हुए तर्क दिया कि चूंकि डीडीए एक लैंड ओनिंग एजेंसी है, इसलिए उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वह इन झुग्गीवालों को यहां से हटाने से पहले उन्हें किसी दूसरी जगह पर बसाए। यह भी दावा किया कि ड्राइव शुरू करने से पहले उन्हें जगह खाली करने के लिए कोई नोटिस नहीं दिया गया, इसलिए भी कार्रवाई अवैध है।

> दावा, ड्राइव शुरू करने से पहले उन्हें जगह खाली करने के लिए कोई नोटिस नहीं दिया गया

अपार्टमेंट वालों को भी राहत : इसी तरह के तीन और आदेश पारित किए जो महरौली गांव के खसरा नंबर 1151/3 में मौजूद अपार्टमेंट और फ्लैट से जुड़ी याचिकाओं से जुड़े हैं। 17 लोगों की ओर से दायर एक याचिका फ्लैट नंबर C-8, C-10, C-11, C-14, C-15, C16, C-20 and C-24 में बने अपार्टमेंट में रहने वालों की है। ये सभी फ्लैट महरौली गांव के वॉर्ड नंबर-8 में आते हैं। उनकी दलील यह है कि ये सारे फ्लैट खसरा नंबर 1151/3 के अंतर्गत आते हैं और इस खसरे का जिक्र 12 दिसंबर 2022 को जारी डिमॉलिशन ऑर्डर में नहीं है। इसलिए प्रस्तावित कार्रवाई उस आदेश के विरुद्ध है। इनकी याचिका पर नोटिस स्वीकार करते हुए डीडीए के वकील ने कोर्ट से कहा कि वह डिमार्केशन प्लॉटिंग और संबंधित प्रॉपर्टी की लोकेशन से जुड़े रिकॉर्ड कोर्ट के सामने रखेंगे। लिहाजा, कोर्ट ने इस प्रॉपर्टी के संबंध में भी 16 फरवरी तक यथा स्थिति का निर्देश दिया। उसी दिन मामले में अगली सुनवाई होगी। इसी तरह का एक आदेश अमरदीप सिंह बहल व अन्य और रघु राय की याचिका के संबंध में भी पारित किया गया।

हार का बदला ले रही बीजेपी : आप

■ विस, नई दिल्ली : महरौली इलाके में डीडीए की डिमोलिशन की कार्रवाई को लेकर आम आदमी पार्टी ने कड़ा विरोध जताया है। पार्टी ने इसके लिए सीधे तौर पर बीजेपी को जिम्मेदार ठहराते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी एमसीडी चुनाव में हुई हार का बदला गरीब जनता से ले रही है। विधायक दुर्गेश पाठक ने कहा कि बीजेपी ने एमसीडी चुनाव में जहां झुग्गी, वहीं मकान देने का वादा किया था। मगर अब अब झुग्गियों को तोड़कर वह जनता से चुनाव हारने का बदला ले रही है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

Hindustan Times
NEW DELHI
SATURDAY
FEBRUARY 11, 2023

DDA demolition drive in Mehrauli sparks protest, detentions, politics

HT Correspondent
htreporters@hindustantimes.com

NEW DELHI: The Delhi Development Authority (DDA) on Friday demolished several three- and four-storey structures that had come up illegally on the agency's land in the Aam Bagh, Brijwasi colony area of Mehrauli, evoking sharp reactions from the local residents who said they were not given any prior notices.

A joint team of DDA officials, and police personnel reached the Ghousiya slum colony area in the morning with a bulldozer, and first started demolishing shanties near a local mosque. Then, the team reached Brijwasi Colony, C-block, where they demolished at least one building fully, and partially removed a couple of others, officials aware of the action said on Friday.

Officials said the drive may continue on Saturday.

A DDA spokesperson, however, did not share the exact number of buildings and shanties that were targeted on Friday.

The area is located close to the Mehrauli Archaeological Park. While some of the land here belongs to DDA, some other stretches on which buildings and shanties have come up over the last decade are owned by the Archaeological Survey of India and the Waqf Board.

DDA had issued an order for demolition of these structures last year. In December 2022, DDA pasted a demolition order dated December 12 on various houses in the area stating that government/DDA land of village Ladha Sarai falling in various khasras in the area was encroached upon by unauthorised occupants.

"The said land is part of Mehrauli Archaeological Park and the existing unauthorised encroachment is a hindrance to the development of the Mehrauli Archaeological Park. Therefore, all unauthorised encroachers are liable to be evicted from the government/DDA land," said the demolition order issued by the horticulture division of DDA.

Nirmal Gorana, convener, Mazdoor Awaz Sanghrash Samiti, said that the Waqf Board, ASI and DDA were locked in various court cases with residents of the area. Gorana said that Friday's drive entailed the demolition of multi-storeyed buildings.

"The court has given a stay on the demolition of structures on khasra no. 115. Despite the stay, if DDA carried out demolition on Saturday, we will gherao DDA office," he added.

The Delhi high court, meanwhile, ordered a status quo on demolition action as some residents of slum cluster, Ghousiya Colony, rushed to the court. The high court listed the matter for further hearing on February 14, noting that the counsel for the authorities, including Delhi Urban Shelter Improvement Board (DUSIB) and DDA, did not have complete instructions on Friday.

Sabra Begum, a resident of Ghousiya Colony, who has lived in the area for the past 20 years, is among the hundreds of people in the locality who received the demolition order in December. While her house was not touched on Friday, she said that DDA might come again for demolitions. "DDA says that the land belongs to them, however, we have been living here for decades now. Our ration card and all other documents are also issued on the address where we now live. If at all the status of the land was contested, why did no one do anything in all these years when people were constructing high-rise buildings in the area," said Sabra.

DDA carried out demolition of illegal structures in ward number 8 of Mehrauli. Some shanties in Ghousiya slum colony and buildings in Brijwasi Colony were targeted on Friday. VIPIN KUMAR/HT PHOTOS

AAP MLAs detained

Residents in C-Block, Brijwasi Colony, protested against the drive. Aam Aadmi Party's Malviya Nagar and Mehrauli legislators Somnath Bharti and Naresh Yadav also supported the residents and described the DDA action as illegal. They were among the five people who were later detained by the police.

"We received a demolition notice in December first. After that, a representation was sent to the DDA by residents in which we informed the body that as per a 2017 land demarcation, our property didn't fall into the DDA area. However, another recent demolition notice was issued on February 3, and it was only served to us on Thursday evening. On Friday morning, they started demolition. While one building was demolished completely, others were partially demolished. The entry gate of one building was damaged," said Sumana Singha, a resident whose house is located on the street in which demolition was carried out on Friday.

Singha said that her family was trying to secure a court notice but there was a fear that the agency might continue with demolition on Saturday.

Senior ASI officials said that they were not involved in the demolition drive carried out on Friday.

The Aam Aadmi Party blamed the Bharatiya Janata Party (BJP) for the demolition. AAP MLA and MCD in-charge Durgesh Pathak claimed that since the BJP has lost the MCD elections, the party is targeting the poor.

"BJP is making poor Delhi residents pay for its defeat in the MCD elections by bulldozing thousands of slums in Delhi. People in Mehrauli were seen crying and begging in front of police and BJP to stop the demolition. If they had won the elections, nothing would've happened," Pathak said.

A BJP spokesperson did not comment on Pathak's allegations.

A senior police officer said, "We detained around five people and removed them from the demolition spot since they were creating a ruckus and obstructing government officials. All of them were later released. No case has been registered. Nearly 600 police personnel were deployed in the law and order duty. The drive will continue tomorrow (Saturday) amid tight security arrangements."

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

THE INDIAN EXPRESS, MONDAY, FEBRUARY 13, 2023 ----------DATED----------

AMID DDA DEMOLITION DRIVE

Squeezed between EMIs & bulldozers, Mehrauli residents have nowhere to go

VIDHEESHA KUNTAMALLA
NEW DELHI, FEBRUARY 12

FROM A single mother to sole breadwinners of middle-class migrant families, several residents of Mehrauli are in despair. Their houses under the shadow of a demolition drive by the Delhi Development Authority, many fear the EMIs of home loans they have taken would haunt them for the next decade or more.

As the drive continued for the third day on Sunday, a group of residents, including women, were detained for protesting against police and DDA officials.

While locals alleged they were thrashed, police denied this. "They (residents) were obstructing DDA personnel and police. Some women threw chilli powder at the police. A few were detained. Suitable legal action will be taken," said a senior police officer. They were released later.

On Sunday, Manjula Kumari (40), who bought a 2BHK flat in Pearl Residency, a multi-storey building in Andheria Mor, stood outside the complex with other residents. Next to them was rubble from a five-storey building that was partially demolished two days ago. For the moment, their building, along with a few others, has managed to procure a stay order from the High Court till February 16. The court's status quo is for 8 plot numbers in ward 8.

A single mother of three, Kumari moved to Delhi in 2019 for her children's education. She works as a government employee with the CRPF and is currently posted in Chandigarh. Her parents and her children live in the house she bought while she visits regularly. "On Friday, my daughter came home from school and called me crying about the bulldozers demolishing the building nearby. I took leave and got here as soon as I could... I have put in all I have into this house. There has been no electricity for two days and we have not eaten anything," said Kumari, who hails from Bihar.

(Clockwise from top) Sunday marked day 3 of the drive; Pooja Das and Rajeev Ranjan said their homes are legal. *Gajendra Yadav*

She said she took a loan of Rs 28 lakh from a government bank for the flat, which cost Rs 30 lakh. The EMI will now go on for the next 17 years and she has been paying about Rs 25,000 every month. Kumari said she will stop paying the EMI and go to court to fight this injustice.

Residents also expressed concerns about their children's upcoming Board examinations and how their studies have been disrupted.

Rajeev Ranjan, a resident of Pearl Residency for two years now, said: "We have a registry. We paid the money by taking loans from government banks. We are all middle-class working people and cannot afford to buy a house if loans are not sanctioned. How can you call this illegal if we hold all government documents?"

The 38-year-old works at a private IT firm in Noida and lives with his wife, seven-year-old son and elderly father at their 2BHK house. He is the sole breadwinner.

Ranjan took a loan of about Rs 26.5 lakh for the flat and pays an EMI of Rs 21,000 per month, currently at an interest rate of 9.4%, which he said will last for the next 20 years. "This is my hard-earned money. We saved for four-five years to make this home for ourselves. We can't leave unless there is a solid decision from the court. We can't afford to rent out a new house with the ongoing EMI, we are not even sure whether we will be able to pay our EMI back," said Ranjan, who hails from Bihar.

He said 12 out of 13 homeowners in his apartment complex have taken a loan.

Some expressed disappointment at their homes being tagged as 'jhuggis'. "The media is calling our home a jhuggi, an unauthorised colony," said John, who hails from Darjeeling.

He said he took a loan of Rs 25 lakh from a private bank, at a higher interest rate of 12.5%, to buy a 2BHK flat in Pearl Residency. "At the age of 45, I have no strength or means to make extra money. I have absolutely no idea what to do next," he said.

Several residents also sold their gold to buy a house in the locality. One such person was Pooja Das (38) from Kolkata. A single mother who works as a cook at homes in Delhi, she borrowed about Rs 9 lakh from her relatives and sold gold to buy a 1BHK flat worth Rs 15 lakh in Greens Apartment. "People are calling this a jhuggi jhopdi. We have a proper registry; the government has levied stamp duty, we hold electricity and water bills, and we pay house tax. How can this be illegal?" Das asked.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
SATURDAY, FEBRUARY 11, 2023

As Bulldozers Roll In Mehrauli, Residents Question Why Now

'Flats Registered, Houses Financed By Banks': DDA Action Triggers Protest

Abhinav.Rajput
@timesgroup.com

Photos: Anindya Chattopadhyay

New Delhi: The demolition drive undertaken by Delhi Development Authority in Mehrauli on Friday saw hundreds of people coming out in protest against the land owning agency for first permitting constructions to "prosper through corruption" and then threatening them with demolition.

DDA demolished two shanties and a five-storey unoccupied building in Mehrauli. When the drive moved further into the area, the residents of around eight housing complexes, each with 15-25 flats, gathered on the road to prevent further razing and then approached a court for relief.

The residents said that they were being penalised for no fault of theirs as their flats had been built in the past five years under the very nose of the administration. In its notice to the residents, DDA said the reason for the demolition was that the land on which the houses were built was part of the Mehrauli Archaeological Park.

Gagan Deep, who lives in Pearl Residency, said, "This society's construction was completed in 2020 and we purchased the flat in 2021. Where was DDA in the years when the flats were being constructed? Even when we registered the property and paid the municipal tax, no one told us anything, so it cannot be our fault."

Most flats on the lane where the demolition exercise was carried out are five to seven years old. Jyoti Dandwal of Green Apartments said, "We purchased our flat from a builder. DDA carried out a demarcation in 2014, but is now saying its demarcation of 2021 is the right one." KN Bhagat, who lives in Lajwanti Residency, said he spent his entire pension fund of Rs 30 lakh to purchase his flat in 2018.

"When it was being constructed, DDA people did come to the site. But why did they not stop the building then? It has a lift and everyone knows a lift can be installed only with permission of the civic agencies. If the building was illegal, how did this happen?" he fumed.

Sumana Singha purchased a flat in Green Apartments in 2019. The society came up in 2016. "Why are they snatching people's homes? We followed the legal procedure by applying for electricity connection, getting the flat registered, etc. What wrong did we do?" Singha asked. "Also, what development does DDA envisage by depriving thousands of their homes?"

The incensed residents of the eight apartment complexes not only got the demolition drive halted, but also later got a stay order from Delhi High Court. The court will hear the matter on February 16.

DDA defended sending the demolition notices to the residents by saying it was done in compliance with court directions. A senior agency official said that a survey was carried out in 2021 and the area falling under the Mehrauli Archaeological Park was demarcated. "This is a protected area, and the whole parcel of land belongs to the archaeological park," the official said. "The demarcation of forest land was completed as per court orders. It was following this that the demolition action was planned."

Demolition drive is reminiscent of British era, claims AAP

New Delhi: AAP has targeted BJP over the DDA demolition drive in Mehrauli, alleging it is reminiscent of the British era when people were punished for not supporting them.

AAP's corporation in-charge, Durgesh Pathak, alleged, "BJP's central agencies are busy destroying the entire area of Mehrauli. Many videos have come from Mehrauli where people are crying and begging in front of police and BJP to stop this atrocity. AAP opposes this; no matter what happens, we will not allow a single structure to be demolished."

The BJP did not respond to the allegations.

Pathak said, "Before every election, BJP promises to build pakka houses for people. But BJP and its agencies are now going around uprooting the houses of those who reside in jhuggis." He added, "Previously, something like this only happened under the colonial rule, when after the 1857 First War of Independence, the Britishers destroyed the houses of freedom fighters. A dangerous trend is being set by BJP where they are telling people 'if you do not vote for us, this is what we can do to you'."

Delhi Development Authority demolished two shanties, following which residents managed to secure a temporary relief from the court. A DDA official said the demolition was being done on a court order after demarcating the forest land and only unauthorised occupations were being removed.

Sources said that while eight societies had got relief, action would continue in other areas. Following a petition by Indian National Trust for Art and Cultural Heritage in July 2019, Delhi High Court directed that the area under Mehrauli Archaeological Park be freed from encroachment. It also cautioned that no construction activity would be allowed in the area without its permission. TNN

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS हिन्दुस्तान नई दिल्ली, शनिवार, 11 फरवरी 2023 ----------DATED----------

कार्रवाई: महरौली में डीडीए के अतिक्रमण हटाओ अभियान के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन

दिल्ली में तोड़फोड़ पर टकराव

नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। दिल्ली के महरौली में शुक्रवार को तोड़फोड़ पर दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और स्थानीय लोगों में टकराव हो गया। डीडीए अतिक्रमण हटाने पहुंचा तो बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने विरोध-प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। डीडीए की ओर से इस दौरान कई मकानों को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। हालांकि थोड़ी देर बाद ही दिल्ली हाईकोर्ट ने महरौली में कार्यवाही पर फिलहाल यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया। मामले की सुनवाई 14 फरवरी को होगी।

पुलिस बल तैनात : महरौली में सुबह से ही भारी पुलिस बलों की तैनाती की गई थी। स्थानीय लोगों ने कई बार जेसीबी-बुलडोजर के सामने रुकावट बन कर खड़े होकर कार्रवाई रोकने की गुहार लगाई ,लेकिन उन्हें हटा कर डीडीए ने अतिक्रमण हटाया। पूरे मामले में डीडीए की ओर से देर शाम तक कोई बयान नहीं दिया गया है।

सियासत गरमाई : मामले में सियासत भी गरमाई। आप के दो विधायक, नरेश यादव और सोमनाथ भारती ने मौके पर पहुंचकर डीडीए की कार्यवाही का विरोध जताया। इस पर दोनों ही विधायकों को हिरासत में ले लिया गया।

स्थानीय लोगों ने कहा कि डीडीए सुबह अपने अभियान में अंधेरिया मोड़ में औलिया मस्जिद के पास दो और तीन मंजिला इमारतों को झुग्गियों के साथ तोड़ रहा था। जिस जगह पर कथित अतिक्रमण किया गया था, वह डीडीए, वक्फ बोर्ड और एएसआई सहित कई एजेंसियों की ही जमीन थी।

दिल्ली के महरौली में शुक्रवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण की ओर से हटाए जा रहे अतिक्रमण का विरोध-प्रदर्शन करते स्थानीय लोग। ● एएफपी

02 विधायक आम आदमी पार्टी के हिरासत में लिए गए

14 फरवरी को मामले की सुनवाई कर सकती है अदालत

पुरातत्व पार्क की जमीन को लेकर गतिरोध

पुलिस अधिकारी ने बताया कि जिस जमीन पर अतिक्रमण के तोड़फोड़ का कार्य चल रहा है वह महरौली पुरातत्व पार्क का हिस्सा है जो विकास कार्य में बाधा बन रहा है।

नए सिरे से किए जा रहे सीमांकन को लेकर विवाद

पूरा मामला डीडीए की ओर से नए सिरे से किए जा रहे सीमांकन को लेकर है। महरौली में डीडीए और पुरातत्व विभाग मिलकर राष्ट्रीय पुरातत्व पार्क बना रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस पार्क को लेकर डीडीए पहले सीमांकन कर चुका है, अब बीते कुछ दिनों से नए सिरे से सीमांकन करने की बात कर लोगों को नोटिस दिए गए हैं।

अंदर के मकान जद में आए

स्थानीय लोगों ने बताया कि कई बार सीमांकन हो चुका है, फिर दोबारा से किया गया और उसमें जो अंदर के मकान थे, उन्हें भी जद में ले लिया है। उन्होंने कहा कि हमने अधिकारियों से बात कर उनसे कार्रवाई रोकने की कोशिश भी की, लेकिन अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है।

› चीखते रहे लोग P04

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

आफत ऐतिहासिक स्थल माने जाने वाले महरौली के कई इलाकों में शुक्रवार को बड़े-बड़े घर गिरा दिए गए।

आक्रोश वर्षों से रह रहे लोगों ने सुरक्षाबल का विरोध जताया। कई महिलाएं सड़क पर ही बैठ गईं। वहीं, एक व्यक्ति ने अपने घर के ऊपर से सुरक्षाकर्मियों पर लाल मिर्च पाउडर फेंक दिया। • सोनू मेहता

घरों की रजिस्ट्री हाथ में लिए रोते-चीखते रहे लोग

राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को कई इलाकों में डीडीए और नगर निगम ने बड़े स्तर पर तोड़फोड़ और सीलिंग अभियान चलाया। इस दौरान भारी सुरक्षाबल तैनात किया गया था। महरौली, सीलमपुर, ख्याला, सूरजकुंड मार्ग और एमबी (महरौली-बदरपुर) रोड पर हुई कार्रवाई के दौरान लोगों ने विरोध जताया। रोते हुए अपने मकानों की पक्की रजिस्ट्री भी दिखाते रहे। पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। हिन्दुस्तान टीम की रिपोर्ट...

अर्जी महरौली में कई महिलाएं पुलिसकर्मियों के आगे हाथ जोड़ती नजर आईं। उन्होंने रोते हुए कार्रवाई न करने की गुहार लगाई। • हिन्दुस्तान

महरौली: तीन हजार परिवारों पर संकट के बादल मंडराए

चिंता

डीडीए की इस कार्रवाई से महरौली, अंधेरिया मोड़ समेत आस-पास के इलाकों में बसे लगभग तीन हजार परिवारों पर संकट के बादल छा गए हैं। इनमें से लगभग एक हजार से अधिक परिवारों के पास उनकी संपत्ति की पक्की रजिस्ट्री भी है।

लोगों के पास संपत्ति कर समेत वोटर कार्ड, आधार कार्ड जैसे तमाम दस्तावेज हैं, जो इन्हीं पतों पर बनाए गए हैं। शुक्रवार को दिन भर अपने घरों के पक्के कागज लेकर लोग कभी डीडीए दफ्तर और कभी पुलिस अधिकारियों के पास दौड़-भाग करते नजर आ रहे थे।

30 वर्ष से रह रहे : महरौली निवासी रुखसाना ने बताया कि उनका परिवार बीते लगभग 30 साल से यहां रह रहा है। इनके पास पक्की रजिस्ट्री है, संपत्ति कर की रसीदें हैं, वोटर कार्ड, आधार कार्ड आदि सब कुछ है। उसके बावजूद घरों को तोड़ने का नोटिस दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे बेघर हो रहे हैं। एक अन्य महिला ने कहा कि उनके मकानों की रजिस्ट्री हुई है, लोन भी है लेकिन फिर भी डीडीए के अधिकारी इसे तोड़ रहे हैं।

एमबी और सूरजकुंड रोड से अतिक्रमण हटाए

निगम के अतिक्रमण हटाओ दस्ते ने पुल प्रादपुर इलाके में लोगों की शिकायतों पर कार्रवाई की। एमबी रोड, शर्मा मार्केट और सूरजकुंड रोड सहित अन्य आसपास क्षेत्रों से अतिक्रमण हटाया गया। सामान भी जब्त किए गए। इसके अलावा गोविंदपुरी में अभियान के तहत पॉलिथीन जब्त की गई।

ख्याला : बेटी की डोली उठते ही चला बुलडोजर

- लोगों ने कहा, यहां 25 साल से रह रहे, फिर भी झुग्गियां तोड़ी
- आरोप- स्टे ऑर्डर दिखाने के बावजूद अधिकारियों ने नहीं सुनी

दिल्ली के ख्याला में नगर निगम का बुलडोजर चला और वहां लगभग दर्जनभर से ज्यादा झुग्गियों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। इसके बाद यहां रहने वाले लोग सड़कों पर रहने के लिए मजबूर हो गए हैं।

इन झुग्गियों में रहने वाले एक परिवार के घर 8 फरवरी को लड़की की शादी थी। परिवार वालों ने शादी में अपने सभी सगे संबंधियों को बुलाया हुआ था। गुरुवार देर रात बेटी की डोली उठी और शुक्रवार सुबह ही घर पर निगम की टीम बुलडोजर लेकर पहुंच गई और घर खाली करने का आदेश देने लगे। परिवार वाले पूरी तरह से मेहमानों की विदाई तक नहीं कर पाया था।

लड़की की मौसी पूजा ने आरोप लगाया कि इस दौरान यहां रहने वाले लोगों ने कोर्ट से प्राप्त स्टे ऑर्डर भी अधिकारियों को दिखाया लेकिन उन्होंने किसी की एक न सुनी और झुग्गियों को ध्वस्त करने काम शुरू कर दिया। यहां रहने वाले लोगों का कहना है कि वे लगभग 25 साल से यहां रह रहे हैं। उनके पास झुग्गी के पते पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बिजली के कनेक्शन, पानी कनेक्शन के साथ-साथ बैंक अकाउंट भी है, लेकिन इसके बावजूद झुग्गियों को अवैध बताकर तोड़ दिया। स्थानीय लोग विधायक धनवती चंदेला के पास भी गए, लेकिन वहां से भी इन्हें कोई मदद नहीं मिली।

बेघर हुआ परिवार खुले आसमान के नीचे रातें बिताने को मजबूर हैं। जिस लड़की की कल शादी थी, उसकी मां ने बताया की 31 तारीख को घर खाली करने का नोटिस दिया गया था। शादी वाले घर में महज कुछ दिन में कैसे कुछ भी हो पाता। घर में शादी है और विदाई तक भी नहीं हुई। घर पर आकर बुलडोजर चला दिया, सारा सामान दब गया।

हार का बदला ले रही भाजपा: दुर्गेश

सियासत

नई दिल्ली, व.सं.। महरौली में की जा रही कार्रवाई को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक ने भाजपा पर निशाना साधा है। पाठक ने कहा कि भाजपा हार का बदला ले रही है। भाजपा ने नगर निगम चुनाव में जहां झुग्गी वहां मकान का वादा किया था। अब झुग्गियों को तोड़कर जनता से चुनाव हारने का बदला ले रही है। उन्होंने कहा कि आज भाजपा पूरी महरौली को उजाड़ने में लगी हुई है। महरौली से कई वीडियो सामने आ रहे हैं, जिसमें लोग पुलिस और भाजपा के लोगों के आगे रो रहे हैं।

विधायक हिरासत में लिए

कार्रवाई के विरोध में आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश यादव (महरौली से) और सोमनाथ भारती (मालवीय नगर से) को पुलिस ने हिरासत में लिया। डीडीए के सदस्य और विधायक सोमनाथ भारती ने बताया कि शाम को हमारी इस मुद्दे पर मीटिंग होनी थी।

क्या बोले लोग

"जब यहां मकान बन रहे थे, तब किसी ने मना नहीं किया। 20-20 साल से लोग यहां हैं, खून-पसीने की कमाई से बनाए घरों को तोड़ दिया।

-रमेश कुमार, महरौली (भूलभुलैया)

"यहां हम लोग 30 साल से रह रहे हैं। अचानक से हमारे घर अवैध कैसे हो गए। लोगों ने बैंकों से लोन ले रखे हैं, हमें ऐसे बर्बाद नहीं कर सकते।

-नजमा चौधरी, महरौली (महता चौक)

"हम अपने घरों से हटेंगे नहीं, हमारे पास पक्के कागजात हैं। डीडीए या सरकार जो भी कुछ कहे, लेकिन हम अपने घरों को छोड़कर नहीं जाने वाले।

-तरुण धींगरा, महरौली (बस स्टॉप)

राहत : 14 फरवरी तक हाईकोर्ट ने रोक लगाई

400 झुग्गियों पर यथास्थिति रहेगी

- आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित है सूची
- प्रतिवादियों के पास इन्हें तोड़ने का अधिकार नहीं

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को डीडीए को महरौली में एक झुग्गी बस्ती की 400 झुग्गियों पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय ने मामले को 14 फरवरी को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।

याचिका में दिए गए तर्कों के मुताबिक, घोसिया स्लम कॉलोनी एक झुग्गी क्लस्टर है, जिसे डीयूएसआईबी द्वारा अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित सूची में विधिवत सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें 400 झुग्गियों को रिकॉर्ड किया गया है। साथ ही वर्ष 2015 की नीति और तथ्य यह भी बताते हैं कि प्रतिवादियों के पास इन्हें तोड़ने का अधिकार नहीं है।

न्यायमूर्ति मनप्रीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने कहा कि इस मामले में प्रतिवादियों को सुनवाई की अगली तारीख तक इस झुग्गी बस्ती की यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया जा रहा है। उच्च न्यायालय ने एक अलग याचिका में अधिकारियों को महरौली गांव में एक विशेष इमारत के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का भी निर्देश दिया है। इसमें दावा किया गया था कि विध्वंस आदेश में इस इमारत उल्लेख नहीं किया गया था।

हालांकि, याचिका में कहा गया है कि इस खसरा में भी विध्वंस की कार्रवाई प्रस्तावित की जा रही थी, जो 12 दिसंबर, 2022 के विध्वंस आदेश के विपरीत थी। 12 दिसंबर 2022 के विध्वंस आदेश में, यह निर्देश दिया गया था कि सुनवाई की अगली तारीख तक यथास्थिति बनाए रखी जाए।

अवैध निर्माण ढहाने के अभियान का विरोध कर रही महिला को घसीटकर ले जाते सुरक्षाकर्मी। इस दौरान महिला लगभग बेहोश हो गई थी। • एजेंसी

महरौली इलाके में शुक्रवार को अवैध निर्माण को गिराने के दौरान अपने टूटे घर को दिखाती महिला। • सोनू मेहता

हड़कंप : देररात तक चली सैकड़ों लोगों की बैठक

हाईकोर्ट से स्टे मिलने के बाद महरौली के सैकड़ों लोग देररात तक बैठक करके आगे की रणनीति बनाते रहे। लोगों का कहना है कि उन्हें अभी भी तोड़फोड़ का डर है क्योंकि कोर्ट से सिर्फ महरौली के कुछ चुनिंदा इलाकों को ही राहत मिली है। लोगों में खौफ है कि डीडीए का दस्ता फिर कार्रवाई शुरू कर सकता है। कई लोगों का रो-रोकर बुरा हाल था क्योंकि उनकी जमापूंजी से बनाया गया आशियाना पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPER: 11 फरवरी, 2023 दैनिक जागरण ----------DATED----------

यातायात के 294 जंक्शनों का किया जाएगा कायाकल्प

यातायात पुलिस ने सुचारू आवागमन के लिए किया सर्वेक्षण

जी-20 की तैयारी

घनंजय मिश्रा • नई दिल्ली

राष्ट्रीय राजधानी में मार्च से जी-20 शिखर सम्मेलन की बैठकों का दौर शुरू होगा। एक और दो मार्च को विदेश मंत्रियों की बैठक के साथ अन्य तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इसके लिए बड़ी संख्या में विदेशी मेहमान दिल्ली आएंगे। यातायात पुलिस ने उनके ठहारने, कार्यक्रमों और बैठकों के स्थलों के मार्ग पर सुचारू और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के लिए पूरी दिल्ली का एक व्यापक सर्वेक्षण किया है।

पुलिस ने ऐसे 294 जंक्शनों की पहचान की है जहां जलभराव, रोशनी का अभाव, सड़क अवसंरचना जैसे सड़क की मरम्मत, सिग्नलों की मरम्मत और पेंटिंग, फुटपाथ, सेंट्रल वर्ज, सेंट्रल ग्रिल, रोड साइनेज, रोड मार्किंग, जेब्रा क्रासिंग, पेड़ों की छंटाई, अतिक्रमण, अनधिकृत पार्किंग आदि में सुधार की जरूरत है। पुलिस ने इसे सुधारने के लिए नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी), भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन (आइटीपीओ), दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) व अन्य संबंधित विभागों को कहा है। इसको लेकर दिल्ली पुलिस मुख्यालय में विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक भी की जा चुकी है। सर्वे के दौरान दिल्ली की सड़कों पर 179 सिग्नल और ब्लिंकर खराब मिले।

जी-20 शिखर सम्मेलन को लेकर राजधानी में जोर-शोर से तैयारी चल रही है। मंडी हाउस गोल चक्कर पार्क में लगाए गए रंग-बिरंगे फूलों के गमले • ध्रुव कुमार

> सम्मेलन में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में विदेशी मेहमान दिल्ली आएंगे। हमारी प्राथमिकता है की उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। सुचारू यातायात के लिए व्यापक स्तर पर इंतजाम किए जा रहे हैं।
>
> **सुरेंद्र सिंह यादव**, विशेष पुलिस आयुक्त, यातायात

वाहनों का दबाव किया जाएगा कम: बैठक के दौरान दिल्ली में वाहनों के दबाव को कम करने के लिए यातायात पुलिस ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश पुलिस से भी संपर्क किया है। दोनों राज्यों से हजारों वाहन दिल्ली में आते हैं। दिल्ली के बार्डर को सील भी किया जा सकता है। इसके लिए यातायात एडवाइजरी जारी की जाएगी। मेहमानों को भाषाई दिक्कत न हो इसके लिए अनुवादक रखs पर विचार किया जा रहा है।

जाम लगने वाले स्थानों का किया गया सर्वे: यातायात पुलिस ने जाम लगने वाले स्थानों का ड्रोन के जरिये सर्वे कराया है। इसमें 200 स्थान ऐसे मिले हैं जहां पर जाम लगता है। इन स्थानों पर जाम लगने की वजह और इसके समाधान को लेकर रिपोर्ट तैयार की गई है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS----- **दैनिक जागरण** नई दिल्ली, 11 फरवरी, 2023 ED----------

विरोध के बीच डीडीए ने महरौली में हटाया अतिक्रमण

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली: दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने पुलिस सुरक्षा के बीच शुक्रवार को महरौली इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान शुरू किया। इस दौरान तोड़फोड़ (डेमोलिशन) दस्ते को भारी विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन सुरक्षा बलों ने स्थिति को जल्द ही नियंत्रण में कर लिया। फिलहाल इलाके में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है।

बता दें कि डीडीए ने जमीन खाली न करने पर कई बार डेमोलिशन का नोटिस दिया था, लेकिन अवैध कब्जा बरकरार रहा। डीडीए ने पहला नोटिस 12 दिसंबर को और अंतिम नोटिस तीन फरवरी को दिया था। कब्जा नहीं हटाने पर डीडीए को सख्त रुख अपनाना पड़ा। डीडीए ने अंधेरिया मोड़ पर औलिया मस्जिद के पास झुग्गियों के साथ दो और तीन मंजिला इमारतों को भी तोड़ दिया है। डीडीए का कहना है कि जिस जमीन पर अतिक्रमण किया गया था, वह डीडीए, वक्फ बोर्ड और एएसआई आदि एजेंसियों की है।

मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारी ने कहा कि जिस जमीन पर अतिक्रमण के तोड़फोड़ का कार्य चल रहा है, वह महरौली पुरातत्व पार्क का हिस्सा है। इस अतिक्रमण से विकास कार्य में बाधा पहुंच रही है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से बागवानी विभाग द्वारा एक विध्वंस अभियान चलाया जा रहा है। इलाके में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात है।

शुक्रवार को महरौली में अतिक्रमण हटाता डीडीए का बुलडोजर● जागरण

झुग्गी-बस्ती गिराने की कार्रवाई पर बनाए रखें यथास्थिति : हाई कोर्ट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: महरौली में घोसिया एक झुग्गी बस्ती को गिराने की दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की कार्रवाई पर यथास्थिति बनाए रखने का दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है।न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम अरोड़ा की पीठ ने डीडीए को 14 फरवरी तक कोई कार्रवाई नहीं करने को कहा है। इसमें कुल 400 झुग्गियां हैं।अदालत ने कहा कि ऐसे में जबकि झुग्गी को डूसिब द्वारा अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित सूची में सूचीबद्ध किया गया है।

घोसिया कालोनी सेवा समिति ने याचिका दायर करके कहा कि 2018 में डूसिब द्वारा प्रकाशित एक सूची में स्लम कालोनी बताया गया है। यह भी तर्क दिया कि स्लम क्लस्टर एक अधिसूचित जेजे क्लस्टर है और इस प्रकार झुग्गियों को ध्वस्त नहीं किया जा सकता है। अदालत ने नोट किया कि दिल्ली शहरी स्लम और पुनर्वास और स्थान नीति- 2015 के तहत चूंकि डीडीए जमीन का मालिक है। इसलिए यह स्लम कालोनी के निवासियों को उनके बेदखली से पहले पुनर्वास करने के लिए बाध्य है। अधिवक्ता ने दलील दी कि निवासियों को बेदखली का कोई नोटिस नहीं दिया गया, ऐसे में डीडीए की कार्रवाई पूरी तरह से अवैध है।मामले की सुनवाई 14 फरवरी तक के लिए स्थगित करते हुए अदालत ने डीडीए को 13 फरवरी को या इससे पहले लिखित जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

महरौली को उजाड़ने पर तुली भाजपा : आप

राज्य, नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक एवं एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने कहा कि भाजपा ने दिल्ली नगर निगम चुनाव में 'जहां झुग्गी, वहां मकान' का वादा किया था। अब झुग्गियों और मकानों को तोड़कर जनता से चुनाव हारने का बदला ले रही है। यही वजह है कि शुक्रवार सुबह से भाजपा पूरी महरौली को उजाड़ने में जुटी है। महरौली से कई वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें लोग पुलिस और भाजपा के लोगों के आगे रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन इन्हें तरस नहीं आ रहा है।

उन्होंने कहा कि हमारे विधायक नरेश यादव और सोमनाथ भारती ने वहां जाकर बैठकर समस्या का हल निकालने की बात कही, तो उन्हें हिरासत में ले लिया गया। पार्षद रेखा को भी हिरासत में लिया गया। निगम चुनाव में जिन लोगों ने आप का साथ दिया है, उनके घर तोड़े जा रहे हैं। आप इसका विरोध करती है। उन्होंने कहा कि चाहे कुछ हो जाए, लेकिन हम एक भी मकान और झुग्गी नहीं टूटने देंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा शायद दुनिया की पहली ऐसी पार्टी होगी जो चुनाव से पहले जो वादे करती है, चुनाव के बाद ठीक उसका उल्टा करती है। यही वजह है कि निगम चुनाव के बाद झुग्गियों को तोड़ा और लोगों को उजाड़ा जा रहा है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

। नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । शनिवार, 11 फरवरी 2023

एशिया के सबसे बड़े कंप्यूटर बाज़ार की सफाई व्यवस्था बदहाल

नेहरू प्लेस मार्केट में हर तरफ गंदगी, सीवर भी ओवरफ्लो

■ एनबीटी न्यूज, नेहरू प्लेस

एशिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर बाजार माने जाने वाले नेहरू प्लेस में गंदगी पसरी नजर आती है। दुकानदारों का आरोप है कि संबंधित एजेंसी मार्केट में नियमित सफाई नहीं करा रही है। इस संबंध में शिकायतों के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा।

दुकानदारों ने बताया कि पार्किंग की तरफ गंदा पानी भरा रहता है। गंदगी के कारण मच्छरों वाली व दूसरी बीमारियां फैलने का खतरा है। मार्केट असोसिएशन से जुड़े महेंद्र अग्रवाल बताते हैं कि 2019 में मार्केट एमसीडी से डीडीए के पास आ जाने के बाद से सफाई के कोई इंतजाम नजर नहीं आते हैं। एलजी ने सफाई योजना चलाई हुई है, इसके बावजूद डीडीए सुस्त है। यहां आने-जाने वाले लोग और खरीदार भी गंदगी फैलाते रहते हैं। उन्होंने बताया कि अगर मार्केट का गलियारा व रास्ता आदि साफ रहे तो दुकानदार गंदगी फैलाने वाले लोगों को रोक सकते हैं। अग्रवाल बताते हैं कि एमसीडी के कर्मचारी दुकानदारों के साथ पहले से कायम अच्छे संबंधों के कारण बुलाने पर मार्केट आ जाते हैं। वे झाड़ू लगाते हैं। कूड़ा उठाते हैं। लेकिन, वे बताते रहते हैं कि यह हमारी नहीं, बल्कि डीडीए की ड्यूटी है। दुकानदारों का कहना है कि इस बारे में डीडीए के संबंधित विभाग के अधिकारी शिकायतों पर कार्रवाई करने के बारे में कोई जानकारी नहीं देते। वे टालमटोल का रवैया अपनाए हुए हैं।

गंदगी की वजह से यहां आने वाले लोगों को होती है परेशानी

सफाई व्यवस्था एमसीडी से डीडीए के पास जाने के बाद बदतर हालात

Hindustan Times

{ METRO } IN MEHRAULI

DDA demolition drive targets illegal houses

An "anti-encroachment drive" was carried out by the Delhi Development Authority in the Mehrauli Archaeological Park area amid police security on Friday, triggering protest from various local residents and a blame game between the AAP and the BJP. The action was taken under a demolition drive, which will be carried out till March 9, officials said. It comes a month ahead of a G20 meeting set to be hosted at the archaeological park. "A notice was issued last December and it was pasted on walls to alert people," a senior official in the DDA said. →P4

दैनिक जागरण नई दिल्ली, 11 फरवरी, 2023

यमुना खादर में डीडीए ने हटाया अतिक्रमण

जासं, नई दिल्ली : प्रगति पावर स्टेशन के पीछे यमुना खादर में हुए अतिक्रमण पर डीडीए द्वारा कार्रवाई की गई है। डीडीए का दस्ता दोपहर 12 बजे सुरक्षा बलों के साथ पहुंचा। यहां पर पुलिस अस्थायी और स्थायी अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। स्थानीय लोगों के मुताबिक यहां पर एक प्राचीन मंदिर है, जिस पर प्रशासन ने कार्रवाई की। पुलिस ने भी यहां पर कार्रवाई के बाद आने वाले मीडियाकर्मियों को बाहर ही रोक दिया। जी-20 के मद्देनजर विभिन्न इलाकों में अतिक्रमण हटाया जा रहा है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSP THE INDIAN EXPRESS, SATURDAY, FEBRUARY 11, 2023

BJP REPLICATING WHAT BRITISH DID: AAP

Mehrauli tense amid DDA demolition drive

EXPRESS NEWS SERVICE
NEW DELHI, FEBRUARY 7

THE DELHI Development Authority (DDA) Friday demolished several shanties and multi-storey buildings situated on the border of Mehrauli Archaeological Park in Ladha Sarai village, amid police security, triggering protests by residents and prompting an attack on the BJP by AAP.

According to the DDA, the land in question belongs to them and has been encroached on.

The AAP hit out at the BJP, accusing it of reneging on its poll promises of 'Jahan Jhuggi, Wahan Makaan'. AAP MLA Durgesh Pathak said the BJP was replicating what the British did during their rule: "During Revolt of 1857, those Indians who supported revolutionaries were hanged and their homes demolished. Today, the BJP is repeating the same in Delhi No matter what happens, we won't allow a single slum to be demolished." The BJP spokesperson refused to comment.

The DDA comes under the BJP-led Centre.

Locals living in apartments and builder floors near the demolition site said the DDA issued notices saying their houses are situated on government land and will be demolished.

Vicky Shah, who lives in Forest View apartments, said, "Around 8.30 am, DDA officials came along with police and cranes and demolished two-three multistorey apartment buildings near Aulia Masjid at Andheria More and a bunch of shanties near the archaeological park. There are several buildings and apartments in this area and many of us have been issued a notice saying there is some demarcation issue and that our houses are situated on government land. We have filed a petition in court because the DDA notice said the buildings will be demolished on February 16. I bought this flat with my hard-earned money last year, where will I go with my family?"

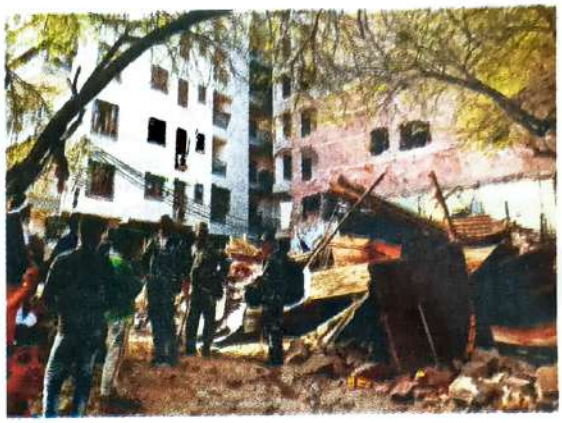

The drive sparked protests by residents. *Amit Mehra*

Locals also alleged police lathi-charged residents when they protested against the drive.

According to a police officer, these flats are illegally constructed on DDA, Waqf Board and ASI land. "The drive was carried out by DDA's horticulture department. They requested police support to maintain law and order and control the crowd. Residents held protests," the officer said.

According to a notice issued by the deputy secretary, horticulture department, DDA: "Whereas, it has been found that government/DDA land of village Ladha Sarai which falls in Khasra are encroached upon by unauthorised occupants. The said land is part of the Mehrauli Archaeological Park and the existing unauthorised encroachment is a hindrance to the development of the... Park. Therefore, all unauthorised encroachers are liable to be evicted from government/DDA land."

HC orders 'status quo' on 400 jhuggis and apartment in area

The High Court Friday ordered status quo with respect to 400 jhuggis in Ghosiya slum colony in Mehrauli. A single judge bench of Justice Manmeet Pritam Singh Arora was hearing a plea moved by dwellers of the colony. Justice Arora heard another plea moved by 17 persons living in an apartment in Mehrauli's ward 8. "In view of the fact that Khasra No. 1151/3 min finds no mention in demolition order, it is directed that status quo be maintained... until next date of hearing," he said.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
SATURDAY, FEBRUARY 11, 2023

/SPAPERS----------

HC status quo on demolition of slum cluster

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: Delhi High Court on Friday ordered status quo on Delhi Development Authority's demolishing of a slum cluster in Mehrauli area.

The single bench of Justice Manmeet Pritam Arora directed DDA to maintain the status quo on Ghosiya Slum Colony till February 14. The slum cluster houses 400 jhuggis.

"In light of the averment that Ghosiya Slum Colony is a jhuggi cluster duly enlisted in the list published by the Delhi Urban Shelter Improvement Board (DUSIB) on its official website, which records 400 jhuggis, as also the 2015 policy, and the fact that the respondents do not have instructions in the matter, the respondents are directed to maintain the status quo with respect to the 400 juggis until the next date of hearing."

The bench, while listing the matter for hearing on February 14, directed the authorities to file their written submissions on or before February 13.

The court was hearing a plea moved by Gosiya Colony Sewa Samiti which said the slum colony appeared on a list published by the DUSIB in 2018. The counsel mentioned the Delhi Urban Slum and Rehabilitation and Location Policy 2015 and submitted that since DDA is the land-owning agency, it is obliged to rehabilitate the residents prior to their eviction. The counsel said no eviction notice was served on them.

। संडे नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । 12 फरवरी 2023

कब्ज़ा देने के बाद भी बिल्डर की मुक्ति नहीं

SC बोला, मजबूरी में पहले पजेशन ले लेते हैं फ्लैट मालिक

Rajesh.Choudhary@timesgroup.com

■ **नई दिल्ली :** सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फ्लैट मालिक कई बार परिस्थितियों के कारण फ्लैट का पजेशन पहले ले लेते हैं, लेकिन इससे उनके सर्विसेज के अधिकार खत्म नहीं हो जाते। आजकल लोग लोन लेकर फ्लैट खरीदते हैं। प्रॉजेक्ट तैयार भी नहीं होता लेकिन किश्त शुरू हो जाती है। मजबूरी में फ्लैट का पजेशन ले लेते हैं, लेकिन बिल्डर ने जिन सर्विसेज का वादा किया था, पजेशन के बाद फ्लैट ओनर का उन पर दावा खत्म नहीं होता।

कोलकाता स्थित एक प्रॉजेक्ट में शिकायती ने फ्लैट खरीदा था। उनका कहना था कि पूरे पैसे देने के बाद बिल्डर ने उन्हें फ्लैट का पजेशन दे दिया। बिल्डर ने प्लेग्राउंड, कम्युनिटी हॉल, जिम आदि देने का वादा किया था लेकिन पजेशन के बाद इन वादों को पूरा नहीं किया। कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी नहीं लिया। फ्लैट मालिक नैशनल कंस्यूमर फोरम पहुंचे लेकिन वहां अर्जी खारिज हो गई। फोरम ने कहा कि बिल्डर ने सेवा में कोताही की है। हालांकि यह भी कहा कि फ्लैट ओनर ने बिना कंप्लीशन ही पजेशन ले लिया, ये नियम के खिलाफ है। ऐसे में दोनों की गलती है। इसके बाद फ्लैट मालिक ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कंस्यूमर फोरम ने बिल्डर की कोताही मानी है तो खरीदार की शिकायत पर फिर से गौर किया जाए।

Sunil Kataria

RERA में कर सकते हैं बिल्डर की शिकायत

● **रजिस्ट्रेशन जरूरी :** खरीदार को परेशानी है तो वह रेरा यानी Real Estate Regulatory Authority में ऑनलाइन या ऑफलाइन शिकायत कर सकता है। किसी भी बिल्डर के लिए रेरा में रजिस्ट्रेशन जरूरी है। प्रोजेक्ट से जुड़ी सभी जानकारी देनी होती है।

● **सरकारी संस्थान भी दायरे में :** प्राइवेट बिल्डर ही नहीं, डीडीए, जीडीए जैसे संगठन भी रेरा के दायरे में आते हैं यानी डीडीए भी वक्त पर फ्लैट बनाकर नहीं देता तो उसे भी खरीदार को जमा राशि पर ब्याज देना होगा। कमर्शल प्रॉजेक्ट्स पर भी कानून लागू होता है।

● **पैसे का सही जगह इस्तेमाल:** खरीदार को ज्यादा दिक्कत प्रॉजेक्ट्स में देरी से होती है। खरीदारों के पैसे को बिल्डर दूसरे प्रॉजेक्ट में लगाते हैं, जिससे पुराने प्रॉजेक्ट लेट हो जाते हैं। रेरा के मुताबिक, बिल्डर्स को हर प्रॉजेक्ट के लिए अलग अकाउंट बनाना होगा। इसमें खरीदारों से मिले पैसे का 70% हिस्सा जमा करना होगा, जिसका इस्तेमाल सिर्फ उसी प्रॉजेक्ट में किया जा सकेगा।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS--- हिन्दुस्तान ----------DATED NEW DELHI SUNDAY FEBRUARY 12, 2023

आदेश | उच्च न्यायालय ने डीडीए के आदेश को खारिज किया, आवेदक के पास अन्य आवासीय संपत्ति होने पर प्लॉट आवंटन को रद्द कर दिया था

40 साल बाद आशियाना बनाने के लिए डीडीए प्लॉट देगा

■ प्रभात कुमार

नई दिल्ली। 40 साल के इंतजार और लंबी कानूनी जंग के बाद अब एक व्यक्ति को रोहिणी आवासीय योजना-1981 के तहत घर बनाने के लिए भूखंड मिलेगा। उच्च न्यायालय ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के उस आदेश को खारिज कर दिया है, जिसके तहत आवेदक के पास महज एक अन्य आवासीय संपत्ति होने के आधार पर रोहिणी आवासीय योजना 1981 के तहत प्लॉट आवंटन को रद्द कर दिया था।

जस्टिस राजीव शकधर और तारा वी. गंजू की पीठ ने अपने फैसले में कहा है कि 'अदालत इस बात को अनदेखा नहीं कर सकती कि डीडीए समय सीमा के भीतर अपनी वैधानिक जिम्मेदारियों के निर्वाहन में पूरी तरह से विफल रही है' पीठ ने कहा है कि तथ्यों से जाहिर है कि रोहिणी आवासीय योजना-1981 के तहत पंजीकरण कराने वाले आवेदकों को 5 साल के भीतर यानी 1986 तक भूखंड मिल जाना चाहिए था, लेकिन डीडीए ने मौजूदा आवेदक को करीब 23 साल की देरी से 2004 में प्लॉट आवंटित किया। इतना ही नहीं, न्यायालय ने कहा है कि डीडीए के पास सफाई देने के लिए कोई तर्क नहीं है कि उसने इतने देरी से आवेदकों को प्लॉट का आवंटन क्यों किया।

तथ्य छिपाने का आरोप लगाकर आवंटन रद्द किया

डीडीए ने लोगों के घर का सपना पूरा करने के लिए, 1981 में रोहिणी आवासीय योजना के तहत प्लॉट आवंटित करने के लिए आवेदन मंगाए। इस योजना के तहत बड़े पैमाने पर लोगों ने आवेदन कर पैसा जमा कराया। इस मामले नरेंदर कुमार वाघवा ने भी एमआईजी प्लॉट के लिए डीडीए में आवेदन किया और 12944 रुपये डीडीए में जमा कराया। डीडीए ने 2004 में करीब 23 साल बाद उन्हें 90 मीटर का भूखंड आवंटित करते हुए उन्हें पैसा जमा कराने और हलफनामा देने को कहा। इसके बाद डीडीए ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर तथ्य छिपाने का आरोप लगाते हुए मार्च, 2005 में भूखंड का आवंटन रद्द कर दिया।

'अपीलकर्ता को दूसरा भूखंड आवंटित करें'

पीठ ने कहा कि यदि उनकी मांगों को ठुकराया जाता है तो यह स्पष्ट रूप से अनुचित और न्यायसंगत नहीं होगा। उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी करते हुए डीडीए द्वारा 4 मार्च 2005 के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसके तहत नरेंदर कुमार वाघवा को 90 मीटर का भूखंड के आवंटन को रद्द कर दिया। इसके साथ ही उच्च न्यायालय ने डीडीए को आदेश दिया है कि वह अपीलकर्ता को कोई दूसरा भूखंड आवंटित करें। न्यायालय ने डीडीए द्वारा भूमि आवंटन रद्द करने और इसे ठहराने के अपने एकलपीठ के फैसले को रद्द करते हुए यह फैसला दिया है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS- Hindustan Times DATED- NEW DELHI SUNDAY FEBRUARY 12, 2023

More buildings razed in Mehrauli, govt asks DDA to stop demolition

Sadia Akhtar
sadia.akhtar@hindustantimes.com

NEW DELHI: The Delhi Development Authority (DDA) continued its demolition drive for the second day on Saturday in Mehrauli's Aam Bagh area, razing a four-storey building and five structures nearby even as Delhi revenue minister Kailash Gahlot directed the district magistrate (South) to conduct a fresh demarcation of the land in the area and inform the landowning agency about it.

The Delhi government has asked the DDA to stop the demolition drive, Gahlot said on Saturday evening.

DDA partially demolished a couple of houses, some of those were under-construction, and some shanties in the same area on Friday.

Teams of DDA officials first brought down the four-storey structure, Orchid Apartments, amid protests by residents of the building and other local residents. Then, at around 4.30pm, the agency's bulldozers proceeded ahead in the Jharna area in the vicinity of the apartment, and demolished around four to five houses there.

In a written statement on Saturday, DDA said that it had started a drive from Friday for the removal of encroachment from the DDA land of Ladha Sarai Village falling within the Mehrauli Archaeological Park, and around 1,200 square metres of land has been reclaimed.

Residents protest DDA's demolition drive on Saturday. RAJ K RAJ/HT

The agency added that a demarcation exercise had been carried out on the directions of the Delhi high court in the presence of DDA and the Waqf Board representatives by the state revenue department in December 2021. It said the aim of the current drive was to "reclaim encroached government land for use by citizens as a park".

Residents, however, said that a 2017 land demarcation exercise did not include the areas where the demolition was being carried out. "Buildings are not constructed in one day. Why did DDA and other agencies not say anything when they were being constructed? Why did the revenue department not inform residents when the fresh demarcation was carried out? This is a nexus between politicians from all parties and DDA officials who colluded with builders and are now making us suffer," said a resident, who asked not to be named.

Gahlot on Saturday said several people from the area have come to him with complaints about the ongoing demolition drive.

"Many residents of Village Ladha Sarai have represented against DDA's demolition drive on the basis of faulty demarcation. I have advised Divisional Commissioner & DM south to carry out fresh demarcation in the presence of affected persons," Gahlot tweeted.

Gahlot said the earlier demarcation was conducted without serving any notices to the occupants. "In a meeting on Friday, it was admitted by revenue officials that before the demarcation of the khasra in question, no notice was served to the occupants, and obviously there was no participation of the said occupants at the time of conducting the said demarcation," the minister said.

Zeenat Parveen, a mother of three children, who lived on the top floor of the Orchid Apartments, said, "Last night, at around 9pm, two police officials came to our house and asked us to vacate it by morning. How can one vacate an entire house at such short notice? We have documents, land registry, and other identity cards issued on this address yet DDA demolished the building without any notice," said Parveen.

The building housed nine families. Raju Khertala's family was among them.

Khertala, whose daughter is to get married later this month, was distraught. "My daughter's wedding is in two weeks from now. We are helpless and don't know what to do anymore. How do we continue with the wedding when our house was razed in front of us?," said Khertala

Sahira Bano, 60, said that her mother-in-law had a ration card issued to the address of the house that was demolished near the Jharna locality. "Now, we don't know how we will stay here at night in the open," said Bano.

According to DDA's letter to deputy commissioner of police (south), the drive will continue till March 9 or till the completion of the demolition programme. Residents at Andheria Mor, where the demolition order was pasted in December, also started a sit-in protest on Saturday evening.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NBT संडे नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । 12 फरवरी 2023

टूटते रहे घर, चेहरों पर दिखी बस बेबसी

आधा दर्जन झुग्गियों और 14 फ्लैटों वाली बिल्डिंग पर एक्शन

■ एनबीटी न्यूज, महरौली

डीडीए ने शनिवार को 2 जेसीबी और भारी पुलिस फोर्स के साथ महरौली के झरना वाली गली में कार्रवाई की। अवैध रूप से बसी करीब आधा दर्जन झुग्गियों और 14 फ्लैटों वाली एक बिल्डिंग में तोड़फोड़ की। रिजर्व फॉरेस्ट लैंड पर बसे 3 हजार से अधिक निर्माणों के खिलाफ अभियान के दूसरे दिन सुबह 11:30 के बाद ही कार्रवाई शुरू हो पाई।

अभियान के दूसरे दिन सुबह 11:30 के बाद ही कार्रवाई शुरू हो पाई

शुक्रवार को मुल्तानी मोहल्ला में कार्रवाई के दौरान पुलिस और डीडीए अधिकारियों को लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा था। दोपहर को 8 प्रॉपर्टी को 6 दिन का स्टे मिलने की जानकारी लोगों के बीच फैलने के बाद भी कार्रवाई जारी रही थी। पुलिस का तर्क था कि उनके पास स्टे की कोई जानकारी नहीं आई है। इस स्थिति से गुस्साए लोग शनिवार को डीडीए की कार्रवाई को रोकने के लिए अधिक संगठित होकर गलियों में डटे थे। महिलाएं जेसीबी के सामने से हटने को तैयार नहीं थीं। गली की शुरुआत में ही कार, मोटरसाइकिल लगा दी गई थी, जिससे कि जेसीबी और पुलिस फोर्स गली के अंदर न आ सके। माहौल काफी तनावपूर्ण था। हालात को देखते हुए डीडीए अधिकारियों ने मुल्तानी मोहल्ला की सड़क के दूसरी तरफ झरना वाली गली के बगल में स्थित अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने सबसे पहले झुग्गियों को खाली कराया। इसके बाद फ्लैटों को खाली कराया गया। रविवार को डीडीए की कार्रवाई होगी या नहीं। इसे लेकर संशय बना हुआ है।

झरना वाली गली में कार्रवाई से पहले भारी संख्या में अर्धसैनिक बल और पुलिस के जवान मौजूद रहे

कार्रवाई

- महिलाएं जेसीबी के सामने से हटने को तैयार नहीं थीं
- गली की शुरुआत में ही लोगों ने कार, बाइक लगाकर रास्ता ब्लॉक कर दिया
- पहले झुग्गियों को फिर इसके बाद फ्लैटों को खाली कराया गया

लोगों को 10 दिन का दिया था समयः DDA

■ विस, नई दिल्ली : डीडीए ने स्पष्ट किया है कि महरौली में कार्रवाई पुलिस के सहयोग से चलाई जा रही है। लड्डू सराय गांव में ड्राइव चल रही है। यह जमीन डीडीए की है, जो महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क का हिस्सा है।

डीडीए के अनुसार हाई कोर्ट के निर्देश पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने डीडीए और वक्फ बोर्ड के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में अवैध निर्माण, अतिक्रमण की पहचान और उसे हटाने के लिए डिमार्केशन की प्रक्रिया की थी। यह प्रक्रिया दिसंबर 2021 में की गई थी। यह पार्क ऐतिहासिक कुतुब मीनार से सटा हुआ है और यहां एएसआई, स्टेट आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट और डीडीए की करीब 55 संरक्षित धरोहरें हैं। इस तोड़फोड़ की कार्रवाई से पहले 12 दिसंबर 2022 को अतिक्रमणकारियों को 10 दिन में जगह खाली करने का नोटिस दिया गया था। इस नोटिस को दीवारों पर भी चिपकाया गया था। जिस जगह यह कार्रवाई हुई है, वह डीडीए के लड्डू सराय गांव की जगह है और महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क का हिस्सा है। हाई कोर्ट अथॉरिटी को कई मौकों पर महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क से अतिक्रमण हटाकर उसे सुरक्षित करने के आदेश दे चुका है। डीडीए ने इस पार्क से अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाने और सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करने के लिए यह कदम उठाया है। डीडीए के एक अधिकारी ने बताया कि तोड़फोड़ की यह कार्रवाई 9 मार्च तक प्रस्तावित है। यह ड्राइव जी-20 मीटिंग से एक महीने पहले की जा रही है।

डीडीए ने कहा, करीब 1200 वर्ग मीटर जगह एक दिन में खाली करवाई

अधिकारी के अनुसार ऐतिहासिक पार्क में अतिक्रमण के मामले में कोर्ट इससे पूर्व कई बार संज्ञान ले चुका है।

नए सिरे से किया जाए डिमार्केशन : गहलोत

दिल्ली सरकार ने डीडीए को महरौली में तोड़फोड़ रोकने के दिए निर्देश

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली सरकार ने डीडीए को महरौली में तोड़फोड़ अभियान को रोकने का निर्देश दिया है। डीडीए ने अभियान के लिए राजस्व विभाग के डिमार्केशन का इस्तेमाल किया था, अब दिल्ली सरकार ने अपनी प्रक्रिया में गड़बड़ी मिलने पर इसे रद्द कर दिया है। राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने विवादित क्षेत्र का नए सिरे से डिमार्केशन कराने का आदेश भी दिया है। राजस्व मंत्री ने कहा है कि कब्जाधारियों को बिना कोई नोटिस दिए अंधेरे में रखकर डिमार्केशन किया गया है। उन्होंने साउथ दिल्ली के डीएम को भूमि का नए सिरे से सीमांकन करने और डीडीए को तत्काल इस बारे में सूचित करने के निर्देश दिए हैं।

PTI

शनिवार को भी हुई कार्रवाई

राजस्व मंत्री को इस मामले में मालवीय नगर विधायक सोमनाथ भारती और लाडा सराय गांव के निवासियों से दो आवेदन मिले। इनमें कहा गया कि डीडीए के पास संबंधित भूमि पर अतिक्रमण की पहचान करने के लिए दिल्ली के राजस्व विभाग का डिमार्केशन इकलौता स्रोत है। राजस्व विभाग द्वारा किया गया डिमार्केशन अवैध और शून्य था। यह न तो कानून के अनुसार किया गया था और न ही इससे पहले प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया गया था।

नहीं दिया गया था कोई नोटिस : इस पर संज्ञान लेते हुए राजस्व मंत्री ने तत्काल संबंधित अधिकारियों की बैठक बुलाई। बैठक में पता चला कि विभाग ने डिमार्केशन प्रक्रिया के दौरान उक्त व्यक्तियों को नोटिस जारी नहीं किया था। गहलोत ने महरौली पुरातत्व पार्क का नए सिरे से डिमार्केशन करने का निर्देश साउथ दिल्ली के डीएम को दिया है। आदेश दिया कि जिन व्यक्तियों के प्रभावित होने की संभावना है, उन्हें निष्पक्षता और पारदर्शिता के लिए डिमार्केशन के दौरान मौजूद रहने के लिए कहा जा सकता है।

सरकार की रिपोर्ट पर कई परिवार बेघर: BJP

■ प्रस, नई दिल्ली : महरौली में चले बुलडोजर पर सियासत गर्माने लगी है। दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर का कहना है कि दिल्ली सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के गलत सर्वे रिपोर्ट के चलते दर्जनों परिवार बेघर हो गए। विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की इतनी बड़ी लापरवाही पर रेवेन्यू मंत्री अब सामने आए हैं। वह मान रहे हैं कि हमारे सर्वे रिकॉर्ड में गड़बड़ी है और नए सिरे से सर्वे कराएंगे। पूरी दिल्ली स्तब्ध है कि किसी विभाग के अधिकारी ऐसा कैसे कर सकते हैं कि लोगों के खून-पसीने से बने घर ही खतरे में पड़ जाएं। कपूर का कहना है कि यह गंभीर लापरवाही है। इसके लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट के दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए।

लोगों का आरोप है कि अर्धसैनिक बल और पुलिस ने लोगों पर बल प्रयोग किया

'पुलिस ने कॉलर पकड़कर घसीटकर घरों से निकाला'

■ राम त्रिपाठी, महरौली

डीडीए की कार्रवाई से प्रभावित लोगों का आरोप है कि अर्धसैनिक बल और पुलिस ने कई लोगों को बल पूर्वक घरों से बाहर निकाला था। बिल्डिंग की तरफ आने वाले दोनों रास्तों पर बैरिकेड्स लगाकर पुलिस के जवान शाम तक तैनात कर दिए गए थे। एक घंटे से अधिक समय तक पुलिस ने गली के बाहर किसी को जाने नहीं दिया। लोगों का आरोप है कि उन्हें नजरबंद की स्थिति से गुजरना पड़ा। उन्हीं लोगों को बाहर जाने दिया गया, जो सामान लेकर वहां से कहीं और जाना चाहते थे। किसी बाहरी व्यक्ति को पुलिस ने गली के अंदर नहीं आने दिया। लोगों को मीडिया से भी मिलने नहीं दिया गया था। सुबह से अपने घरों से निकाले गए लोग पूरे दिन उसी गली में अपने सामान के साथ रोते बिलखते खड़े रहे। छोटे बच्चों की हालत बहुत खराब हो रही थी। गली की एक दुकान से लोग बिस्कुट और ब्रेड खरीदकर अपने बच्चों को खिला रहे थे।

एक दूसरे को दे रहे सहारा

फ्लैटों से निकाले गए लोगों के पास कोई दूसरा ठिकाना नहीं था। उन बेसहारा लोगों को वहीं के उन लोगों ने अपने घरों में शरण दी है, जिन्हें 6 दिन का स्टे मिला है या फिर एकाध दिन में उनके घर को भी ढहाने की कार्रवाई होने वाली है। ऐसे ही एक परिवार को अपने घर में रात गुजारने के लिए लेकर आईं ज्योति डगवाल का कहना है कि जब तक हमारा घर कार्रवाई से बचा है, तब तक हम बेघर हुए लोगों को सहारा दे सकते हैं।

डीडीए की 2 जेसीबी ने की तोड़फोड़

- गली में अपने सामान के साथ लोग रोते बिलखते रहे
- किसी बाहरी व्यक्ति को पुलिस ने गली के अंदर नहीं आने दिया

> **पुलिस ने सुबह ही कई लोगों को कॉलर पकड़कर तो कुछ को घसीटकर उनके घरों से बाहर निकाला। पुलिसकर्मी दिनभर गली में खड़े रहे। कहीं बाहर जाने नहीं दिया। पुलिस की बर्बरता के साथ अपनी आंखों के सामने घर को टूटता देख बहुत तकलीफ हुई।**
> – *जिगराज*

> **दिल्ली में घर बनाना खतरनाक होता जा रहा है। कौन सा बिल्डर धोखा करके सरकारी जमीन पर फ्लैट बनाकर बेच दे, कुछ नहीं कह सकते हैं। पता नहीं कब प्रशासन घर तोड़ने पहुंच जाए और परिवार की सारी खुशियां उजड़ जाएं।**
> – *पूजा*

द्वारका की सोसायटियों का होगा सिक्योरिटी ऑडिट

■ विस, द्वारका : द्वारका की सोसायटियों में लगातार सामने आ रहीं चोरी की घटनाएं इलाके की सबसे बड़ी दिक्कत रही है। अब द्वारका की सोसायटियों और डीडीए पॉकेट की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए द्वारका जिले की पुलिस ने यहां सिक्योरिटी ऑडिट कराने का फैसला किया है। इसमें द्वारका की सबसे सुरक्षित सोसायटी का भी चयन किया जाएगा। मकसद सोसायटियों की सुरक्षा व्यवस्था को सुधारना है। यह सुरक्षा ऑडिट तीन चरणों में पूरा होगा। सबसे पहले सोसायटियों से गूगल फॉर्म के जरिए सेल्फ ऑडिट करने के कहा गया है। सोसायटियों को 12 फरवरी तक ये फॉर्म भरकर जमा करवाने हैं। खबर लिखे जाने तक 300 से अधिक फॉर्म सब्मिट हो चुके हैं। इस फॉर्म में सोसायटियों से कई तरह की जानकारियां मांगी गई हैं। जैसे एरिया में कितने फ्लैट्स हैं, कितने एंट्री गेट हैं, कितने सिक्योरिटी गार्ड हैं, गार्ड ट्रेंड हैं या नहीं, सुरक्षा के लिए किसी ऐप या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, इलाके में कितने सीसीटीवी कैमरे हैं?

योजना

- दिल्ली पुलिस सुरक्षा इंतजामों का लेगी जायजा
- सबसे सुरक्षित सोसायटी को सम्मानित भी किया जाएगा

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---हिन्दुस्तान---DATED---नई दिल्ली रविवार 12 फरवरी 2023

राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने विवादित क्षेत्र का नए सिरे से सीमांकन कराने का आदेश दिया, प्रक्रिया में गड़बड़ी मिली

दिल्ली सरकार ने महरौली में तोड़फोड़ रोकने के निर्देश दिए

नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। दिल्ली सरकार ने डीडीए को महरौली में तोड़फोड़ अभियान रोकने के निर्देश दिए हैं। डीडीए ने तोड़फोड़ अभियान के लिए राजस्व विभाग के सीमांकन का उपयोग किया था, लेकिन दिल्ली सरकार ने अपनी प्रक्रिया में गड़बड़ी मिलने पर सीमांकन को रद्द कर दिया है।

राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने विवादित क्षेत्र का नए सिरे से सीमांकन कराने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि कब्जाधारियों को बिना कोई नोटिस दिए अंधेरे में रखकर सीमांकन किया गया है। उन्होंने जिलाधिकारी (दक्षिण) को भूमि का नए सिरे से सीमांकन करने और डीडीए को तत्काल इस बारे में सूचित करने का निर्देश दिया है।

महरौली पुरातत्व पार्क के सीमांकन के नाम पर दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) महरौली विधानसभा क्षेत्र में तोड़फोड़ अभियान चला रहा है। गहलोत को इस मामले में मालवीय नगर विधायक सोमनाथ भारती और लाडो सराय गांव के निवासियों से दो आवेदन प्राप्त हुए। इनमें कहा गया कि डीडीए के पास संबंधित भूमि पर अतिक्रमण की पहचान करने के लिए दिल्ली के राजस्व विभाग का सीमांकन एकमात्र स्रोत है।

नई दिल्ली में शनिवार को महरौली में डीडीए द्वारा अतिक्रमण विरोधी अभियान के खिलाफ प्रदर्शन करते लोग। • हिन्दुस्तान

वेलकम में भी झुग्गियों पर चला निगम का बुलडोजर

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली नगर निगम का बुलडोजर शनिवार को वेलकम झील पार्क और रोड नंबर 65 के फुटपाथ पर रहने वाले झुग्गीवासियों पर चला। भारी पुलिस बल के साथ निगम के अतिक्रमण हटाओ दस्ते ने दोपहर तक कार्रवाई करते हुए करीब 30 से अधिक झुग्गियों को तोड़ डाला इस दौरान वहां रहने वाले बच्चे तालियां बजाकर निगम दस्ते का विरोध कर रहे थे, लेकिन टीम पर विरोध का कोई असर नहीं पड़ा।

जी-20 सम्मेलन के मद्देनजर राजधानी के सभी क्षेत्रों में अतिक्रमण के खिलाफ निगम ने बड़े पैमाने पर अभियान चला रखा है। शनिवार को वेलकम झील पार्क की दीवार से सटी झुग्गी बस्ती में कार्रवाई की गई। निगम दस्ता करीब साढ़े 11 बजे वेलकम थाने की पुलिस के साथ रोड नंबर 65 पर पहुंचा, जिसकी अगुवाई शाहदरा उत्तरी जोन के प्रशासनिक अधिकारी मोहन मिश्रा कर रहे थे। करीब दो बजे जाकर झुग्गियों को तोड़ा गया। इस दौरान वहां रहने वाली महिलाएं अधिकारियों को उनके आशियाने ना उजाड़ने के लिए मिन्नतें करती रही, लेकिन निगम की कार्रवाई नहीं थमी।

30 झुग्गी तोड़ी, विरोध में बच्चों ने तालियां बजाई

निगमायुक्त कार्यालय और वेलकम झील की दीवार से सटी इस झुग्गी बस्ती को लेकर उपायुक्त संजीव मिश्रा ने लाइसेंसिंग विभाग के निरीक्षकों को आदेश दिए हैं कि अगर यहां दोबारा अतिक्रमण किया जाता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएं।

कोर्ट के आदेश पर हो रही कार्रवाई : डीडीए

डीडीए का कहना है कि सरकारी भूमि पर अनाधिकृत अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया गया है, जिसमें एएसआई स्मारकों को सरक्षित किया गया है। 12 दिसंबर 2022 को संबंधित इलाके में डेमोलिशन का अभियान चलाने के लिए आदेश दिया गया था।

तत्काल बैठक बुलाई : राजस्व मंत्री ने तत्काल संबंधित अधिकारियों की बैठक बुलाई। इसमें सामने आया कि विभाग ने सीमांकन प्रक्रिया के दौरान उक्त व्यक्तियों को नोटिस जारी नहीं किया था।

विरोध के बीच दूसरे दिन भी तोड़फोड़

नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। महरौली में विरोध-प्रदर्शनों के बावजूद डीडीए ने शनिवार को भी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। अधिकारियों ने बताया कि एक दिन पहले महरौली पुरातत्व पार्क क्षेत्र में अभियान के दौरान लगभग 1,200 वर्ग मीटर सरकारी भूमि को फिर से हासिल किया गया था। स्थानीय लोगों के विरोध के बीच डीडीए ने अभियान जारी रखा।

अभियान के दौरान मौके पर बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए थे। स्थानीय निवासियों ने कहा कि डीडीए ने अंधेरिया मोड़ स्थित औलिया मस्जिद के पास दो-तीन मंजिला इमारतों को झोपड़ियों सहित गिरा दिया था। बृजवासी के आम बाग में डीडीए की जमीन पर अवैध तरीके से कई तीन और चार मंजिला ढांचों का निर्माण किया गया था। डीडीए अधिकारियों की एक संयुक्त टीम ने शुक्रवार को घौसिया स्लम कॉलोनी में एक अवैध निर्माण को ध्वस्त किया था। बृजवासी कॉलोनी और सी-ब्लॉक में एक इमारत को भी ध्वस्त किया गया और अन्य को आंशिक रूप से हटा दिया। ये क्षेत्र महरौली पुरातत्व पार्क के करीब स्थित हैं। यहां की कुछ जमीन डीडीए की है, जबकि कुछ अन्य हिस्सों पर पिछले एक दशक में इमारतें और झुग्गियां बनी हैं।

सामान निकालने का मौका नहीं दिया

मेहता चौक निवासी अरविंद ने बताया कि गुरुवार रात उन्हें नोटिस मिला और शनिवार सुबह बुलडोजर पहुंच गया। उन्होंने कहा कि डीडीए को अगर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करनी थी तो एक जगह से करता। आरोप लगाया कि घर से निकालने जा रहे थे, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई और बुलडोजर चला दिया।

रजिस्ट्री कराते समय नहीं बताया गया...

डीडीए की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि जिस जमीन पर यह घर बने हैं, वह महरौली पुरातत्व पार्क का हिस्सा है। पर्ल रेजिडेंसी में रहने वाले गगनदीप ने कहा कि सोसायटी का निर्माण 2020 में पूरा हुआ और हमने 2021 में फ्लैट खरीदा। जब फ्लैट बन रहे थे, तब डीडीए कहा था? जब हमने प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराई और म्यूनिसिपल टैक्स भरा, तब भी हमें किसी ने कुछ नहीं बताया तो इसमें हमारी गलती नहीं हो सकती।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

TIMES CITY

SUNDAY TIMES OF INDIA, NEW DELHI
FEBRUARY 12, 2023

Stay for a few, Mehrauli demolition continues

DDA Says Drive Essential As Houses Are On Govt Land, Residents Claim No Illegality Was Ever Pointed Out

Abhinav.Rajput@timesgroup.com

New Delhi: Mehrauli remained tense on Saturday with people agitating as Delhi Development Authority continued its demolition exercise, which had begun on Friday. While 10 apartment complexes had acquired a court stay order against any demolition, DDA said that the drive was necessary since the land on which the houses were built was government land and had ASI-protected monuments sited on it.

While the court order was respected, DDA demolished houses and shanties that did not have the court's protection on Saturday. After the Orchid Apartment walls were brought down, several shanties were also razed.

Hori Lal, resident of Orchid, said, "My flat was built in 2019 and we purchased it in 2022. Since the registration was done by Delhi government, we thought everything was above board. Now we find ourselves on the road. My three children and two daughters-in-law don't have a roof above their heads."

Residents had a common complaint that no illegality was pointed out to them when the buildings were being built over the past six-seven years under the very nose of the administration. "All government agencies are fully aware. Our houses were registered by Delhi government," said an irked Raju Khertla, whose apartment was torn down. Khertla, who irons clothes for a living, said, "I sold a house in Sangam Vihar to purchase this flat for Rs 15 lakh. My daughter's marriage is on February 23 and look at my state."

While the court order was respected, DDA demolished houses and shanties that did not have the court's protection on Saturday

Jyoti Dangwal, who lived in a nearby society, similarly asked, "If it was illegal, why wasn't the construction stopped? If work had been halted, people wouldn't have purchased the flats at that time." Amit Chaudhary, resident of Pearl Residency, which has got a court stay order, added, "Because registry work wasn't difficult, people were prompted to buy the flats."

On Saturday, people parked their cars across the road to deny passage to the bulldozer. DDA said, "All stakeholders, including Delhi government, have been on board in the run up to this long pending, court-mandated demolition. A demarcation exercise to identify the extent of unauthorised and illegal encroachment/construction, had been carried out in December 2021 as per the direction of Delhi High Court by the revenue department in the presence of DDA and Waqf Board representatives."

DDA said that it had reclaimed 1,200 square metres of government land. A notice dated December 12 had directed the encroachers to remove all the unauthorised construction from the land in question within 10 days. On many occasions, Delhi has directed the government authorities to secure, protect and preserve land falling under the Mehrauli Archaeological Park from encroachments.

Govt orders new demarcation study, alleges occupants were kept in dark

Abhinav.Rajput
@timesgroup.com

Photos: Sanjeev Rastogi

In its notice, DDA said the reason for the demolition was that the land on which the houses were built was part of Mehrauli Archaeological Park

New Delhi: A day after Delhi Development Authority carried out a demolition drive in Mehrauli that led to large-scale protests by the residents, revenue minister Kailash Gahlot on Saturday ordered a fresh demarcation to be conducted in the area.

Gahlot has directed the district magistrate (South) to carry out a fresh demarcation exercise of Mehrauli Archaeological Park situated in village Ladha Sarai, said Delhi government.

Several shanties and a couple of apartments were demolished during the drive. DDA earlier stated that the exercise was being carried out in compliance with court directions. In its notice to the residents, DDA said the reason for the demolition was that the land on which the houses were built was part of Mehrauli Archaeological Park.

Over 10 apartment complexes have, however, taken a stay order from Delhi High Court. The court will hear their matter on January 16 and 18.

Gahlot alleged that the demarcation had been conducted by keeping the occupants in dark and without serving any notices to them. On Saturday, the minister called for a meeting of the officials concerned over the matter. In the meeting, it was observed that "the department had not issued notices to individuals while carrying out the demarcation exercise".

"It is an admitted position that the village, Ladha Sarai, is a densely populated area. Buildings and residential houses in the village are very old. It was admitted by revenue officials that before the demarcation, no notice was served to the occupants and obviously there was no participation of the occupants at the time of conducting the demarcation. Thus, it is apparent that the demarcation has been conducted by keeping the occupants in dark and no hearing of any nature whatsoever was given to the aggrieved persons," Gahlot claimed.

He has ordered that during the fresh demarcation exercise, the residents who are likely to get affected may be asked to remain present for fairness and transparency.

A senior DDA official told **TOI** that demarcation is a quasi judicial operation. "In this case, the DM or SDM can re-examine it but only to the extent that whether the correct process was being followed during the demarcation. They cannot change the decision based on some other ground or just because they feel that the area has now been inhabited," he asserted.

DDA earlier stated that the demolition would be done as per the demarcation report prepared in 2021.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

THE SUNDAY EXPRESS, FEBRUARY 12 2023

HARDLOOK

In Mehrauli, homes, dreams crumble

Amid DDA demolition of their homes, residents ask why authorities are targeting them now after being oblivious for years

ABHINAYA HARIGOVIND
NEW DELHI FEBRUARY 11

RAJU KHARTLA and Horee Lal, residents of a four-storey building in Mehrauli, stood on the road amid their possessions as the Delhi Development Authority (DDA) pulled the walls of their building down on Saturday.

By evening, the building had gaping holes where the walls once were, revealing a cot, a cupboard, a painting and calendar on the wall and curtains still lying in some of the 10 homes that were hastily vacated in the morning. Right outside the building, 'Orchid Apartment' geysers, mattresses and utensils lay on the ground.

"A month ago, some notices were stuck in the locality. But we didn't know what that was about. Last night, around 9 pm, two policemen came and told us we will have to vacate and the building will be demolished the next morning. Nothing could be moved overnight and, in the morning, the CRPF, police and DDA officials were here to empty the building," said Khartla's son-in-law Kuldeep Dhariyal, 34.

Khartla, 57, irons clothes for a living and was prepping for his daughter's wedding, scheduled for February 23. Khartla and his family of four had sold another property in Sangam Vihar and bought the flat around three-four years ago at a cost of around Rs 17 lakh, he said. "We didn't think there was anything illegal about this. The property was registered," he added.

Lal, 55, a halwai, moved into the building about a year ago. "It was registered in my son's name. Flats in the building cost anywhere between Rs 18 lakh and 22 lakh. For work, I moved here from Agra where we have some agricultural land," said Lal, whose family of around 10 lived in a 2BHK in the building. Both Khartla and Lal were unsure about where they would go next. "We will look for something temporary tonight and then see tomorrow," Lal said. All 10 units in the building were occupied, residents said.

In addition to the multi-storey building, two earthmovers worked together to bring down three smaller homes in the neighbourhood Saturday. Among them were residents who were incensed that some of the other multi-storey buildings in the area had managed to procure a stay order from the High Court, while their homes were demolished. The High Court's status quo order came for eight plot numbers in ward 8, Mehrauli.

Shaheen, 22, whose house was pulled down, said, "Our houses are already gone, and there were at least 11 people living here. What was the point of ordering a halt on the demolition after it was done? I've been living since I was born and the house has been around for longer."

On Saturday afternoon, Reeba Saifi, 34, and her daughter Aleena emptied their house, the latter carrying the books she needed for the upcoming class 12 exams. "They came in the afternoon and told us to vacate the house. Notices were issued some time ago, but where are we to go? Now we'll have to look for something on rent. The bigger buildings have got a stay and our homes have gone," said Reeba, who lives with three daughters and a son and works in a beauty parlour. A portion of their house was demolished on Saturday evening.

Around 4 pm, a communication from the Delhi government said that Revenue Minister Kailash Gahlot has ordered fresh demarcation to be conducted in the disputed area and that the "Kejriwal government intervenes in Mehrauli demolition drive; asks DDA to stop demolition". Nevertheless, demolition continued till around 6 pm. The CRPF, police, DDA officials and earthmovers left by 6 pm, leaving rubble behind.

Gahlot has directed the District Magistrate (South) to conduct fresh demarcation of the land in the area and ensure people who are likely to be affected are present during the exercise. A communication from Gahlot's office said that the minister had received two representations on the matter from Malviya Nagar MLA Somnath Bharti and residents of the Ladha Sarai village, and a meeting of officials was held.

"It was also stated in the said representations that demarcation carried out by the Revenue Department was illegal and void-ab-initio and was neither done in accordance with law nor the principles of natural justice were followed prior to the same... In the meeting it was observed that the department had not issued notices to the said individuals while carrying out the demarcation exercise among other fallacies in the process," the communication said.

Gahlot said, "It is an admitted position that village Ladha Sarai is a densely populated area and the building/residential houses in the said village are very old. In a meeting dated 10.02.2023, it was admitted by Revenue officials that before the demarcation... no notice was served to the occupants... and obviously there was no participation of the said occupants at the time of conducting the said demarcation. Thus, it is apparent that said demarcation has been conducted by keeping occupants in dark and no hearing of any nature whatsoever was given to the aggrieved persons."

Residents of those buildings where the High Court has ordered that status quo be maintained, meanwhile, remain a worried lot. Most have loans to pay off and said they had no reason to suspect the buildings were illegal. Residents in multiple buildings in the area were unsure about whether they should prepare to move out despite the court order.

On Saturday, these buildings had the court order pasted on the walls outside. At Pearl Residency, which lies down a narrow lane with a row of four-five storey buildings, Amit Chaudhury, 34, who works at an MNC, said the property itself was five years old. "The notice that was pasted on the walls on December 12 did not mention the khasra number that our property lies in. It's on the basis of this that we've got the stay. Our properties are registered. Electricity and water supply was cut briefly yesterday before the status quo order," said Chaudhury.

The building has around 15 flats with a single one costing around Rs 35 lakh. Chaudhury said the builders of the multi-storey buildings in the area were all different but were mostly local builders from Mehrauli. Pearl Residency, for instance, had two different builders, he said.

"This is for no fault of ours. Banks are involved since our loans have been sanctioned. Property tax is being paid. Now we're waiting for the court to decide," said Praveen Prabhanjan, 40, who works in a private company. Their building lies next to an unoccupied building that was partially demolished Friday, one in which all units had been sold, according to residents in the area.

> **"In a meeting dated 10.02.2023, it was admitted by Revenue officials that before demarcation... no notice was served to occupants... it is apparent that said demarcation has been conducted by keeping occupants in dark..."**
>
> **— KAILASH GAHLOT**
> DELHI REVENUE MINISTER

Kusum Srivastava, a resident since 2019 of Forest View Apartments that is among the buildings on which status quo has been ordered, said most buildings in the area have come up in the past five to seven years. "When the building was being made, what was the DDA doing? The demarcation needs to be done again," she said. Sheetal Thakur, 43, a resident of Blue Sky Apartment, a four-storey building on which the status quo order applies, said she moved into the building a year ago. "This building came up only about a year ago. We paid 22 lakh and have a loan on it. The EMI was, in fact, just paid yesterday. We were living on rent in Chhatarpur before," said Sheetal, an employee at a private company.

Sheetal also said the builders were from Mehrauli and that they had heard of the houses in the building by word of mouth.

In a release, the DDA said a demolition order was pasted on December 12, 2022, asking to remove unauthorised construction from the land in 10 days. The DDA has said the land involved in the demolitions is "government/ DDA" land of Ladha Sarai village and is part of the Mehrauli Archaeological Park, housing around 55 protected monuments. The drive to clear "encroachments" began on February 10 and "all stakeholders, including GNCTD, have been on board in the run up to this long pending, Court-mandated exercise", the DDA said in the release.

"A demarcation exercise to identify extent of unauthorised and illegal encroachment/construction, for the purpose of removing them, had been carried out as per direction of the Hon'ble High Court by the Revenue Department, representatives, in the presence of DDA and Waqf Board representatives in December 2021," it said.

"The Hon'ble High Court of Delhi has, on many occasions, directed the government authorities to secure, protect and preserve the area falling under Mehrauli Archaeological Park by removing illegal encroachment," the DDA said. The land is being reclaimed for its "rightful use by all citizens as a park", it added.

Delhi BJP spokesperson Praveen Shankar Kapoor said: "Mehrauli has been witnessing a demolition drive based on Delhi government's Revenue Department records and surprisingly, when dozens of houses were demolished today, we find Revenue Minister Gahlot coming out to say that there are fallacies in the old survey of his department and we are ordering a new survey." Pointing to the "callousness" of the government in giving the DDA "a wrong survey report", Kapoor said authorities should "consider putting the demolition drive in abeyance pending proper survey".

During the DDA demolition drive at Mehrauli, Saturday.
Photos: Praveen Khanna

WHAT HAS HAPPENED SO FAR

FEB 10

- Drive begins; DDA demolishes several shanties and multi-storey buildings
- Authority says land involved in demolition is "government/DDA" land of Ladha Sarai village and is part of Mehrauli Archaeological Park
- Residents stage protest
- HC orders status quo for 8 plot numbers in ward 8

FEB 11

- 5 buildings, shanties demolished as of Saturday evening
- Delhi Revenue Minister Kailash Gahlot directs District Magistrate (South) to conduct fresh demarcation of land in area

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE
दैनिक जागरण नई दिल्ली, 12 फरवरी, 2023

पीड़ितों ने कहा, अगर अतिक्रमण है तो जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ होनी चाहिए कार्रवाई

रजनीश कुमार पाण्डेय • दक्षिणी दिल्ली

- स्थानीय लोगों ने पूछा, सरकारी भूमि पर कैसे मिली निर्माण की अनुमति, कैसे बने कागजात
- कहा, हर महीने कैसे आ रहा बिजली और पानी का बिल, अधिकारियों ने तब क्यों नहीं रोका
- डीडीए, बिजली विभाग, दिल्ली नगर निगम और जल बोर्ड के अधिकारियों ने साधी चुप्पी

महरौली इलाके में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा चलाया जा रहा अतिक्रमण हटाओ अभियान स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। साथ ही लोग तमाम विभागों के अधिकारियों से पूछ रहे हैं कि अगर यह अतिक्रमण है, तो डीडीए ने इसे पहले क्यों नहीं रोका। इस जमीन पर घर बनाने के लिए बैंकों से लोन कैसे मिला? बिजली और पानी का कनेक्शन कैसे मिला? इतना ही नहीं, रजिस्ट्री तक कैसे हो गई? उन विभागों के अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, जिनसे यह अनुमति मिली? इस पर डीडीए, बिजली विभाग, दिल्ली नगर निगम और दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों से जवाब मांगा गया, तो इन विभागों के अधिकारी चुप्पी साधे रहे।

स्थानीय लोगों का कहना है कि बिल्डरों ने फ्लैट बनवाए और लोगों ने खरीदे। जिले के राजस्व विभाग ने फ्लैटों की रजिस्ट्री की, बिजली विभाग ने बिजली व जल बोर्ड ने पानी का कनेक्शन दिया, लेकिन डीडीए की जमीन होने के बावजूद इस पूरी प्रक्रिया में कहीं कोई अड़चन नहीं आई। कई लोगों ने बैंक से इन फ्लैटों के लिए लोन भी करा रखा है, जिसकी ईएमआइ भी हर माह जा रही है। आखिर सरकारी जमीन पर इतना कुछ सरकारी काम गैर सरकारी ढंग से कैसे हो रहा है? क्या पूरी प्रक्रिया के दौरान किसी भी अधिकारी को यह पता नहीं चल सका कि यह जमीन डीडीए को महरौली पुरातत्व पार्क के लिए आवंटित है?

इन घरों में हर महीने बिजली-पानी का बिल भी आता है। स्थानीय लोग आरोपित अधिकारियों व विभागों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, क्योंकि पीड़ितों के पास मकान की रजिस्ट्री से लेकर अन्य सारे कागजात मौजूद हैं। उनका आरोप है कि यदि यह जमीन डीडीए की थी, तो डीडीए अभी तक कहां था? आखिर कैसे उन लोगों को सरकारी जमीन की रजिस्ट्री मिल गई और अब तक हजारों फ्लैट बनते रहे?

हम लोग सपत्ति कर, बिजली बिल और सभी तरह की कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरते हुए यहां अपने घरों में रह रहे हैं। हमारे पास घर के सारे कागजात है। आज डीडीए हमारे घरों में घुसकर उसे अपनी जमीन बता रहा है। डीडीए की बाउंड्री यहां बनी हुई है, लेकिन फिर भी डीडीए कह रहा है कि इसके आगे भी हमारी जगह है। किसी को 15 फरवरी, किसी को 19 फरवरी तक का स्टे मिला हुआ है। बाकी लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं।

-इमरान, स्थानीय निवासी

मैंने अदालत से घर खाली करने के लिए समय मांगते हुए 16 फरवरी तक के लिए स्टे ले रखा है। पहले जब घर बना रहे थे, तब किसी ने नहीं रोका। फ्लैट खरीदकर रहने लगे, तब भी किसी ने नहीं रोका। 12-14 अपार्टमेंट में लगभग 5,000 फ्लैट बनाकर बिल्डर बेचते रहे, तब भी उन्हें नहीं रोका गया। अब जब हम लोग सुख चैन से यहां रह रहे थे, तो अचानक यह सरकारी जगह हो गई और इसका खामियाजा अब केवल हमें भुगतना पड़ रहा है।

-मंडन झा, स्थानीय निवासी

सबसे पहले तो उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, जिन्होंने बिल्डरों को सरकारी जमीन पर अवैध रूप से फ्लैट बनाने दिया। उन्होंने बीएसईएस से बिजली का कनेक्शन लिया, जल बोर्ड से पानी का कनेक्शन लिया, राजस्व विभाग से जमीन की रजिस्ट्री कराई और दिल्ली नगर निगम ने भी इस अतिक्रमण को नहीं रोका। इन सभी विभाग के अधिकारियों के साथ डीडीए के अधिकारियों से भी पूछताछ की जानी चाहिए कि आखिर उन्होंने इसे समय पर क्यों नहीं रोका। फिलहाल बोर्ड की परीक्षाएं सिर पर हैं और घर तोड़े जा रहे हैं। ऐसे में अभिभावकों में काफी चिंता है। कम से कम बोर्ड परीक्षा के होने तक राहत मिलनी ही चाहिए।

-योगेश कौशिक, स्थानीय निवासी

जीवनभर की कमाई से बनाए गए मकान तोड़े जा रहे हैं। हमारे छोटे-छोटे बच्चे हैं। उनकी पढ़ाई और पालन-पोषण के लिए हम उन्हें कहां लेकर जाएंगे? डीडीए की जमीन जिसे पुरातत्व पार्क का बनाने की बात की जा रही है, लगभग 20 वर्ष से वह केवल मक्खी-मच्छरों और गंदगी का अड्डा बना हुआ है। वहां से केवल हम लोगों को बीमारियां मिली हैं, और कुछ नहीं।

-माजिद खान, स्थानीय

महरौली में लगातार दूसरे दिन अवैध निर्माण पर चला हथौड़ा

एक महीने तक चलेगा दिल्ली विकास प्राधिकरण का अतिक्रमण हटाओ अभियान

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली : वर्षों से हो रहे अतिक्रमण के बाद नींद से जागे दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने महरौली क्षेत्र में लगातार दूसरे दिन शनिवार को भी अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। क्षेत्र के लढ्ढा सराय गांव स्थित महरौली पुरातत्व पार्क की जमीन पर दूसरे दिन कई फ्लैटों पर डीडीएकर्मियों ने हथौड़ा चलाया। हालांकि, कुछ लोगों ने घर खाली करने के लिए समय मांगते हुए अदालत से स्टे ले लिया है, जिसके कारण वे बचे रहे। किसी भी तरह के उपद्रव को रोकने के लिए मौके पर अर्धसैनिक बल व दिल्ली पुलिस के जवान तैनात रहे। अभियान का विरोध करने पहुंचे स्थानीय पार्षद के पति को हिरासत में ले लिया गया। डीडीए का यह अभियान एक महीने तक चलेगा।

महरौली स्थित लढ्ढा सराय गांव में बुलडोजर के सामने खड़ी स्थानीय महिलाओं को हटाते पुलिसकर्मी • जागरण

दिल्ली पुलिस के सहयोग से डीडीए महरौली इलाके में महरौली पुरातत्व पार्क में पड़ने वाले लढ्ढा सराय गांव में अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रहा है। पार्क में एएसआइ, दिल्ली सरकार के राज्य पुरातत्व विभाग और डीडीए के लगभग 55 स्मारक हैं। पूर्व में 12 दिसंबर, 2022 को अतिक्रमण कर बनाए गए घरों पर नोटिस चस्पा किया गया था और 10 दिन के भीतर विवादित भूमि से अनधिकृत निर्माण को हटाने का निर्देश दिया गया था। मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने कई बार अधिकारियों को अतिक्रमण हटाकर महरौली पुरातत्व पार्क के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को सुरक्षित और संरक्षित करने का निर्देश दिया था। इसी के तहत विभाग द्वारा सरकारी जमीन से कब्जा हटाने व पुरातत्व पार्क को अतिक्रमणमुक्त करने की कार्रवाई की जा रही है।

इससे पहले दिसंबर 2021 में दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग द्वारा डीडीए और वक्फ बोर्ड के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में हाई कोर्ट के निर्देश पर सीमांकन अभ्यास किया गया था। डीडीए द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, शुक्रवार को लगभग 1200 वर्ग मीटर सरकारी जमीन खाली करवाई गई थी। फिलहाल शनिवार को खाली कराई गई जमीन के आंकड़े के बारे में विभाग ने कोई जानकारी नहीं दी है।

- महरौली पुरातत्व पार्क को कब्जे से मुक्त कराने के लिए अर्धसैनिक बल के साथ पुलिस भी तैनात
- पार्क में एएसआइ, दिल्ली सरकार के राज्य पुरातत्व विभाग और डीडीए के हैं लगभग 55 स्मारक

लढ्ढा सराय में अतिक्रमण कर बनाए गए फ्लैटों को तोड़ते डीडीएकर्मी • जागरण

डीडीए की कार्रवाई के विरोध में खुलकर सामने आई दिल्ली सरकार

तोड़फोड़ तत्काल रोके डीडीए : गहलोत

- डीडीए ने राजस्व विभाग के सीमांकन का कार्रवाई में किया इस्तेमाल, खामी मिलने पर सरकार ने सीमांकन को किया रद
- राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा- कब्जाधारकों को बिना कोई नोटिस दिए और अंधेरे में रखकर किया गया था सीमांकन
- जिलाधिकारी (दक्षिण) को भूमि का नए सिरे से सीमांकन कर डीडीए को तत्काल इस संबंध में सूचना देने का दिया निर्देश

कैलाश गहलोत •

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली: दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार महरौली में दो दिन से चल रहे डीडीए के अतिक्रमण हटाओ अभियान के विरोध में खुलकर सामने आ गई है। सरकार ने डीडीए को महरौली में तोड़फोड़ अभियान को तत्काल रोकने के लिए कहा है। सरकार का कहना है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने अभियान के लिए राजस्व विभाग के सीमांकन का उपयोग किया था, लेकिन सरकार ने अपनी प्रक्रिया में गड़बड़ी मिलने पर सीमांकन को रद कर दिया है। राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने विवादित क्षेत्र का नए सिरे से सीमांकन कराने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि कब्जाधारकों को बिना कोई नोटिस दिए और उन्हें अंधेरे में रखकर सीमांकन किया गया है। उन्होंने जिलाधिकारी (दक्षिण) को भूमि का नए सिरे से पैमाइश कर सीमांकन करने और डीडीए को तत्काल इस बारे में सूचित करने का निर्देश दिया है।

दिल्ली सरकार ने महरौली में अतिक्रमण हटाओ अभियान के इस मुश्किल समय में महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किया है। महरौली पुरातत्व पार्क के सीमांकन के नाम पर डीडीए महरौली विधानसभा क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रहा है। राजस्व मंत्री गहलोत को इस मामले में मालवीय नगर के विधायक सोमनाथ भारती और लाडो सराय गांव के निवासियों से दो आवेदन मिले थे। इनमें कहा गया कि डीडीए के पास संबंधित भूमि पर अतिक्रमण की पहचान करने के लिए दिल्ली के राजस्व विभाग का सीमांकन एकमात्र स्रोत है। राजस्व विभाग द्वारा किया गया सीमांकन अवैध और शून्य था। यह न तो कानून के अनुसार किया गया था और न ही इसमें प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया गया था। आवेदनों में अनुरोध किया गया था कि इस मामले का तत्काल संज्ञान लिया जाए और राजस्व अधिकारियों को उप सीमांकन प्रतिवेदन को निरस्त करने के निर्देश जारी किए जाएं।

इस पर राजस्व मंत्री ने तत्काल मामले को लेकर संबंधित अधिकारियों की बैठक बुलाई, जिसमें सामने आया कि विभाग ने सीमांकन प्रक्रिया के दौरान किसी को नोटिस जारी नहीं किया था। सीमांकन के तरीके को सही नहीं बताते हुए गहलोत ने कहा कि लाडो सराय गांव घनी आबादी वाला क्षेत्र है और गांव में मकान बहुत पुराने हैं। इसके अलावा 10 फरवरी, 2023 को हुई बैठक में राजस्व अधिकारियों ने स्वीकार किया कि खसरा संख्या के सीमांकन से पहले इन खसरे के कब्जाधारकों को कोई नोटिस नहीं दिया गया था। ऐसे में स्पष्ट रूप से सीमांकन प्रक्रिया के दौरान उन कब्जाधारकों की कोई भागीदारी नहीं थी। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि रहने वालों को अंधेरे में रखकर सीमांकन किया गया है। पीड़ितों की कहीं किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई।

भाजपा के इशारे पर की जा रही है कार्रवाई : सिसोदिया

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि महरौली में हो रही डीडीए की तोड़फोड़ कार्रवाई भाजपा के इशारे पर हो रही है। यह सब भाजपा करवा रही है, क्योंकि उसे तोड़फोड़ करना और लोगों को उजाड़ना ही आता है। उनकी पार्टी इस कार्रवाई का कड़ा विरोध करती है।

दिल्ली सरकार के सर्वे के आधार पर ही हो रही कार्रवाई : भाजपा

जासं, नई दिल्ली : महरौली में हुई डीडीए की ओर से अवैध निर्माण पर की जा रही कार्रवाई पर भाजपा ने दिल्ली की आप सरकार पर निशाना साधा है। भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि दो दिन से महरौली में दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग के सर्वे रिकार्ड के आधार पर कार्रवाई हो रही है। दुख की बात है कि कई मकान टूट जाने के बाद राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत कह रहे हैं कि सर्वे रिकार्ड में गड़बड़ी है और हम नए सर्वे के आदेश दे रहे हैं। कपूर ने कहा कि पूरे मामले में आप सरकार गुमराह कर रही है और दिल्ली के लोग केजरीवाल सरकार के गलत सर्वे रिकार्ड देने के मामले से अचंभित हैं। इस सर्वे के कारण ही लोगों के घर टूटे हैं। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग के अधिकारियों को चाहिए कि सही सर्वे रिकार्ड उपलब्ध होने पर ही आगे की कार्रवाई की जाए।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---

। नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । सोमवार, 13 फरवरी 2023

तीसरे दिन भी चला बुलडोज़र

महरौली: लोगों का आरोप, पुलिस ने लाठीचार्ज किया

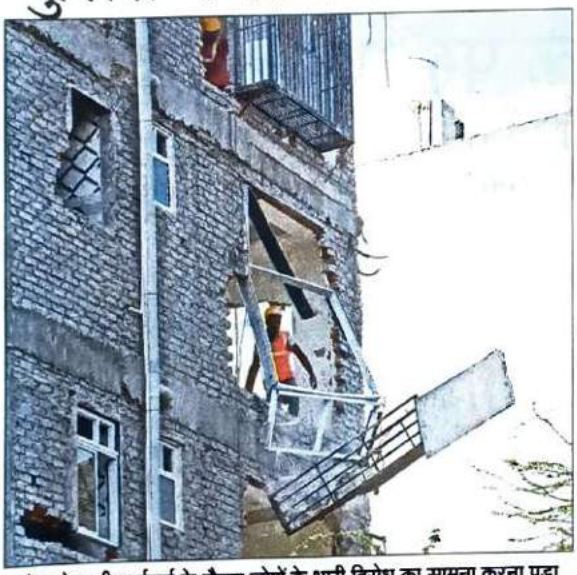

तोड़फोड़ की कार्रवाई के दौरान लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

कुतुब मीनार के पास महरौली इलाके में बने अवैध निर्माण पर चल रही डीडीए की तोड़फोड़ की कार्रवाई के दौरान रविवार को डीडीए अधिकारियों और पुलिस फोर्स को स्थानीय लोगों का भारी विरोध का सामना करना पड़ा। आरोप है कि कुछ महिलाओं ने पुलिस फोर्स के उपर लाल मिर्च फेंक दी। लोगों का आरोप है कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया। यहां तक कि महिलाओं को भी नहीं बख्शा और उनपर भी बल प्रयोग किया। पुलिसिया कार्रवाई में कुछ लोग घायल भी हो गए।

मामले में साउथ दिल्ली की डीसीपी चंदन चौधरी का कहना है कि यह सही है कि कुछ महिलाओं ने पुलिस वालों के उपर लाल मिर्च का पाउडर फेंका। इससे पुलिसवालों की आंखों में जलन हो गई। लेकिन यह बात सही नहीं है कि पुलिस की ओर से महिलाओं या वहां के लोगों पर कोई लाठीचार्ज किया गया। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि डीडीए की कार्रवाई में ना तो पुलिस की ओर से कोई लाठीचार्ज किया गया और ना ही कोई स्थानीय नागरिक घायल हुआ है। हां, कुछ महिलाओं ने जो पुलिस के उपर लाल मिर्च का पाउडर फेंककर सरकारी काम में बाधा डालने की कोशिश की थी।

> जबकि पुलिस ने स्पष्ट किया, नहीं किया गया लाठीचार्ज

पुलिस का कहना है कि कुछ लोगों को हिरासत में जरूर लिया गया है। इनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पुलिसवालों को निर्देश है कि वह लाठीचार्ज जैसा कोई भी कदम ना उठाएं। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए साउथ दिल्ली पुलिस के अलावा अर्द्धसैनिक बल मौके पर तैनात किया गया है।

Photos: Sanjeev Rastogi

कार्रवाई के लिए गए पुलिसवालों पर महिलाओं ने फेंकी लाल मिर्च

■ एनबीटी न्यूज, महरौली

डीडीए की फॉरेस्ट लैंड में बनी संपत्तियों को ढहाने की कार्रवाई रविवार को तीसरे दिन भी जारी रही। सुबह 9:30 बजे के करीब भारी पुलिस फोर्स देख कर लोगों में हलचल मच गई। पिछले 2 दिन की तरह आज भी महिलाओं ने कार्रवाई का कड़ा विरोध किया। स्मारक जहाज महल के सामने मुल्तानी धर्मशाला वाली गली में अर्धसैनिक बल और पुलिस को घुसता देख महिलाओं ने वहां डीडीए और पुलिस का विरोध किया। उसी दौरान 1 महिला ने मिर्च का पाउडर पुलिस की तरफ फेंक दिया। सीआरपीएफ के महिला दस्ते की कुछ जवान मिर्ची अटैक का शिकार हो गईं। पुलिस ने तुरंत महिलाओं सहित युवकों पर लाठी बरसानी शुरू कर दीं। इसमें 1 युवक के हाथ की हड्डी टूटने का आरोप है। कुछ लोगों ने चोटें आने की शिकायत भी की है।

जेसीबी मशीन का कहर जारी रहा, लोग डटकर विरोध करते रहे

घायल अमित चौधरी ने अपने हाथ और पैर में आई अंदरूनी चोटों को दिखाते हुए बताया कि कई महिलाओं को भी इसी तरह की चोटें आई हैं।

विरोध कर रहे लोगों को पुलिस ने जल्द ही काबू में कर लिया था। सुबह करीब 11 बजे डीडीए अधिकारी, पुलिस बल और बजे 2 जेसीबी मशीनें आगे बढ़ पाई थीं। फॉरेस्ट ब्लू अपार्टमेंट्स के पीछे से जेसीबी मशीन जैसे ही आगे बढ़ी उसी समय गली में विरोध के लिए बैठीं उसी अपार्टमेंट में रहने वाली शबनम (45) की हालत बिगड़ गई। उसे प्राइवेट नर्सिंग होम में लेकर गए।

जेसीबी मशीन के साथ पुलिस का काफिला दादा बाड़ी मंदिर वाली गली की तरफ बढ़ा तो वहां रहने वाले लोग डीडीए और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। पुलिस बल ने वहां 5-6 कमरों को खाली कराकर जेसीबी से उन्हें गिरा दिया। इसके साथ ही डीडीए के निर्देश पर प्राइवेट मजदूरों ने 4 मंजिला उस बिल्डिंग को तोड़ना शुरू किया जो खाली थी। मजदूरों ने बिल्डिंग की दीवारों को 20 से 30 फीसदी तक तोड़ दिया था। दोपहर करीब 3 बजे डीडीए अधिकारी बिजली ट्रांसफॉर्मर को बीएसईएस कर्मचारियों से हटवा रहे थे

'ज़िंदगी भर की कमाई, बच्चों की पढ़ाई के सपने टूटे'

■ राम त्रिपाठी, महरौली : डीडीए के एक्शन से टूटी दीवारों के साथ खड़ी 14 फ्लैटों की बिल्डिंग के ढांचे में स्कूली बच्चे अपनी कॉपी और किताबें ढूढ़ते दिखे। इस बिल्डिंग के खिलाफ डीडीए ने शनिवार को एक्शन लिया था। 50-50 गज के बने उन फ्लैटों को लोगों ने साढ़े 13 लाख रुपये में बिल्डर से खरीदा था। डीडीए के एक्शन पर लोग कहते हैं कि उनके सपने तो टूटे ही, अब स्कूल में पढ़ने वाले उनके बच्चों का भविष्य भी खराब होने जा रहा है।

> बिल्डिंग के मलबे में स्कूली बच्चे अपनी कॉपी और किताबें ढूढ़ते दिखे

प्रभावित लोगों की एक शिकायत यह भी है कि एक्शन लेने का समय डीडीए ने गलत चुना है। फरवरी-मार्च में बच्चों की सालाना परीक्षा का समय होता है। बिल्डिंग तोड़ी जाने के बाद उसमें रहने वाले लोग वहां से दूर चले गए हैं। ऐसे में कुछ परिवारों के बच्चे अपने स्कूलों में एग्जाम देने नहीं आ सकते हैं। कई स्टूडेंट्स की कॉपी और किताबें भी मलबे में दबी देखी जा सकती हैं।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

THE INDIAN EXPRESS, MONDAY, FEBRUARY 13, 2023 ----------DATED----------

Latest Delhi govt-L-G flashpoint: Removal of 'unauthorised religious structures'

EXPRESS NEWS SERVICE
NEW DELHI, FEBRUARY 12

THE AAP-LED Delhi government and the L-G's office Sunday traded barbs over the issue of structural "amendments" in the vicinity of religious structures on government land, against the backdrop of the DDA's demolition and anti-encroachment drive in Mehrauli.

While the L-G office accused the government of keeping files related to key infrastructure projects "inexplicably pending" for years, Deputy CM Manish Sisodia accused L-G V K Saxena of playing politics over a sensitive matter.

L-G House officials said Saxena recalled several related to clearance for projects, including decongestion of critical traffic corridors such as Mehrauli-Gurgaon Road, Mehrauli-Badarpur Road, Dhaula Kuan-RTR Marg, and Ring Road at various sites. The recalled files, they said, were also related to completion of work on the Delhi stretch of the Delhi-Saharanpur and Delhi-Dehradun Expressway, in addition to beginning construction of housing projects for government employees among others pending since 2017.

Deputy CM Manish Sisodia termed the allegations baseless

The official said these were pending despite all statutory requisite formalities and permissions in place with regard to removal of unauthorised religious structures erected by "land grabbers" after 2009, when the Supreme Court barred any further occupation by such structures and ordered their removal.

As per the official, this was supposed to be achieved through the "religious committee" formed in 2014, as per a SC judgment, to consider and recommend removal of such structures on receipt of a request by the land-owning agency concerned. "Despite recommendations of the committee to remove 'unauthorised religious structures' that have held up key infrastructure projects, the Home Department headed by Sisodia has kept 78 such proposals pending since May 2022," the official alleged.

Sisodia termed the allegations "completely baseless and cheap politics". "The L-G claimed the said files have been held up by my department. It is unfortunate the L-G is choosing to play politics on such a sensitive matter. The matter concerns giving clearance for demolition of several religious structures including many big temples that have existed for decades," Sisodia said, adding, "Any decision over making amends to religious structures can't be taken in haste, let alone allowing them to be demolished... The L-G calls himself the 'local guardian' of Delhi, why doesn't he clear projects of public interest?"

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । सोमवार, 13 फरवरी 2023

दिल्ली में उत्तरायणी की धूम, उत्तराखंडी गानों पर झूमे लोग

उत्तराखंड एकता मंच ने द्वारका सेक्टर 8 के डीडीए ग्राउंड में बसंत महोत्सव का आयोजन किया

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

बसंत के आगमन के साथ ही उत्तराखंड में मेलों और कौथिग का आयोजन होता है। उत्तराखंड एकता मंच ने 5 फरवरी को द्वारका सेक्टर 8 के डीडीए ग्राउंड में मकरैणी बसंत महोत्सव का आयोजन किया। मंच के संयोजक डॉ सूर्यप्रकाश सेमवाल ने बताया कि इस कार्यक्रम में उत्तराखंडी लोक कलाकारों ने जहां रंगारंग कार्यक्रम पेश किया, वहीं सर्वभाषा कवि सम्मेलन भी किया गया। इसमें प्रो. सुषमा चौधरी, बृजेश द्विवेदी, प्रदीप वेदवाल, कैलाश धस्माना, चंपा पांडे, जेपी डिमरी और वीर सिंह राणा ने संस्कृत, हिंदी, गढ़वाली, कुमाऊंनी और जौनसारी में कविता पाठ किया। महोत्सव का उद्घाटन शीर्ष पत्रकार जगदीश थपलियाल ने किया। समारोह के अतिविशिष्ट अतिथि कवि बृजेश द्विवेदी थे। विशिष्ट अतिथि बिजवासन के पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता विजय लोचव ने कहा कि डेढ़ दशक में उत्तरायणी को देश का पर्व बनाने का सफल प्रयास किया है। उत्तराखंड एकता मंच की अध्यक्ष लक्ष्मी नेगी ने कहा कि उत्तराखंडी बहुल क्षेत्र में सामूहिक आयोजनों के लिए एक सरकारी समुदाय केंद्र के निर्माण का है।

द्वारका में मकरैणी उत्सव, लोक कलाकारों ने जीते दिल

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

Hindustan Times NEW DELHI MONDAY FEBRUARY 13, 2023 ----------DATED----------

{ MY DELHI } RESIDENTS PROTEST

Demolition drive in Mehrauli for 3rd day

The Delhi Development Authority (DDA) continued its demolition drive at Mehrauli's Aam Bagh area for a third day on Sunday, even as residents tried to block access for bulldozers and earthmovers and raised slogans against the body. Some women also allegedly threw red chilli powder at police personnel, following which they were detained, senior officers said. In a statement, DDA said the aim of the drive was to "reclaim encroached government land" in the Mehrauli Archaeological Park "for its rightful use by all citizens as a park". →PS

Residents stage a protest in Mehrauli. VIPIN KUMAR/HT PHOTO

Mehrauli: Protests over demolitions continue on Day 3

HT Correspondent
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: The Delhi Development Authority (DDA) continued its demolition drive at Mehrauli's Aam Bagh area for a third day on Sunday, even as residents tried to block access for bulldozers and earthmovers and raised slogans against the body. Some women also allegedly threw red chilli powder at police personnel, following which they were detained, senior officers said.

In a statement, DDA said the aim of the drive was to "reclaim encroached government land" in the Mehrauli Archaeological Park "for its rightful use by all citizens as a park".

"All stakeholders, including the GNCTD (Delhi government), have been on board in the run up to this long-pending, court-mandated exercise," DDA had said, stating this park, adjacent to the iconic Qutub Minar, is home to about 55 monuments under protection of ASI, the state archaeological department and DDA.

On Sunday, the demolition drive began with earthmovers demolishing a multi-storey building. Soon, a group of women threw red chilli powder on police personnel. They later alleged that police lathi charged them. However, police denied the allegations. "There was no lathi charge. Some women who threw red chilli powder have been detained," said DCP (south) Chandan Chowdhary.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWS हिन्दुस्तान नई दिल्ली सोमवार 13 फरवरी 2023 DATED

मिर्ची पाउडर फेंकने के आरोप में पुलिस ने कुछ महिलाओं को हिरासत में लिया

महरौली में तीसरे दिन भी चला बुलडोजर, विरोध में प्रदर्शन

सख्ती

नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। महरौली में लगातार तीसरे दिन दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान स्थानीय निवासियों ने विरोध प्रदर्शन कर नाराजगी जताई। वहीं, अतिक्रमण रोधी अभियान के दौरान पुलिसकर्मियों पर कथित रूप से लाल मिर्च का पाउडर फेंके जाने के आरोप में कुछ महिलाओं को हिरासत में लिया गया।

डीडीए अधिकारी, पुलिस सुरक्षा के साथ शुक्रवार से अभियान चला रहे हैं। रविवार को महिलाओं के एक समूह ने अभियान के खिलाफ प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि घटनास्थल पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन पर लाठीचार्ज किया। वहीं, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने आरोप से इनकार करते हुए कहा कि न कोई लाठीचार्ज किया गया और न ही कोई घायल हुआ। प्रदर्शनकारी काम में बाधा डाल रहे थे। कुछ महिलाओं ने पुलिसकर्मियों पर लाल मिर्च का पाउडर फेंका और उनमें से कुछ को हिरासत में लिया गया है।

प्राधिकरण ने शनिवार को एक बयान में कहा कि इस उद्यान में 55 स्मारक हैं, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, दिल्ली के पुरातत्व विभाग और डीडीए के संरक्षण में हैं।

महरौली में वार्ड नंबर- 8 में रविवार को डीडीए की तरफ से चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान का विरोध करते लोग। इस दौरान स्थानीय निवासियों ने पुलिस-प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। • हिन्दुस्तान

नौ मार्च तक चलेगा डीडीए का अभियान

अधिकारियों ने बताया कि डीडीए का अतिक्रमण रोधी अभियान नौ मार्च तक जारी रहेगा। यह प्रदर्शन ऐसे वक्त में हो रहा है जब एक महीने बाद दक्षिण दिल्ली के पुरातात्विक उद्यान में जी-20 की एक बैठक होनी है। डीडीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पिछले दिसंबर में नोटिस जारी कर लोगों को अतिक्रमण हटाओ अभियान से वाकिफ कराया गया था।

महरौली में रविवार को अतिक्रमण हटाता डीडीए का बुलडोजर • हिन्दुस्तान

बाजारों में भी सीलिंग की तैयारी, दिए जा रहे नोटिस

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। राजधानी के अंदर सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। डीडीए से लेकर एमसीडी की टीमें कार्रवाई करने में लगी हैं। ऐसे में उन लोगों की चिंता बढ़ गई है, जो एमसीडी के नोटिस का सामना कर रहे हैं।

राजधानी के करीब 80 छोटे-बड़े बाजारों में एक लाख से अधिक व्यापारी नोटिस का सामना कर रहे हैं। इसमें से करीब 10 हजार व्यापारियों के पास पुनः नोटिस भेजा जा चुका है। सबसे ज्यादा नोटिस कन्वर्जन चार्ज के मामले से जुड़े हैं, जिनको लेकर व्यापारी विरोध करते आ रहे हैं। चांदनी चौक, सदर बाजार, करोलबाग, गांधी नगर जैसे पुराने बाजारों में सबसे ज्यादा कन्वर्जन के नोटिस दिए गए हैं। कमला नगर ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्रधान नितिन गुप्ता का कहना है कि दिल्ली के अधिकांश बाजारों में सड़कें टूटी हुई हैं। तारों का जाल फैला है। पार्किंग के मामले में काफी बाजारों के सामने मुश्किलें ज्यादा हैं। फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन के चेयरमैन परमजीत सिंह पम्मा का कहना है कि नोटिस के जवाब में व्यापारी कागजात दिखा रहे हैं तो उन्हें मानने को तैयार नहीं हैं।

- राजधानी के बाजारों में करीब एक लाख व्यापारी नोटिस का कर रहे सामना

आपत्तियों का निस्तारण किए बिना हो रही कार्रवाई

दिल्ली हिंदुस्तानी मर्केंटाइल एसोसिएशन के महामंत्री श्रीभगवान बंसल का कहना है कि एमसीडी बीते एक साल से कन्वर्जन चार्ज को लेकर नोटिस भेज रही है लेकिन व्यापारियों की आपत्ति है कि उन चार्ज को हटाए, जिनसे जुड़ी सुविधा उपलब्ध ही नहीं है। दूसरे चांदनी चौक विशेष क्षेत्र में आता है, जिसमें कन्वर्जन चार्ज लगाए जाने का मुद्दा ही नहीं है, फिर भी नोटिस भेजकर व्यापारियों पर दबाव बनाया जा रहा है।

वैकल्पिक आवास दिए बिना तोड़फोड़ अमानवीय : कांग्रेस

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। महरौली में डीडीए द्वारा की जा रही तोड़फोड़ को लेकर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने सरकार पर निशाना साधा है।

उन्होंने वैकल्पिक आवास दिए बिना जेजे क्लस्टर और फ्लैटों को ध्वस्त करना अमानवीय ठहराया है। साथ ही उपराज्यपाल एवं शहरी विकास मंत्रालय से इस तोड़फोड़ को रोकने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जहां झुग्गी वहीं मकान का वादा कर दिल्ली और केन्द्र सरकार गरीबों को धोखा दे रही है। अगर डीडीए और दिल्ली सरकार के अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तो इसकी सजा उन निवासियों को नहीं देनी चाहिए जिन्होंने जीवनभर की कमाई से यह फ्लैट खरीदा है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS------- THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI MONDAY, FEBRUARY 13, 2023 -------DATED----------

Demolition drive continues amid protests

Vibha.Sharma@timesgroup.com

Sanjeev Rastogi

ANGER ON STREETS: In the morning, some women were detained after they allegedly threw red chilli powder on police personnel

New Delhi: Delhi Development Authority's drive to clear "unauthorised constructions" on government land in Mehrauli continued on Sunday, amid protests by locals.

The agitated protestors, mostly women, shouted slogans against the government and DDA. Some of them accused DDA officials and the police of "misbehaving" with the crowd. "What were these agencies doing when the construction was taking place and the flats were sold? We even have our registry papers and pay the house tax regularly. I bought the flat about a year ago with my hard-earned money and now I am being asked to leave after suddenly being served a notice. Where will we go?" Satya Bhama, a resident, said. She claimed that male members of her family were shoved and pushed with lathis when they questioned the demolition.

In the morning, some women were detained after they allegedly threw red chilli powder on police personnel. Deputy commissioner of police (south) Chandan Chowdhary insisted that no lathi charge was conducted and there were no injuries. "The locals were obstructing the DDA personnel and police. Some women also threw red chilli powder on them," she said, adding that some people had been detained and suitable legal action would be taken against them.

On Sunday, police and DDA officials targeted newly constructed buildings (not occupied yet) near a power transformer, located next to the wall of Mehrauli Archaeological Park. The process to shift the transformer sparked a protest, with locals alleging that it would lead to a disruption in power supply. They claimed that it was a deliberate action to inconvenience the residents.

The authority, however, assured the residents that power supply would be restored soon. The residents were not pacified and insisted that the officials leave immediately.

Preeti, a resident, said the buildings were constructed next to the boundary wall of a park, but DDA was now calling it an encroachment on government land. "We haven't slept for three nights and don't know what lies ahead. It is inhuman to demolish so many houses when hundreds of families are already living there. We haven't come here overnight. It took years for these buildings to be constructed and, now suddenly, the authorities have woken up and pasted notices outside the houses, giving us a few days to vacate the property," she said.

Sakuntala Pandey, another resident, said her children's boards exam were scheduled this month and her husband had also taken ill. "I am clueless about what to do and where to go," said Pandey, tears rolling down her face.

DDA, with help from the local police, started the demolition action on Friday. It razed several shanties and some multi-storey buildings bordering Mehrauli Archaeological Park in Ladha Sarai village.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE
NAME OF NEWSPAPERS---------- ------DATED-------------------

दैनिक जागरण 2
नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2023
www.jagran.com

पीड़ितों के सवाल, फ्लैट निर्माण के वक्त कहां था डीडीए, क्यों की गई रजिस्ट्री

महरौली तोड़फोड़ प्रकरण

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली: महरौली में स्थानीय निवासियों के भारी विरोध के बीच दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) का अतिक्रमण विरोधी अभियान लगातार तीसरे दिन रविवार को भी जारी रहा। डीडीए ने यहां मकबरे के समीप बनी झुग्गियों को ध्वस्त कर दिया। मजार के निकट बनी निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारत को भी क्षतिग्रस्त किया गया है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर भारी सुरक्षा बल तैनात है। उधर, लद्धा सराय गांव के महरौली पुरातत्व पार्क में चल रही कार्रवाई के खिलाफ लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। महिलाएं भी सड़कों पर उतर आई हैं। लोगों का कहना है कि अगर निर्माण अवैध है, तो इसके लिए डीडीए और अन्य सरकारी एजेंसियां जिम्मेदार हैं। आखिर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई। इधर, पुलिस उपायुक्त चंदन चौधरी ने बताया कि कुछ लोग डीडीए कर्मचारियों और पुलिस के काम में बाधा पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ महिलाओं ने पुलिसकर्मियों पर लाल मिर्च पाउडर फेंका है। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है।

हजारों परिवार के आशियाने पर संकट: पहले दिन डीडीए के अभियान में बिल्डर फ्लैट को क्षतिग्रस्त किए जाने के बाद बाद यहां करीब दो दर्जन सोसायटी में रह रहे हजारों परिवार की चिंता बढ़ गई है। इनमें जबरदस्त आक्रोश है। डीडीए ने इनको खाली करने का नोटिस दिया है। नोटिस के बाद यहां हर सोसायटी में फ्लैट पर दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश चस्पा कर दिया गया है। यहां के लोगों का कहना है कि इन फ्लैटों की बाकायदा रजिस्ट्री है। हमारा पैसा सरकारी कोष में गया है। बैंकों ने हमको फ्लैट के लिए लोन दिया है। यहां की निवासी शालिनी श्रीवास्तव ने कहा कि हमारे पास सारे कागजात हैं। इसके बावजूद हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। घरों में रहने वाली महिलाएं अपने आशियाने के लिए सड़क पर डीडीए और पुलिस का विरोध कर रही हैं। शालिनी का कहना है कि इतना ही नहीं, इस फ्लैट के लिए हमें प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा भी मिला है।

- कार्रवाई के खिलाफ लोगों में जबरदस्त आक्रोश, महिलाएं भी सड़कों पर उतरीं
- तीसरे दिन झुग्गियों के साथ बिल्डर की निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारत को तोड़ा
- लगाया आरोप, कुछ महिलाओं ने पुलिसकर्मियों पर लाल मिर्च का पाउडर फेंका
- सभी सोसायटी में दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश चस्पा, भारी सुरक्षा बल की तैनाती

<< लद्धा सराय गांव में अतिक्रमण के खिलाफ डीडीए की कार्रवाई का विरोध करते लोग • जागरण

बच्चों की चल रही परीक्षाओं के बीच काट दी गई है घरों की बिजली

लद्धा सराय की एक सोसायटी की रहने वाले मीरा श्रीवास्तव का फ्लैट अभी सुरक्षित है, लेकिन उनकी आंखे डबडबाई हैं। उन्होंने सरकारी एजेंसियो पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर जब बिल्डर इन फ्लैटो का निर्माण कर रहे थे, तब डीडीए कहा था? उस वक्त बिल्डर को फ्लैट बनाने से क्यो नही रोका गया? इतना ही नही, जब इन फ्लैटो की रजिस्ट्री हो रही थी, तब इसकी पडताल प्रशासन के स्तर पर क्यो नहीं की गई? तब सारे सरकारी महकमे कहा सो गए थे। हमारी रजिस्ट्री पर एतराज क्यो नही जताया। तीन वर्ष बीत बाद इन सरकारी एजेंसियो को इसके अवैध होने की सुध आई है। उन्होंने बताया कि बच्चो की परीक्षाए चल रही है, जबकि घरो की बिजली काट दी गई है।

जागरण विचार

अवैध निर्माण पर कार्रवाई तो ठीक है, लेकिन उन प्रशासनिक अफसरो को भी कार्रवाई के दायरे में लाना चाहिए, जिनकी सरपरस्ती मे ये खेल खेला गया। डीडीए के उन अफसरो की कार्यशैली पर भी जिम्मेदारो को विचार करना चाहिए, जिनके रहते हुए नियमो को दरकिनार कर बिल्डिंगे खडी हो गई। अवैध फ्लैट लेने वाले तो खामियाजा भुगत ही रहे हैं, बिजली-पानी देने वाले विभागो के अफसरो पर कानून का डडा चलना जरूरी है। यदि ऐसा नही किया गया तो ऐसे ही अवैध इमारते खडी होती रहेगी।

सवाल सुनकर मुंह छिपाकर भागे डीडीएकर्मी

यहा सोसायटी की महिलाओं के समूह ने मौके पर तैनात डीडीए कर्मचारियो पर जब सवालो के गोले दागे, तो वे मुह छिपाकर भाग खड़े हुए। यही सवाल दैनिक जागरण की टीम ने उनसे किया, तो उनका जवाब था कि जब यह सोसायटी बन रही थी, तब यहा मेरी तैनाती नही थी। उन्होंने कहा, मुझे जो आदेश मिला है, हम वह कर रहे है। एक अन्य कर्मचारी ने कहा कि हम कुछ भी बताने के लिए अधिकृत नहीं है। आपको ज्यादा जानकारी डीडीए मुख्यालय से ही मिल पाएगी। डीडीए का कहना है कि अतिक्रमण विरोधी अभियान कोर्ट के कहने पर चल रहा है। लद्धा सराय गांव की जमीन पर बना महरौली पुरातत्व उद्यान मे लगभग 55 स्मारको का स्थल है, जो एएसआई, जीएनसीटीडी और डीडीए के राज्य पुरातत्व विभाग के संरक्षण में हैं। कोर्ट के आदेश के तहत महरौली पुरातत्व उद्यान मे आने वाले क्षेत्र मे अतिक्रमण को हटाकर इन्हे सुरक्षित और संरक्षित किया जा रहा है। शुक्रवार से चल रही कार्रवाई के तहत लगभग 1200 वर्ग मीटर को खाली करवा लिया गया है।

लद्धा सराय मे मकबरे के समीप बनी झुग्गियों को तोड़ता डीडीए का बुलडोजर • जागरण

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

दैनिक भास्कर NAME नई दिल्ली, शनिवार 11 फरवरी, 2023 ----DATED----

महरौली के अतिक्रमण पर चला डीडीए का बुलडोजर

पाठक ने कहा- भाजपा ने घर तोड़े

ये सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण : कपूर

भास्कर न्यूज | नई दिल्ली

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने शुक्रवार को महरौली इलाके में पुलिस सुरक्षा के बीच अतिक्रमण को हटाने के लिए अभियान शुरू किया है। डीडीए के इस तोड़-फोड अभियान के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने भी हमला बोल दिया है। डीडीए के इस एक्शन के खिलाफ आम आदमी पार्टी विधायक दुर्गेश पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाजपा पर कई आरोप लगाए है। पाठक ने आरोप लगाया है कि दिल्ली पुलिस ने आप के दो विधायकों सोमनाथ भारती और नरेश यादव को हिरासत में लिया गया है। साथ ही दुर्गेश पाठक ने भारतीय जनता पार्टी के 'जहां झुग्गी वहां घर' अभियान की भी आलोचना की। दुर्गेश पाठक ने कहा कि दिल्ली में लोगों के घर तोड़ रही है, क्योंकि लोगों ने भाजपा को एमसीडी चुनाव में हराया है।

इस मामले में प्रदेश प्रवक्ता व सह मीडिया संयोजक प्रवीण शंकर कपूर बिल्डर ने दुर्गेश पाठक से पूछा है कि वो जनता को बताए कि महरौली में सरकारी भूमि पर हुए अवैध भवनों के निर्माण की रजिस्ट्री कैसे हुई इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाएं। कपूर ने कहा है की आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक झूठे राजनीतिक ब्यान देकर जनता को गुमराह करने मे माहिर हैं और आज फिर महरौली में संरक्षित भूमि पर हुए अवैध निर्माण विरोधी अभियान की तुलना जहाँ झुग्गी वहाँ मकान की योजना से करके दिल्ली वालों को गुमराह करने की कोशिश की है। महरौली में सरकारी भूमि पर हुए अवैध निर्माण के तोड़ने से सैकड़ों परिवार प्रभावित हो रहे हैं और इनकी बर्बादी के दिल्ली सरकार का राजस्व विभाग जिम्मेदार है। सरकारी जमीन पर बने फ्लैटों एवं मकानों को लोगों ने इसलिये खरीदा क्योंकि उनकी रजिस्ट्री हो रही थी। सरकारी भूमि पर इतनी बड़ी तादाद में बने मकानों की रजिस्ट्री होने का सीधा मतलब है की दिल्ली सरकार के पटवारी एवं सम्पति पंजीकरण कार्यालय से लेकर राजस्व मंत्री तक सबकी मिलीभगत रही है जो दिल्ली सरकार का है। इन मकानों का विवाद गत 8 साल से चल रहा है, ऐसे में क्या दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने कभी आम नागरिकों को इस पर सतर्क करने का कोई पब्लिक नोटिस प्रकाशित किया सम्पति पंजीकरण कार्यालय को रजिस्ट्री ना करने का निर्देश दिया।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

अमर उजाला

शनिवार, 11 फरवरी 2023

----DATED----

दिल्ली सरकार ने लक्ष्य स 4 लाख अधिक लगाए पौधे

पर्यावरण व वन मंत्री ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। वन विभाग ने दिल्ली में लक्ष्य से चार लाख अधिक पौधे लगाए हैं। शुक्रवार को दिल्ली सचिवालय में पर्यावरण एवं वन मंत्री गोपाल राय विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की। बैठक के बाद गोपाल राय ने कहा कि राजधानी में हरित क्षेत्र काफी बढ़ा है। इस साल पौधरोपण महाअभियान के तहत करीब 43 लाख पौधे लगाने-वितरण का लक्ष्य रखा था। अब तक 47 लाख पौधे लगाए-वितरित किए जा चुके हैं।

दिल्ली में जहां साल 2013 में हरित क्षेत्र 20 फीसदी था, वहीं केजरीवाल सरकार के प्रयासों के कारण साल 2021 में बढ़कर 23.06 फीसदी हो गया है। साथ ही शहरों के प्रति व्यक्ति फॉरेस्ट कवर के मामले में दिल्ली पूरे देश में नंबर वन हो गया है।

दिल्ली में वन विभाग ने 10 लाख 80 हजार, डीडीए ने 5 लाख 47 हजार, एमसीडी ने 5 लाख 23 हजार, शिक्षा विभाग ने 2 लाख 73 हजार, डीएसआईआईडीसी ने 42 हजार, पीडब्लूडी ने 3 लाख 86 हजार, एनडीएमसी ने 7 लाख 57 हजार, दिल्ली जल बोर्ड ने एक लाख 3 हजार, उत्तरी रेलवे ने 26 हजार, दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड ने 16 हजार, एनडीपीएल ने 12 हजार और बीएसईएस ने 30 हजार पौधे लगाए गए हैं। इसके अलावा लगभग 8 लाख पौधों का वितरण किया गया है। उन्होंने कहा कि पौधरोपण के विशेष अभियान को लेकर 21 फरवरी को सभी संबंधित विभाग व एजेंसी के उच्च अधिकारियों के साथ दिल्ली सचिवालय में बैठक बुलाने का निर्देश दिया गया है।

थर्ड पार्टी से ऑडिट कराया जाएगा

गोपाल राय ने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि विभागों से पौधरोपण की डिटेल्स प्राप्त करें कि पौधे कहां कहां लगाए गए हैं। अभियान के तहत दिल्ली में लगाए गए पौधों की जीवित रहने की दर की जांच करने के लिए सभी संबंधित विभागों को थर्ड पार्टी ऑडिट कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।

अमर उजाला

महरौली में डीडीए के बुलडोजर ने 50 फ्लैट तोड़े, बवाल

गुस्साए लोगों ने पुलिस पर किया पथराव, पुलिस ने तोड़फोड़ का विरोध करने पर आप नेताओं को हिरासत में लिया, छोड़ा

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। हाईकोर्ट के आदेश के तहत डीडीए ने शुक्रवार को महरौली स्थित घुमिया कॉलोनी में चार इमारतों में बने करीब 50 फ्लैट को बुलडोजर से तोड़ दिए। इससे गुस्साए कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। वहीं, तोड़फोड़ का विरोध करने आए आप नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। बाद में सभी को छोड़ दिया गया।

डीडीए के अधिकारी शुक्रवार की सुबह दलबल के साथ घुमिया कॉलोनी में पहुंचे। जानकारी मिलते ही प्रभावित लोग घरों से निकल आए। इस दौरान उन्होंने पहले डीडीए अधिकारियों से तोड़फोड़ नहीं करने का आग्रह किया। उन्होंने अपने मकानों के दस्तावेज भी उनको दिखाए, लेकिन डीडीए के अधिकारियों ने एक नहीं सुनी। उन्होंने बताया कि यह जमीन महरौली पुरातत्व पार्क का एक भाग है। इसके अलावा मकान तोड़ने के लिए हाईकोर्ट ने आदेश दिए है। डीडीए अधिकारियों ने सूचनाएं नहीं करने के बाद लोग बुलडोजरों के सामने खड़े होकर नारेबाजी करने लग गए। इस दौरान आप के कुछ नेता भी आ गए और वे भी लोगों को एकजुट होकर विरोध करने की सलाह दने लग गए। इसी बीच पुलिस अधिकारियों ने अतिरिक्त बल बुला लिया और उसके बाद पुलिस ने लोगों को खदेड़ना शुरू कर दिया।

महरौली में अतिक्रमण हटाने के अभियान के दौरान कई ऊंची इमारतों को भी तोड़ा। अमर उजाला

लोगों ने पुलिस कार्रवाई का कड़ा विरोध किया और कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। इस कारण पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। निहत्था लोगों का हौसला टूट गया और वे तितर-बितर हो गए। इससे पहले पुलिस ने आप नेताओं को हिरासत में ले लिया। पुलिस की ओर से लोगों को खदेड़ने के बाद डीडीए के बुलडोजरों ने फ्लैट तोड़ने की कार्रवाई आरंभ की। इस दौरान भी दूर खड़े लोगों ने डीडीए के खिलाफ नारेबाजी जारी रखी, लेकिन भारी पुलिसबल मौजूद होने के कारण वे अपने फ्लैटों को टूटने से नहीं बचा सके। इस बीच स्थानीय लोग हाई कोर्ट से तोड़फोड़ रोकने का आदेश ले आए, मगर जब तक डीडीए ने दो इमारतों को पूरी तरह तोड़ दिया, जबकि दो अन्य इमारतों के हिस्से को तोड़ा। इन चारों इमारत में करीब 50 फ्लैट बने हुए थे, जिन्हें डीडीए ने तोड़ दिया है।

पुलिस बल के साथ स्थानीय लोगों का बवाल। अमर उजाला

बेबस हो आशियाने को टूटते देखते रहे लोग

पुलिस के कड़े रुख के बाद डीडीए की कार्रवाई शुरू होने के दौरान लोग बेबस हो गए। उनके मकानों पर जब बुलडोजर चलना शुरू हुआ तो आंखों से आंसू आ गए। महिलाएं व बच्चे तो जोर-जोर से रोने लगे और अपने मकानों को नहीं तोड़ने के लिए दौड़ने लगे, लेकिन पुलिस ने उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। इस तरह उन्होंने अपनी पूरे जीवन की कमाई से खरीदे मकान को बेबस होकर टूटता देखते रहे।

लोगों के पास हैं फ्लैटों की रजिस्ट्री

स्थानीय लोगों के पास मकानों की रजिस्ट्री है। उनके यहां पानी व बिजली का कनेक्शन लगा हुआ है। इसके अलावा वह संपत्ति कर भी जमा करा रहे है। लोगों ने बताया कि उनके पास मकान तोड़ने का नोटिस नहीं भेजा गया। उन्होंने यह फ्लैट 30 से 40 लाख रुपये में खरीदे है। उन्होंने फ्लैट खरीदने के दौरान सभी कागजों को जांचा परखा था। उसके बाद रजिस्ट्री भी हुई, इसके बाद उनके फ्लैट्स अवैध कैसे हो गए है।

आज भी होगी तोड़फोड़

डीडीए ने कहा कि घुमिया कॉलोनी में करीब 250 मकान टूटने है। शनिवार को भी मकान तोड़ने की कार्रवाई जारी रखेगी। दरअसल यहां रह रहे कुछ लोग ही तोड़फोड़ के खिलाफ हाई कोर्ट गए थे थे। इस कारण उनके मकानों को छोड़कर अन्य मकानों को तोड़ने की कार्रवाई जारी रहेगी। दिल्ली पुलिस ने शनिवार को डीडीए को पुलिसबल देने के संबंध में अवगत करा दिया है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

नई दिल्ली। शनिवार • 11 फरवरी • 2023 राष्ट्रीय सहारा

NAME OF NEWSPAPERS----------DATED----------

डीडीए ने सरकारी जमीन पर बने अनधिकृत निर्माण को ढहाया

■ नई दिल्ली (एसएनबी)।

दक्षिणी दिल्ली के महरौली इलाके में शुक्रवार को सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के विरुद्ध दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान कई बहुमंजिला मकानों को तोड़ा गया है। यह बहुमंजिला मकान झुग्गियों के बीच बने हुए थे। आरोप है कि यह सभी अनधिकृत रूप से बने थे। उपरोक्त जमीन डीडीए एवं वक्फ बोर्ड की है। डीडीए की कार्रवाई शुरू होते ही विरोध शुरू हो गया। हालांकि डीडीए ने विरोध रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की व्यवस्था की थी। डीडीए के एक अधिकारी ने बताया कि विरोध करने वालों में अधिकांश लोग 'आप' के कार्यकर्ता थे।

सूत्रों का कहना है कि अंधेरिया मोड़ के पास बनी औलिया मस्जिद के पास डीडीए एवं वक्फ बोर्ड की काफी जमीन है। उपरोक्त जमीन महरौली पुरातत्व पार्क का हिस्सा है। डीडीए इस पार्क को विकसित करना चाहता है, लेकिन उसमें यह मकान बाधा बने थे। पार्क की जमीन के ही कुछ हिस्से पर यह अनधिकृत निर्माण है। इस अनधिकृत निर्माण को हटाने को लेकर प्राधिकरण न्यायालय गया था। तोड़फोड़ की कार्रवाई न्यायालय के आदेश पर ही शुरू की गई थी। तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू होते ही सत्तारूढ़ पार्टी के नेता पहुंच गए और विरोध शुरू कर दिया। हालांकि थोड़ी ही देर में पुलिस ने स्थिति नियंत्रित कर ली, जिससे तोड़फोड़ की कार्रवाई जारी रही। दस्ते में शामिल एक अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा को देखते हुए बड़ी सावधानी से अभियान चलाया गया, जिससे अन्य भवनों को नुकसान न पहुंचे।

■ महरौली पुरातत्व पार्क को विकसित करने में बाधा बने हुआ था यह अनधिकृत निर्माण

यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश

नई दिल्ली (भाषा)। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अधिकारियों को महरौली में एक झुग्गी बस्ती की 400 झुग्गियों के मामले में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया। इन झुग्गियों को दिन के दौरान हटाया जाना था। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि 14 फरवरी तय की। अदालत ने इस बात पर गौर किया कि दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) और दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) सहित अधिकारियों के वकील के पास आज पूर्ण निर्देश नहीं थे। न्यायमूर्ति मनप्रीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने कहा कि इस मामले में, प्रतिवादियों को सुनवाई की अगली तारीख तक डीयूएसआईबी द्वारा सत्यापित 400 झुग्गियों के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया जाता है।

महरौली में शुक्रवार को अतिक्रमण हटाता डीडीए का बुलडोजर (बाएं) व अतिक्रमण हटाने का विरोध कर रही एक महिला को पकड़कर ले जाती पुलिस। फोटो : पेट

ऐसा अंग्रेजों के शासन में होता था : दुर्गेश पाठक

नई दिल्ली (भाषा)। महरौली में विध्वंस अभियान को लेकर आप ने शुक्रवार को भाजपा पर प्रहार करते हुए आरोप लगाया कि अंग्रेजों ने अपने शासन के दौरान जो किया, यह वही हो रहा है। 'आप' नेता दुर्गेश पाठक ने प्रेस वार्ता में भाजपा पर 'जहां झुग्गी वहां मकान' के अपने चुनावी वादे से मुकरने का आरोप लगाते हुए कहा कि वह विधानसभा और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) चुनावों में हार का बदला लेने के लिए अनधिकृत कॉलोनियों और झुग्गी-झोपड़ी वाले इलाकों में तोड़फोड़ कर रहे हैं।

उन्होंने आरोप लगाया, 'मैं नहीं समझता कि यह कभी आजाद भारत में हुआ है। यह अंग्रेजों के शासन में होता था।

■ विध्वंस अभियान पर 'आप' का भाजपा पर निशाना

जिन लोगों ने 1857 के विद्रोह में स्वतंत्रता सैनानियों का समर्थन किया था, उन्हें फांसी दे दी गई थी और उनके घर तोड़ दिए गए थे। भाजपा भी यही कर रही है।' उन्होंने कहा कि वह इस मामले में अदालत का रुख करेंगे। 'आप' नेता ने कहा, "हमारी पार्टी के विधायक नरेश यादव और सोमनाथ भारती को हिरासत में लिया गया है। हमारे पार्षद को भी हिरासत में लिया गया है। भाजपा विधानसभा और एमसीडी चुनावों में उन्हें नहीं चुनने का वादा किया था लेकिन वे झुग्गियां तोड़ रहे हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे।' पाठक ने कहा कि तुगलकाबाद और पंजाबी बाग के माटीपुर जैसे अन्य क्षेत्रों के निवासियों को भी तोड़फोड़ संबंधी नोटिस दिए गए हैं।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

the pioneer
NEW DELHI | SATURDAY | FEBRUARY 11, 2023

----------DATED----------

HC stays Mehrauli slum demolition drive till hearing on Feb 14

STAFF REPORTER ■ NEW DELHI

The Delhi High Court on Friday directed the authorities — Delhi Urban Shelter Improvement Board (DUSIB) and Delhi Development Authority (DDA) — to maintain the status quo on 400 jhuggis of a slum colony in Mehrauli, which were to be demolished during the day. Meanwhile, the AAP has lashed out at the BJP over the Mehrauli demolition drive and accused it was replicating what British did during their rule.

The high court listed the matter for further hearing on February 14 noting that the counsel for the authorities, including DUSIB and DDA did not have complete instructions on Friday.

"In light of the averments made in the petition that Ghosiya Slum Colony' is a jhuggi cluster duly enlisted in the list published by DUSIB on its official website, which records 400 jhuggis, as also the 2015 policy and the fact that the respondents do not have instructions in the matter, the respondents are directed to maintain status quo with respect to the 400 jhuggis verified by DUSIB, until the next date of hearing," Justice Manpreet Pritam Singh Arora said.

Earlier in the day, the DDA has started a demolition drive in the Mehrauli area amid police security. Locals claimed that the drive that started in the morning was demolishing two and three-storeyed buildings near Aulia Masjid at Andehria More along with shanties.

The land on which the alleged encroachment was done belonged to multiple agencies including DDA, Waqf Board, and ASI, they claimed.

"A demolition drive is being carried out by the Horticulture Department of the Delhi Disaster Management Authority. Police personnel have been deployed on the spot as preventive protection for DDA officials to carry out their duties and also to maintain law and order in the locality. Initially, the localities had staged a protest against the demolition but the situation was later brought under control," said a senior police official. According to the demolition notice, the land on which the demolition is being carried out is a part of the Mehrauli Archaeological Park and the 'existing unauthorised encroachment' is acting as a hindrance to the development of the park.

Addressing a press conference, AAP leader Durgesh Pathak accused the BJP of reneging on its poll promises of 'Jahan Jhuggi Wahan Makaan' and said they were demolishing unauthorised colonies and slum areas to exact revenge for losing the Vidhan Sabha and MCD polls.

"Many videos have come from Mehrauli where people are crying and begging in front of police and BJP to stop this atrocity . I don't think this has ever happened in Independent India. This used to happen during the British rule. Those who supported freedom fighters in 1857 Mutiny were hanged, their houses demolished. This is being replicated by the BJP," Pathak alleged. He also said they will approach the court in this matter.

"Our party MLAs Naresh Yadav and Somnath Bharti have been detained. Even our councillor has been detained. BJP is taking revenge from people for not choosing them in Vidhan Sabha and MCD polls. They had promised to build houses but they are demolishing jhuggies. We won't allow this to happen," the AAP leader said.

Pathak said that residents of other areas like Tughlakabad and Madipur in Punjabi Bagh have also been served demolition notices. "We are seeing videos from Mehrauli and they are saddening. Women are fainting, people are crying. We will not let this happen. The bulldozers will have to pass over our bodies if they want to carry out the demolition," he said.

A Jhuggi-Jhopri resident being removed from the site during a demolition drive by DDA. Ranjan Dimri/Pioneer

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

पंजाब केसरी
DELHI
11 फरवरी, 2023 ▶ शनिवार

चला बुलडोजर : महरौली इलाके में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा की गई कार्रवाई का स्थानीय लोगों ने किया विरोध

महरौली में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन

- मकानों पर चला डीडीए का बुलडोजर
- लोगों ने किया अतिक्रमण की कार्रवाई का विरोध
- बुलडोजर के सामने खड़े हुए लोग, पुलिस से भी उलझे

▶▶ कार्रवाई के दौरान विरोध करती महिलाए और अन्य।

▶▶ शुक्रवार को महरौली इलाके में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान मकान तोड़ता दिल्ली विकास प्राधिकरण का तोड़फोड़ दस्ता।

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): दक्षिणी दिल्ली के महरौली इलाके में शुक्रवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की तरफ से डेमोलिशन ड्राइव के तहत कार्रवाई की गई। इस दौरान कई मकानों को बुलडोजर से तोड़ दिया गया।

▶▶ तोड़फोड़ की कार्रवाई के दौरान सामान रखती महिला, मौजूद कर्मचारी।

दक्षिणी दिल्ली के महरौली इलाके में शुक्रवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण की तरफ से डेमोलिशन ड्राइव के तहत की गई कार्रवाई में कई मकानों को तोड़ा गया। इसके लिए बाकायदा डीडीए की टीम जेसीबी लेकर मौके पर पहुंची। इस दौरान भारी पुलिस बलों की भी तैनाती की गई थी। इस दौरान लोगों ने डीडीए की इस कार्रवाई पर विरोध भी किया। कई बार जेसीबी मशीन के सामने रुकावट बन कर खड़े हो गए और पुलिस से भी उलझे, लेकिन पुलिस ने उन्हें वहां से हटाकर डेमोलिशन ड्राइव को अंजाम दिया। लोगों का कहना है कि कई बार डिमार्केशन हो चुका है, फिर दोबारा से किया गया और उसमें जो अंदर के मकान थे, उन्हें भी जद में ले लिया है। उन्होंने कहा कि हमने अधिकारियों से बातकर उनसे कार्रवाई रोकने की कोशिश भी की, लेकिन अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। इस दौरान विधायक सोमनाथ भारती और नरेश यादव को हिरासत में लिया गया। पीड़ितों का कहना है कि वह किसी भी हालत में आगे इस डेमोलिशन को नहीं होने देंगे।

डीडीए की इस कार्रवाई को गलत करार देते हुए उन्होंने इसके लिए उन्होंने केन्द्र सरकार और एलजी के खिलाफ नाराजगी भी जाहिर की। वहीं पुलिस अधिकारी ने कहा कि जिस जमीन पर अतिक्रमण की तोड़फोड़ का कार्य चल रहा है वह महरौली पुरातत्व पार्क का हिस्सा है जो विकास कार्य में बाधा बन रहा है। इस कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों ने कहा कि डीडीए सुबह अपने अभियान में अंधेरिया मोड़ में औलिया मस्जिद के पास दो और तीन मंजिला इमारतों को झुग्गियों के साथ तोड़ रहा था। उन्होंने बताया कि जिस जगह पर कथित अतिक्रमण किया गया था, वह डीडीए, वक्फ बोर्ड और एएसआई सहित कई एजेंसियों की ही जमीन थी।

डीडीए की कार्रवाई पर हाईकोर्ट की रोक, 16 को सुनवाई

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): दिल्ली हाईकोर्ट ने महरौली में करीब 3 हजार घरों को तोड़ने की डीडीए की डेमोलिशन कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने मामले को 16 फरवरी के लिए सूचीबद्ध किया है और डीडीए को तब तक यथास्थिति बनाने का निर्देश दिया है। इससे पहले शुक्रवार को डीडीए की इस कार्रवाई का स्थानीय लोगों द्वारा भारी विरोध किया गया था। बता दें कि डीडीए जमीन खाली करने के लिए नोटिस दे चुका है। नोटिस के बाद भी जमीन खाली नहीं करने पर ये कार्रवाई की जा रही थी। डीडीए की टीम भारी सुरक्षा के साथ एक्शन लेने पहुंची थी, लेकिन स्थानीय लोगों ने बड़ी संख्या में विरोध करना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि अतिक्रमण की ये कार्रवाई वार्ड नंबर 8 में की जा रही थी।

एक भी झुग्गी नहीं टूटने देंगे: आप

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): आम आदमी पार्टी (आप) महरौली में हुई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का जोरदार तरीके से विरोध किया है। आप विधायक एवं एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने कहा कि भाजपा ने एमसीडी चुनाव में जहां झुग्गी वहां मकान का वादा किया था। अब झुग्गियों को तोड़कर जनता से चुनाव हारने का बदला ले रही है। भाजपा पूरी महरौली को उजाड़ने में लगी हुई है। महरौली से कई वीडियो आ रहे हैं जिसमें लोग पुलिस और भाजपा के लोगों के आगे रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। हमारे विधायक नरेश यादव और सोमनाथ भारती ने बैठकर हल निकालने की बात कही तो उन्हें जेल में डाल दिया गया। हमारी पार्षद रेखा को भी डिटेन किया गया। 1857 में हुई क्रांति के दौरान जिन भारतीयों ने क्रांतिकारियों का साथ दिया उनके घर तोड़े गए, उनको फांसी दी गई। आज भाजपा दिल्ली में वही दोहरा रही है। आम आदमी पार्टी इसका विरोध करती है। चाहे कुछ हो जाए, लेकिन हम एक भी झुग्गी टूटने नहीं देंगे। दुर्गेश पाठक ने कहा कि भाजपा चुनाव हारने के बाद लोगों से बदला ले रही है। अगर वह चुनाव जीत जाते तो कोई दिक्कत नहीं थी। आज दिल्ली के लोगों ने उन्हें चुनाव हरा दिया तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप उनके घर तोड़ने लगोगे। पूरी महरौली में इस वक्त लोग

प्रेसवार्ता करते दुर्गेश पाठक।

बहुत ज्यादा परेशान हैं। और जब पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं तो उनको जेल में डाल दिया जाता है। मुझे लगता है ऐसा तो अंग्रेजों के समय में होता था। पुलिस आपकी है तो क्या आप किसी को भी जेल में डाल देंगे? उन्होंने कहा कि जब नरेश यादव और सोमनाथ भारती ने अपनी बात रखने की कोशिश की तो उनको जेल में डाल दिया गया। हमारी पार्षद रेखा को भी जेल में डाल दिया गया। यह पूरा मामला डराने धमकाने का है कि तुम्हारे घरों को तोड़ देंगे। यदि आप भाजपा के साथ नहीं खड़े हुए तो तुम्हारी संपत्ति पर कब्जा कर लेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा चुनाव हारने का बदला लोगों के घर गिराकर ले रही है। इन्होंने मादीपुर, पंजाबी बाग, तुगलकाबाद की झुग्गियों में भी इसी प्रकार के नोटिस लगाए हैं।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---------- DATED----------

THE HINDU
City
Saturday, February 11, 2023
DELHI

DDA bulldozers roll into Mehrauli, court halts demolition of jhuggis

Residents, AAP leaders stage protest; High Court orders status quo on demolition of 400 jhuggis and several other buildings in the area; AAP says BJP is targeting the poor for its loss in the MCD elections; more such drives to follow: DDA

The Hindu Bureau
NEW DELHI

The Delhi Development Authority (DDA) on Friday conducted a demolition drive in the city's Mehrauli area amid police presence, leading to stiff opposition from local residents and AAP leaders.

During the day, as people approached the Delhi High Court, authorities were directed to maintain status quo and put on hold the demolition of 400 jhuggis of a slum cluster and several other buildings in the area.

The court will now hear these petitions – one against the demolition of the slum cluster and four separate pleas for multiple buildings in the area – on February 14 and 16, respectively.

A senior DDA official said a few two- and three-storey buildings have been demolished while the total encroachments to be removed – which mostly comprise concrete buildings – are spread out across an area of "20 acres".

(From left) Heavy machinery being used to demolish alleged illegal structures at Mehrauli on Friday; security personnel remove a resident protesting to stop the DDA's demolition drive. PTI/AFP

According to a senior police officer, four persons, including Malviya Nagar MLA Somnath Bharti, were detained during the drive for trying to obstruct the police, and released later. The officer said around 22-23 structures have been demolished that were a mix of partial and proper structures, but no jhuggis were razed on Friday.

AAP protests

Attacking the BJP over the drive, AAP alleged that before the MCD elections last year, Prime Minister Narendra Modi's government at the Centre had promised homes to people in slums under the 'Jahan Jhuggi, Wahi Makaan' scheme, but the BJP was now demolishing houses in Mehrauli. "The BJP is making the poor bear the brunt for its defeat in the MCD polls by bulldozing slums in Delhi," AAP MCD in-charge Durgesh Pathak said.

Aftab Alam, a wheelchair user who was present during the drive, said he feared that the nearby slum cluster where he lives would be the next one to be razed. He said the authorities have conveyed that more such drives would follow. "They can come for our homes anytime," he said.

According to a DDA official, the land belongs to the agency and it is part of the Mehrauli Archaeological Park.

"Removing all the encroachments will take time," the official said, adding that there was a confusion over the demarcation of the land, but that has been resolved with the help of the Delhi government's Revenue Department and the DDA's Land Management Department. "Whatever encroachment falls within our land, according to the demarcation report, will be removed," he added.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

millenniumpost
NAME OF NEWSPAPERS NEW DELHI | SATURDAY, 11 FEBRUARY, 2023

Heavy machinery being used to demolish alleged illegal structures during an anti-encroachment drive by Delhi Development Authority (DDA), at Mehrauli in New Delhi, Friday PTI

High Court orders status quo on demolition of jhuggis in Mehrauli

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: The Delhi High Court Friday directed the authorities to maintain the status quo on 400 jhuggis of a slum colony in Mehrauli, which were to be demolished during the day.

The high court listed the matter for further hearing on February 14 noting that the counsel for the authorities, including Delhi Urban Shelter Improvement Board (DUSIB) and Delhi Development Authority (DDA), did not have complete instructions today.

"In light of the averments made in the petition that Ghosiya Slum Colony is a jhuggi cluster duly enlisted in the list published by DUSIB on its official website, which records 400 jhuggis, as also the 2015 policy and the fact that the respondents do not have instructions in the matter, the respondents are directed to maintain status quo with respect to the 400 jhuggis verified by DUSIB, until the next date of hearing," Justice Manpreet Pritam Singh Arora said.

The DDA, on Friday, started a demolition drive in the Mehrauli area amid police security.

Locals claimed that some two and three-storeyed buildings near Aulia Masjid at Andehria More and some shanties were demolished in the morning during the drive.

The land on which the alleged encroachment was done belonged to multiple agencies including DDA, Waqf Board, and Archaeological Survey of India (ASI), it has been claimed.

According to the demolition notice, the land on which the demolition is being carried out is a part of the Mehrauli Archaeological Park and the 'existing unauthorised encroachment' is acting as a hindrance to the development of the park.

Meanwhile, the high court in a separate petition also directed the authorities to maintain the status quo regarding a particular building in Mehrauli village which the plea claimed was not mentioned in the demolition order.

However, the plea said that the demolition action was being proposed in this 'khasra' as well which was contrary to the demolition order of December 12, 2022.

"In view of the fact that Khasra no. 1151/3 min finds no mention in the demolition order dated December 12, 2022, it is directed that status quo be maintained with respect to the subject property, until the next date of hearing. This court has not examined the issue on merits ," the judge said while listing the plea for hearing on February 16.

AAP lashes out at BJP

NEW DELHI: Lashing out at the BJP over a demolition drive launched by the Delhi Development Authority (DDA) in Mehrauli here, the AAP on Friday alleged the saffron party is taking revenge from people for not voting for it in assembly and MCD polls.

The BJP is acting like the British, who demolished houses of those who supported freedom fighters during the mutiny of 1857, the AAP charged, adding that it would move court against the DDA action.

On the other hand, the BJP demanded a probe as to how registries of buildings constructed on encroached government land were done.

The DDA comes under the BJP-led government at the Centre. The agency started the demolition drive in Mehrauli earlier on Friday amid police security.

According to the demolition notice, the land on which the demolition is being carried out is a part of the Mehrauli Archaeological Park and the "existing unauthorised encroachment" is acting as a hindrance to the development of the park. MPOST

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

अतिक्रमण हटाओ अभियान पहले दिन के विरोध-प्रदर्शनों के बावजूद डीडीए ने शनिवार को भी बड़ी संख्या में जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई की

दूसरे दिन भी चला महरौली में डीडीए का बुलडोजर

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी) : दिल्ली में लगातार दूसरे दिन दिल्ली विकास प्राधिकरण की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। पहले दिन के विरोध-प्रदर्शनों के बावजूद डीडीए ने शनिवार को भी बड़ी संख्या में जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई की। डीडीए के अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि एक दिन पहले महरौली पुरातत्व पार्क क्षेत्र में अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान लगभग 1,200 वर्ग मीटर सरकारी भूमि को फिर से हासिल किया गया था। स्थानीय लोगों के विरोध के बीच दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने शनिवार को लगातार दूसरे दिन महरौली इलाके में अतिक्रमण विरोधी अभियान जारी रखा।

पहले दिन के अभियान के दौरान लगभग 1200 वर्ग मीटर सरकारी भूमि को फिर से किया हासिल

अनधिकृत, अवैध कब्जा हटाने व महरौली पुरातत्व उद्यान को अतिक्रमण से सुरक्षित करने की कार्रवाई

महरौली पुरातत्व पार्क क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान अवैध निर्माण को तोड़ती जेसीबी।

लोगों ने कहा, कोई नोटिस नहीं दिया... अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान मौके पर बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए थे। स्थानीय निवासियों ने कहा कि डीडीए ने अंधेरिया मोड़ स्थित औलिया मस्जिद के पास दो तीन मंजिला इमारतों को झोपड़ियों सहित गिरा दिया था। बृजवासी के आम बाग में डीडीए की जमीन पर अवैध तरीके से कई तीन और चार मंजिला ढांचों का निर्माण किया गया था। वहीं लोगों का कहना है कि उन्हें डीडीए की ओर से कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई। डीडीए अधिकारियों की एक संयुक्त टीम ने शुक्रवार को घोसिया स्लम कॉलोनी में एक अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया था। डीडीए ने बृजवासी कॉलोनी और सी-ब्लॉक में एक इमारत को भी ध्वस्त कर दिया और अन्य को आंशिक रूप से हटा दिया। ये क्षेत्र महरौली पुरातत्व पार्क के करीब स्थित है। यहां की कुछ जमीन डीडीए की है, जबकि कुछ अन्य हिस्सों पर पिछले एक दशक में इमारतें और झुग्गियां बनी हैं, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और वक्फ बोर्ड के स्वामित्व में हैं।

जब फ्लैट बन रहे थे तब कहां था डीडीए... डीडीए की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि जिस जमीन पर यह घर बने हैं, वह महरौली पुरातत्व पार्क का हिस्सा है। पर्ल रेजिडेंसी में रहने वाले गगनदीप ने कहा कि सोसायटी का निर्माण 2020 में पूरा हुआ और हमने 2021 में फ्लैट खरीदा। जब फ्लैट बन रहे थे, उन सालों में डीडीए कहां था? जब हमने प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराई और म्यूनिसिपल टैक्स भरा, तब भी हमें किसी ने कुछ नहीं बताया तो इसमें हमारी गलती नहीं हो सकती।

हाईकोर्ट के आदेश पर चल रहा अतिक्रमण हटाओ अभियान...

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी) : दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 10 फरवरी से महरौली पुरातत्व पार्क में पड़ने वाले लाडो सराय गांव में सरकारी भूमि पर अनाधिकृत अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया है, जिसमें एएसआई स्मारकों को संरक्षित किया जा रहा है। इसको लेकर बढ़ते विवाद को देखते हुए एलजी सचिवालय से स्पष्टीकरण दिया गया है। राजनिवास से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि हाईकोर्ट के निर्देश पर डीडीए की उपस्थिति में सीमांकन कर राजस्व विभाग अवैध अतिक्रमण हटाने के अभियान पर काम कर रहा है। वक्फ बोर्ड के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में इस पर दिसंबर 2021 से ही काम चल रहा था। प्रतिष्ठित कुतुब मीनार से सटा यह पार्क एएसआई, जीएनसीटीडी के राज्य पुरातत्व विभाग और डीडीए के संरक्षण में लगभग 55 ऐतिहासिक धरोहर हैं। 12 दिसंबर 2022 को डेमोलिशन ऑर्डर जारी होने के बाद विवादित भूमि पर मौजूद अतिक्रमणों को चिन्हित करने के साथ आदेश की कापियां चिपकाकर 10 दिनों के भीतर विवादित भूमि से सभी अनधिकृत निर्माण को हटाने का निर्देश दिया गया था। उक्त विध्वंस आदेश में शामिल भूमि लधा सराय गांव की सरकारी या डीडीए भूमि पर है और महरौली पुरातत्व पार्क का हिस्सा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कई अवसरों पर सरकारी अधिकारियों को अवैध अतिक्रमण हटाकर महरौली पुरातत्व पार्क के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को सुरक्षित, सरक्षित और संरक्षित करने का निर्देश दिया है। इसी निर्देश के आधार पर विभाग द्वारा शासकीय भूमि से अनधिकृत, अवैध कब्जा हटाने तथा महरौली पुरातत्व उद्यान को अतिक्रमण से सुरक्षित करने की कार्रवाई की जा रही है।

दिल्ली सरकार ने डीडीए को महरौली में

तोड़फोड़ रोकने के दिए निर्देश

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी) : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार डीडीए के तोड़फोड़ अभियान के शिकार हजारों दिल्लीवासियों के बचाव में उतर आई है। केजरीवाल सरकार ने डीडीए को महरौली में तोड़फोड़ अभियान को रोकने के निर्देश दिया है। डीडीए ने तोड़फोड़ अभियान के लिए राजस्व विभाग के सीमांकन का उपयोग किया था, लेकिन दिल्ली सरकार ने अपनी प्रक्रिया में गड़बड़ी मिलने पर सीमांकन को रद्द कर दिया है। राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने विवादित क्षेत्र का नए सिरे से सीमांकन कराने का आदेश दिया है। राजस्व मंत्री ने कहा है कि कब्जाधारियों को बिना कोई नोटिस दिए अंधेरे में रखकर सीमांकन किया गया है। उन्होंने जिलाधिकारी (दक्षिण) को भूमि का नए सिरे से सीमांकन करने और डीडीए को तत्काल इस बारे में सूचित करने का निर्देश दिया है। दिल्ली सरकार ने महरौली में तोड़फोड़ अभियान के इस मुश्किल समय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किया है। महरौली पुरातत्व पार्क के सीमांकन के नाम पर दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) महरौली विधानसभा क्षेत्र में तोड़ फोड़ अभियान चला रहा है। दिल्ली के राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत को इस मामले में मालवीय नगर विधायक सोमनाथ भारती और लाडो सराय गांव के निवासियों से दो आवेदन प्राप्त हुए। इनमें कहा गया कि डीडीए के पास संबंधित भूमि पर अतिक्रमण की पहचान करने के लिए दिल्ली के राजस्व विभाग का सीमांकन एकमात्र स्रोत है। राजस्व विभाग द्वारा किया गया सीमांकन अवैध और शून्य था। यह न तो कानून के अनुसार किया गया था और न ही इससे पहले प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया गया था। आवेदनों में अनुरोध किया गया था कि उक्त मामले में तत्काल संज्ञान लिया जाए और राजस्व अधिकारियों को उक्त सीमांकन प्रतिवेदन को निरस्त करने के निर्देश जारी किए जाए। इस पर संज्ञान लेते हुए राजस्व मंत्री ने तत्काल मामले को लेकर संबंधित अधिकारियों की बैठक बुलायी। बैठक में सामने आया कि विभाग ने सीमांकन प्रक्रिया के दौरान उक्त व्यक्तियों को नोटिस जारी नहीं किया था। सीमांकन के तरीके को सही नहीं बताते हुए कैलाश गहलोत ने कहा कि लाडो सराय गांव घनी आबादी वाला क्षेत्र है और गांव में मकान बहुत पुराने हैं।

नए सिरे से किया जाए सीमांकन

कैलाश गहलोत ने स्थिति को देखते हुए ग्राम लाडो सराय स्थित महरौली पुरातत्व पार्क का नए सिरे से सीमांकन करने का निर्देश जिलाधिकारी (दक्षिण) को दिया है। राजस्व मंत्री ने आदेश दिया है कि इस कवायद के दौरान जिन व्यक्तियों के प्रभावित होने की संभावना है, उन्हें निष्पक्षता और पारदर्शिता के लिए सीमांकन के दौरान उपस्थित रहने के लिए कहा जा सकता है। डीएम (दक्षिण) को डीडीए अधिकारियों को इस आदेश के बारे में तुरंत सूचित करने के लिए कहा गया है और कहा गया है कि नए सिरे से सीमांकन किया जाएगा।

महरौली में राजस्व विभाग का डीडीए को गलत सर्वे रिकार्ड देना हैरानी की बात: भाजपा

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी) : दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता जनता को गुमराह करने की कला में माहिर हैं। गत दो दिन से महरौली में एक बड़ा तोड़फोड़ अभियान दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग के सर्वे रिकार्ड के आधार पर चल रहा है और दुखद है कि अब जब दर्जनों मकान टूट गए हैं तो दिल्ली के राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत सामने आकर कह रहे हैं कि हमारे सर्वे रिकार्ड में गड़बड़ी है और हम नये सर्वे के आदेश दे रहे हैं। दिल्ली के लोग सरकार की डीडीए को गलत सर्वे रिकार्ड देने की गलती को देखकर स्तब्ध हैं जिसके कारण दर्जनों परिवारों के घर टूट गए और सैकड़ों अन्य खतरे में हैं। दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता ने कहा है कि सम्बंधित अधिकारियों को उचित सर्वे रिकार्ड उपलब्ध होने तक के लिए डिमोलिशन अभियान रोकने पर विचार करना चाहिए।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

millenniumpost
NEW DELHI | SUNDAY, 12 FEBRUARY, 2023

NAME OF NEWSPAPERS---

Ridge area acts as lungs, supplies oxygen to citizens: SC

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: Delhi Ridge acts as a lung which supplies oxygen to city residents, the Supreme Court said while directing the Delhi Development Authority not to allot any land in areas considered to be notified as protected area.

The court noted that there has been some difficulty in identifying the areas of ridge which are not notified but also have same ridge-like features.

A bench of Justice B R Gavai and Justice Vikram Nath directed the Ministry of Environment and Forest (MoEF) to form a committee consisting of a senior officer of the MoEF not below the rank of joint secretary, one representative each of the Delhi Forest Department, Geological Survey of India and DDA, and a nominee of the Ridge Management Board to work out modalities for identifying such areas which need to be protected as a notified ridge.

The MoEF officer shall be the chairman and convener of the committee which shall submit its preliminary report before the court on March 15, it said.

"It cannot be doubted that the ridge in Delhi acts as a lung which supplies oxygen to the citizens of Delhi. This court vide order dated... has observed that not only the notified ridge, but the other areas which also have morphological ridges should be protected and no construction should be permitted there on.

"It appears that there has been some difficulty in identifying the areas of ridge which are not notified but also has same features," the bench said.

It added, "We further direct that until further orders, the Delhi Development Authority (DDA) shall not allot any land in the areas which are under consideration for notified as a protected area."

The apex court's order came while allowing an application of the Directorate of Revenue Intelligence (DRI), Ministry of Finance, seeking permission for diversion of 6,200 square metres of morphological ridge area for construction of office building for DRI headquarters in Vasant Kunj. The plot of land was allotted to DRI by DDA.

The court noted that the Supreme Court-constituted panel, Central Empowered Committee (CEC), filed its report in which it has recommended permitting DRI to construct the headquarters at the site concerned subject to certain conditions.

"We are inclined to allow the application filed by DRI," the bench said while noting that the CEC has no objection in construction of the office.

Delhi govt to DDA: Stop demolition in Mehrauli

NEW DELHI: The Arvind Kejriwal government on Saturday asked the Delhi Development Authority (DDA) to stop its anti-encroachment drive in Mehrauli and announced a fresh demarcation exercise in the area, officials said.

The DDA used the revenue department's demarcation as the basis for demolition of alleged encroachments, they claimed.

Revenue Minister Kailash Gahlot has ordered a fresh demarcation exercise in Mehrauli. The minister said the residents of the area cannot be displaced until a fresh demarcation is conducted, the officials said. In a statement, Gahlot said the DDA used the revenue department's demarcation as the basis for its demolition drive but the Delhi government has struck down the demarcation after finding shortcomings in it.

"The demarcation was conducted by keeping the residents in dark and without serving any notices to them," the minister claimed. The district magistrate (South) has been asked to conduct a fresh demarcation of the land and inform the DDA about it immediately, he added.

Gahlot had received representations from the residents of Ladha Sarai village whose land falls under the demolition area, the statement said.

It was stated in the said representations that the demarcation of the land in question by the Delhi government's revenue department was the only source for the DDA to identify the encroachment, it said.

According to the representations, the demarcation carried out by the revenue department was "illegal and void ab-initio" and conducted without issuing notices to the concerned residents. "In a meeting on Friday, revenue officials admitted that before the demarcation of the Khasra numbers in question, no notice was served to the occupants of those Khasra numbers and obviously there was no participation from them at the time of the demarcation exercise," Gahlot said

The drive was carried out by the Delhi Development Authority amid police security on Friday.

Nearly 1,200 sqm of government land was reclaimed during the anti-encroachment drive in the Mehrauli Archaeological Park area a day ago, DDA officials said

All stakeholders in this exercise have been on board in the run up to it, including GNCTD. As per the DDA, it is a court mandated exercise.

DDA conducted a demarcation exercise, to identify the extent of unauthorised and illegal encroachment/construction, for the purpose of removing them, had been carried out as per direction.

MPOST

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SE

नई दिल्ली। रविवार • 12 फरवरी • 2023 | सहारा

अनधिकृत निर्माण के खिलाफ डीडीए की कार्रवाई जारी

शनिवार को महरौली में डीडीए द्वारा अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान एक इमारत को गिराते मजदूर। फोटो : प्रेट

■ नई दिल्ली (एसएनबी)।

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की दक्षिणी दिल्ली के महरौली इलाके में लाडो सराय स्थित अनधिकृत निर्माण के विरुद्ध कार्रवाई शनिवार को भी जारी रही। प्राधिकरण ने जारी बयान में उच्च न्यायालय के आदेश का जिक्र करते हुए कहा है कि सीमांकन का कार्य किया गया है। प्राधिकरण ने कार्रवाई के दौरान 1,200 वर्गमीटर जमीन अतिक्रमण से मुक्त करवा ली है। इसके बाद भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी है।

प्राधिकरण का कहना है कि यह जमीन पुरातत्व विभाग के एक पार्क का हिस्सा है। उस पार्क में 55 स्मारक हैं। यह जमीन एएसआई, जीएनसीटीडी, डीडीए एवं पुरातत्व विभाग की है। दरअसल डीडीए को इस कार्रवाई का शुक्रवार को सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं ने काफी विरोध किया था। हालांकि शनिवार को किसी तरह के विरोध की सूचना नहीं है।

- कार्रवाई के दौरान डीडीए ने मुक्त कराई 1200 वर्गमीटर जमीन
- तोड़फोड़ की कार्रवाई से पूर्व दी गई थी सूचना : डीडीए
- डीडीए की कार्रवाई का आप के नेताओं ने विरोध किया
- जमीन पर अनधिकृत निर्माण चल रहा था, उस समय डीडीए के अधिकारी चुप क्यों थे : स्थानीय लोग

डीडीए का कहना है कि अतिक्रमण हटाने से पहले वहां के निवासियों को सूचना दी गई थी और मौके पर बीते साल 12 दिसंबर को नोटिस भी चस्पा किए गए थे। प्राधिकरण का कहना है कि इस जमीन से अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी महरौली पुरातत्व विभाग की भी है। उच्च न्यायालय के आदेश पर जमीन का सीमांकन किया गया है। जीएनसीटीडी द्वारा डीडीए और वक्फ बोर्ड के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में 10 फरवरी शुक्रवार को करीब 1200 वर्ग मीटर जमीन अतिक्रमण से मुक्त कराई गई है।

आरोप है कि औलिया मस्जिद के पास की जमीन पर बड़ी संख्या में लोगों ने मकान बना लिए थे। इसमें कुछ मकान दो से तीन मंजिला भी थे। हालांकि सरकारी जमीन पर इस तरह का निर्माण डीडीए की भूमिका सवाल खड़े करता है। प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो जब इस जमीन पर अनधिकृत निर्माण चल रहा था, उस समय डीडीए के अधिकारी चुप क्यों थे। जबकि डीडीए की तरफ से जमीन को बचाने के लिए बाकायदा एक क्यूक रेस्पांस टीम (क्यूआरसी) टीम बनी हुई है, जो इस तरह के अतिक्रमरण पर नजर रखते हुए संबंधित अधिकारियों को रिपोर्ट देती है।

सरकार की गलती से दर्जनों परिवार हुए बेघर : कपूर

नई दिल्ली। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने अतिक्रमण के खिलाफ दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के अभियान का आम आदमी पार्टी (आप) द्वारा विरोध करने पर तीखी प्रतिक्रिया जताई है। उनका आरोप है कि सत्तारूढ़ पार्टी के नेता अतिक्रमण हटाने की इस कार्रवाई को लेकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत के बयान पर अफसोस जताते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार की गलती से दर्जनों मकान टूट गए हैं। भाजपा प्रवक्ता का कहना है कि राजस्व मंत्री का यह बयान सरकार की भारी लापरवाही की ओर इशारा कर रहा है। दो दिन की कार्रवाई के बाद राजस्व मंत्री का सामने आकर कहना कि हमारे रिकार्ड में गड़बड़ी है और हम नए सिरे से सर्वे कराने का आदेश दे रहे हैं। दिल्ली सरकार की इस लापरवाही से वहां के लोग गुस्से में हैं। उनका कहना है कि दिल्ली सरकार की ओर से गलत सर्वे रिपोर्ट देने की वजह से तमाम परिवार बेघर हो गए हैं। उन्होंने आग्रह किया है कि नई सर्वे रिपोर्ट आने तक अतिक्रमण के विरुद्ध इस कार्रवाई पर पुनर्विचार करने की जरूरत है।

दिल्ली सरकार ने डीडीए को महरौली में तोड़फोड़ रोकने के दिए निर्देश

■ नई दिल्ली (वार्ता)।

- जिलाधिकारी (दक्षिण) को भूमि का नए सिरे से सीमांकन करने और डीडीए को तत्काल इस बारे में सूचित करने का निर्देश

दिल्ली के राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि नए सिरे से सीमांकन किए जाने तक महरौली में रह रहे निवासियों को विस्थापित नहीं किया जा सकता है। गहलोत ने विवादित क्षेत्र का नए सिरे से सीमांकन कराने का आदेश दिया है। राजस्व मंत्री ने कहा है कि कब्जाधारियों को बिना कोई नोटिस दिए अंधेरे में रखकर सीमांकन किया गया है। उन्होंने जिलाधिकारी (दक्षिण) को भूमि का नए सिरे से सीमांकन करने और डीडीए को तत्काल इस बारे में सूचित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि नए सिरे से सीमांकन किए जाने तक महरौली में रह रहे निवासियों को विस्थापित नहीं किया जा सकता है।

उन्होंने इस मामले को लेकर संबंधित अधिकारियों की बैठक बुलायी। बैठक में सामने आया कि विभाग ने सीमांकन प्रक्रिया के दौरान उक्त व्यक्तियों को नोटिस जारी नहीं किया था। सीमांकन के तरीके को सही नहीं बताते हुए कैलाश गहलोत ने कहा कि लाडो सराय गांव घनी आबादी वाला क्षेत्र है और गांव में मकान बहुत पुराने हैं।

राजस्व मंत्री ने आदेश दिया है कि इस कवायद के दौरान जिन व्यक्तियों के प्रभावित होने की संभावना है, उन्हें निष्पक्षता और पारदर्शिता के लिए सीमांकन के दौरान उपस्थित रहने के लिए कहा जा सकता है। डीएम (दक्षिण) को डीडीए अधिकारियों को इस आदेश के बारे में तुरंत सूचित करने के लिए कहा गया है और कहा गया है कि नए सिरे से सीमांकन किया जाएगा। डीडीए ने महरौली स्थित पुरातत्व पार्क क्षेत्र में शुक्रवार को अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया जो शनिवार को भी जारी रहा।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS- पंजाब केसरी ----------DATED- 12 फरवरी, 2023

कांतिनगर : महाराणा प्रताप पार्क पहुंचे विधायक

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी) : महाराणा प्रताप पार्क कांति नगर में चल रहे सौंदर्यीकरण को लेकर गांधीनगर के विधायक अनिल बाजपेयी ने शनिवार को डीडीए के वरिष्ठ अधिकारियों को लेकर पार्क का दौरा किया। उन्होंने बताया कि इस समय पार्क में युद्धस्तर पर काम चल रहा है कम से कम 4 माह में पार्क के सौंदर्यीकरण का काम पूरा हो जाएगा। डी डी ए के निदेशक विजेंदर ने कहा कि यहां पर पार्क में बिजली का काम पूरा हो चुका है इसके बाद दीवार और घास लगने का काम शुरू हो जाएगा और एक रेन शेल्टर के काम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आरडब्ल्यूए के सदस्यों ने विधायक से शंकर नगर वाली साइड पर भी एक रेन शेल्टर बनाने का अनुरोध किया जिसे विधायक बाजपेयी ने अधिकारियों से बात कर तुरंत रेन शेल्टर बनाने को कह दिया। डी डी ए के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा अरुण मिश्रा, सचिन चौहान, दीपक जैन, ओम प्रकाश शर्मा, रिंकू गुप्ता एवं अन्य लोग मौजूद रहे।

संक्षिप्त समाचार

सांसद तिवारी ने दो पार्क जनता को किए समर्पित

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने शनिवार को डीडीए द्वारा पुनर्निर्मित गोकलपुर गांव पार्क एवं हरित पट्टी नंबर एक मंडोली पार्क को जन उपयोग के लिए समर्पित कर दिया। बरसों से वीरान पड़े दोनों भूखंडों पर निर्माण कार्य में लगभग 50 लाख रुपए की लागत आई जिनमें पाथवे, चार दिवारी का पुनर्निर्माण और सुरक्षा के लिए उसके ऊपर जाली बैठने के लिए बेंच गोकलपुर गांव के पार्क में पार्किंग एवं दोनों पार्कों में स्टील के गेट तथा पौधे लगाए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता गांव के वरिष्ठ नागरिक चंदर तोमर ने की। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष मनोज त्यागी, पूर्व जोन चेयरमैन प्रवेश शर्मा, सांसद प्रतिनिधि आनंद त्रिवेदी, गोकलपुर गांव के प्रधान चौधरी सोनू पहलवान सहित अन्य गांव निवासी मौजूद रहे। सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि सांसद बनने के बाद हमने ऐसे कई भूखंडों को पार्क के रूप में तब्दील किया जो बरसों से या तो अतिक्रमण की चपेट में थे या वीरान पड़े इन भूखंडों से प्रदूषण बढ़ रहा था। कूड़े और मलबे के ढेर में तब्दील हुए पार्कों को हमने हरे-भरे पार्क की शक्ल में तब्दील की। जीडी राठी मिल पार्क खजूर पार्क और अब यह दो वीरान पड़े पार्क इस बात के प्रमाण हैं। उन्होंने कहा कि आमजन को भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए इन पार्कों में जन सहयोग कर हरा-भरा बनाए रखने में प्रशासन की मदद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गोकलपुर पार्क में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एवं सुरक्षा के लिए गार्ड रूम के साथ-साथ बच्चों के झूले भी लगाए जाएंगे और पुलिस की नियमित गश्त के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिया जाएगा।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---------- DATED----------

THE HINDU Sunday, February 12, 2023
DELHI
City

Mehrauli: AAP govt. asks DDA to stop demolition

Delhi government orders fresh demarcation exercise in the area; BJP says 'wrong' report has resulted in loss of homes for several families; DDA says 1,200 sq m of its land reclaimed, exercise to continue

The Hindu Bureau
NEW DELHI

A day after the Delhi Development Authority (DDA) conducted a demolition drive in Mehrauli, the AAP government on Saturday said the demarcation of the particular area – an exercise carried out by its own Revenue Department – has "fallacies" and the survey report has now been struck down.

The government also ordered a fresh demarcation exercise in the area and issued a statement urging the DDA to stop the demolition drive, which continued for a second day on Saturday.

The AAP government's latest move invited criticism from the BJP, which launched a fresh attack on the former. "People of Delhi are shocked to see the callousness of the Arvind Kejriwal government in giving the DDA a wrong survey report because of which dozens of families have lost their homes and more are under the hammer," said Delhi BJP spokesperson Praveen Shankar Kapoor.

Blow by blow: Workers demolish a building during an anti-encroachment drive by the DDA in Mehrauli on Saturday. PTI

The chairman of the DDA is Central government-appointed Lieutenant-Governor V.K. Saxena, with whom the AAP government is already locked in a power tussle.

Earlier in the day, the DDA said close to 1,200 square metres of its land was reclaimed from "encroachers" on Friday and the exercise will continue.

"The Delhi High Court has, on many occasions, directed the government authorities to secure, protect and preserve the area falling under the Mehrauli Archaeological Park by removing illegal encroachments. The department is taking the action to remove the unauthorised, illegal encroachment from government land and also to secure the archaeological park from encroachment," the DDA said in an official statement.

According to the DDA, the Delhi government was also on board in the run-up to "the long-pending, court-mandated exercise". A demarcation exercise – to identify the extent of illegal encroachments for the purpose of removing them – was carried out by the Revenue Department in the presence of the DDA and Waqf Board representatives, the statement read.

Fresh demarcation

However, Revenue Minister Kailash Gahlot said officials of his department, in a meeting on Friday, admitted that occupants were not served any notice before the demarcation of the Khasra numbers [land parcel identification numbers] in question. "Obviously, there was no participation by the occupants at the time of conducting the demarcation," he said. The District Magistrate (South) has been asked to inform the DDA about this order and a fresh demarcation exercise shall again be carried out, he added.

When asked, a senior DDA official said the urban body has not received any communication in this connection. "Until then, the encroachment removal exercise will continue as planned," the official added.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS----------DATED----------

sunday pioneer
NEW DELHI | SUNDAY | FEBRUARY 12, 2023

Stop anti-encroachment drive in Mehrauli: Govt to DDA

STAFF REPORTER ■ NEW DELHI

The Arvind Kejriwal Government on Saturday asked the Delhi Development Authority (DDA) to stop its anti-encroachment drive in Mehrauli. Delhi Revenue Minister Kailash Gahlot has ordered a fresh demarcation exercise in the area. The Minister said the residents of the area cannot be displaced until a fresh demarcation is conducted.

According to the DDA, nearly 1,200 square metres of government land was reclaimed during an "anti-encroachment drive" in the Mehrauli Archaeological Park area a day ago.

The drive was carried out by the Delhi Development Authority amid police security on Friday, triggering protest from various local residents and a blame game between the AAP and the BJP. In a major development on Saturday, the Delhi Government has struck down the demarcation after finding fallacies in its process as the DDA had used Revenue Department's demarcation as basis for its demolition drive. Gahlot has ordered a fresh demarcation to be conducted in the disputed area. The Revenue Minister has noted that the demarcation has been conducted by keeping the occupants in dark, without serving any notices to them. He has directed DM (South) to conduct a fresh demarcation of the land and inform DDA regarding the same immediately. Sources said the Revenue Minister has received two representations in the matter from Malviya Nagar MLA Somnath Bharti and the residents of Ladha Sarai village whose land was falling under the demolition area.

In a statement, the DDA said a demolition drive has been started on Friday in coordination with Delhi Police for the removal of encroachment from the DDA Land of Ladha Sarai Village falling in Mehrauli Archaeological Park. This park is home to about 55 monuments under protection of ASI, State Archaeological Department of Delhi government and DDA.

Earlier the DDA said during the demolition programme on Friday, approximately 1200 sq m of government/DDA land has been reclaimed from the encroachers so far, and the exercise is on to reclaim the rest of the encroached government land for its rightful use by all citizens as a park," the DDA said.

"Earlier a demolition order dated 12.12.2022 was pasted on the encroachments existing on land along with marking with the directions to the encroachers to remove all the unauthorised construction from the land in question within 10 days. The land involved in the said demolition order is Government/DDA Land of Ladha Sarai Village and is part of Mehrauli Archaeological Park," it said.

A demarcation exercise had been carried out as per direction of the High Court in the presence of DDA and Waqf Board representatives by the Revenue Department , GNCTD in Dec. 2021. The action was taken as part of a demolition drive that will continue till March 9, officials had said on Friday. It comes a month ahead of a G20 meeting planned to be hosted at the archaeological park in south Delhi.

"The court has in the past taken note of the encroachment in the historic park in connection with multiple cases, and many people in the last few decades have built unauthorised structures, some, even five-storey or six-stores, in the area. A notice was issued last December and pasted on walls to alert people," a senior DDA official said on Friday.

According to the notice, the land on which the demolition is being carried out is part of the Mehrauli Archaeological Park and the "existing unauthorised encroachment is acting as a hindrance to the development of the Mehrauli Archaeological Park". The sprawling park is dotted with historic monuments, and while the area falls under the DDA, the heritage structures are maintained by the Archaeological Survey of India (ASI). Official sources said the ASI is also working in full swing for the G20 meet at the Mehrauli Archaeological Park, planned to be held early March.

"The High Court of Delhi has, on many occasions, directed the government authorities to secure, protect and preserve the area falling under Mehrauli Archaeological Park by removing illegal encroachment," the statement said.

"The department is taking the action to remove the unauthorised/illegal encroachment from the government land and also to secure the Mehrauli Archaeological Park from encroachment," it said. A "demarcation exercise had been carried out as per direction of the High Court" in the presence of DDA and Waqf Board representatives by the Revenue Department of Delhi in December 2021, it said.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

amarujala.com

NAME OF NEWSPAPERS नई दिल्ली | रविवार, 12 फरवरी 2023 TED-

विरोध के बीच दूसरे दिन भी चला डीडीए का बुलडोजर

महरौली के लोग बोले- अगर निर्माण अवैध तो डीडीए के अधिकारियों पर भी हो कार्रवाई, पुलिस पर फूटा पीड़ितों का गुस्सा, दिनभर जारी रहा प्रदर्शन

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। महरौली में स्थानीय निवासियों के भारी विरोध के बीच दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) का अतिक्रमण विरोधी अभियान लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा। लाधा सराय गांव के महरौली पुरातत्व पार्क में चल रही कार्रवाई के विरोध में लोगों का कहना था कि निर्माण अवैध है तो इसकी जिम्मेदारी डीडीए की है। कार्रवाई डीडीए अधिकारियों पर होनी चाहिए।

जिंदगीभर की जमा पूंजी लगाकर घर खरीदे हैं। मकान की रजिस्ट्री भी है और बैंक से लोन भी चल रहे हैं। अब अचानक बोला जा रहा है कि सब अवैध है। वहीं, दिल्ली के राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने दक्षिणी दिल्ली के जिलाधिकारी को विवादित क्षेत्र में नए सिरे से सीमांकन करने का आदेश दिया है। साथ ही, तुरंत इस बारे में डीडीए को जानकारी देने को कहा है। उनका कहना है कि डीडीए राजस्व विभाग के सीमांकन बनाकर कार्रवाई कर रहा है जिसे रद्द कर दिया गया है, जबकि डीडीए का कहना है कि यह कार्रवाई उच्च न्यायालय के आदेश पर की जा रही है और आगे भी जारी रहेगी।

घुसिया कॉलोनी में अपना घर टूटते देख लोगों के आंसू छलक आए। अमर उजाला

महरौली में शनिवार को अतिक्रमण हटाती डीडीए की टीम। अमर उजाला

नए सिरे से होगा सीमांकन

महरौली में हो रही कार्रवाई को रोकने के लिए राजस्व मंत्री ने देर शाम दक्षिणी दिल्ली के जिलाधिकारी सहित अन्य उच्च अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि डीडीए की यह कार्रवाई राजस्व विभाग के सीमांकन को आधार बनाकर किया जा रहा है। राजस्व मंत्री ने इसे तुरंत रोकने को कहा है। बैठक में राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने विवादित क्षेत्र में नए सिरे से सीमांकन करने का आदेश दिए हैं। डीडीए ने अतिक्रमण विरोधी इस अभियान में राजस्व विभाग के पूर्व में किए गए सीमांकन को आधार बनाया है। दिल्ली सरकार ने इसमें खामियां पाने के बाद इस सीमांकन को रद्द कर दिया है। उनका कहना है कि यह सीमांकन बिना किसी नोटिस के कब्जाधारियों को अंधेरे में रखकर किया गया है। उन्होंने जिलाधिकारी को आदेश दिया कि वह तुरंत नए सिरे से किए जा रहे सीमांकन के बारे में डीडीए को सूचित करें।

कोर्ट के कहने पर हो रही है कार्रवाई

डीडीए का कहना है कि शुक्रवार से शुरू हुआ अतिक्रमण विरोधी अभियान कोर्ट के कहने पर किया जा रहा है। लाधा सराय गांव की जमीन पर बना महरौली पुरातत्व उद्यान करीब 55 स्मारकों का स्थल है, जो एएसआई, जीएनसीटीडी और डीडीए के राज्य पुरातत्व विभाग के संरक्षण में हैं। अतिक्रमण पर कार्रवाई के लिए 12 दिसंबर को नोटिस चस्पा किया गया था। उच्च न्यायालय ने अतिक्रमण को हटाने के लिए कई बार निर्देश दिया है। कोर्ट के आदेश के तहत महरौली पुरातत्व उद्यान में आने वाले क्षेत्र में अतिक्रमण को हटाकर इन्हें सुरक्षित और संरक्षित किया जा रहा है। डीडीए का कहना है कि उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार दिसंबर 2021 में दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग ने डीडीए और वक्फ बोर्ड के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में सीमांकन का कार्य किया था। शुक्रवार से चल रही कार्रवाई के तहत करीब 1200 वर्ग मीटर को खाली करवाया गया है।

आप नेता लोगों को कर रहे गुमराह : भाजपा

नई दिल्ली। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने शनिवार को कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता जनता को गुमराह करने की कला में माहिर हैं। दो दिन से महरौली में एक अतिक्रमण हटाओ अभियान दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग के सर्वे रिकार्ड के आधार पर चल रहा है। दुखद है की जब दर्जनों मकान टूट गए हैं तो दिल्ली के राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत सामने आकर कह रहे हैं की हमारे सर्वे रिकार्ड में गड़बड़ी है। हम नए सर्वे के आदेश दे रहे हैं। कपूर ने कहा कि दिल्ली के लोग केजरीवाल सरकार की डीडीए को गलत सर्वे रिकार्ड देने की गलती को देखकर स्तब्ध हैं। संबंधित अधिकारियों को उचित सर्वे रिकार्ड उपलब्ध होने तक अभियान रोकने पर विचार करना चाहिए। ब्यूरो

गलत तरीके से किया सीमांकन : विधायकमहरौली से विधायक नरेश यादव ने कहा कि डीडीए की कार्रवाई में तीन से चार हजार मकान प्रभावित हो रहे हैं। इनमें से काफी घर 30 से 40 साल पुराने हैं। इस बारे में डीडीए से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सीमांकन के आधार पर कार्रवाई की है। यादव ने कहा कि डीडीए ये गलत तरीके से कर रहा है। डीडीए ने अपने क्षेत्र में दीवार बना रखी है। यह मुद्दा विधानसभा में भी उठाया गया था। ब्यूरो

विधायक और स्थानीय निवासियों ने लिखा था पत्र

राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत को मालवीय नगर विधायक सोमनाथ भारती और लाडो सराय गांव के निवासियों से दो आवेदन प्राप्त हुए। इनमें कहा गया कि डीडीए के पास संबंधित भूमि पर अतिक्रमण की पहचान करने के लिए दिल्ली के राजस्व विभाग का सीमांकन एकमात्र स्रोत है। राजस्व विभाग द्वारा किया गया सीमांकन अवैध और शून्य था। ये न तो कानून के अनुसार किया गया था और न ही इससे पहले प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया गया था।

बेटी की विदाई से पहले बेघर हुआ परिवार

नई दिल्ली। बेटी की विदाई से पहले खुशहाल परिवार बेघर हो गया है। करीब एक माह पहले कविता का पूरा परिवार खुश था, शादी की तैयारियां चल रही थीं। शादी के लिए अंबाला में जगह भी बुक कर ली गई थी। विवाह से पहले की सभी रस्में महरौली के वार्ड आठ स्थित अर्चिड अपार्टमेंट में होनी थी। इस बीच डीडीए का नोटिस पहुंच गया। इस पर पूरा परिवार परेशान है कि बेटी की शादी कैसे होगी, परिवार कहां जाएगा। शादी में शरीक होने आ रहे लोग कहां रहेंगे। दुल्हन के भाई ने बताया कि डीडीए ने परिवार को घर खाली करने को कहा है। पहली मंजिल पर परिवार रहता है, शादी की सभी तैयारियां हो गई हैं। 16 फरवरी से रस्में शुरू होनी थीं, लेकिन अब सब प्रभावित हो गया है। हम साढ़े चार साल से यहां रह रहे हैं। हमारे पास बिजली-पानी का वैध कनेक्शन है, फिर यह घर कैसे अवैध हो गया है। कविता की शादी 23 फरवरी को अंबाला में होनी है। 20 फरवरी को संगीत का कार्यक्रम है, लेकिन घर टूटने की नौबत आ गई है। ब्यूरो

मनोज तिवारी ने जनता को समर्पित किए दो पार्क

नई दिल्ली। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने शनिवार को गोकलपुर गांव स्थित पार्क व मंडोली पार्क को जन उपयोग के लिए समर्पित किया। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने वीरान पड़े दोनों भूखंडों पर निर्माण कार्य में लगभग 50 लाख रुपये की लागत से पुनर्निर्माण किया है। गोकलपुर गांव के पार्क में पार्किंग स्थल भी विकसित किया गया है। इस मौके पर मनोज तिवारी ने कहा कि हमारे आसपास हरियाली और पार्कों को विकसित किया जाएगा तो पर्यावरण की स्थिति में सुधार तो होगा ही हमें शुद्ध प्राणवायु मिलेगी और हमारा तन मन स्वस्थ होगा। इन पार्कों से शरीर में ताजगी और ऊर्जा का संचार होगा। ब्यूरो

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSP/ 13 फरवरी • 2023 राष्ट्रीय सहारा -DATED----------

महरौली में तोड़-फोड़ के खिलाफ आप के मंत्री द्वारा आदेश दिए जाने के बावजूद रविवार, जब अदालत बंद थीं, का फायदा उठाते हुए उन्होंने तोड़-फोड़ जारी रखी जैसे कि दिल्ली के लोगों ने एलजी और डीडीए को चुना हो।

सबा नकवी, पत्रकार/लेखक
@ sabanaqvi

महिला प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों पर लाल मिर्च पाउडर फेंका

■ नई दिल्ली (एसएनबी)।

■ बाद में पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया

अतिक्रमण रोधी अभियान के दौरान कुछ महिला प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों पर कथित रूप से लाल मिर्च का पाउडर फेंकने के बाद रविवार को हिरासत में ले लिया गया। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने शनिवार को एक बयान में कहा कि शुक्रवार को महरौली पुरातात्विक उद्यान इलाके में अतिक्रमण रोधी अभियान के दौरान करीब 1,200 वर्ग मीटर सरकारी जमीन वापस ली गई है।

डीडीए अधिकारी, पुलिस सुरक्षा के साथ शुक्रवार से अभियान चला रहे है। इस अभियान के विरोध में स्थानीय निवासियों ने प्रदर्शन किया । इसे लेकर आप व भाजपा) के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। रविवार को महिलाओं के एक समूह ने ध्वस्तीकरण अभियान के खिलाफ़ प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि घटनास्थल पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन पर लाठीचार्ज किया। इन आरोपों से इनकार करते हुए एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'कोई लाठीचार्ज नहीं किया गया और कोई घायल नही हुआ। वे (प्रदर्शनकारी) डीडीए कर्मियों और पुलिस के काम में बाधा डाल रहे थे। उन्होंने बताया यकि कुछ महिलाओं ने पुलिसकर्मियों पर लाल मिर्च का पाउडर फेंका और उनमें से कुछ को हिरासत में लिया गया है।

अधिकारियों ने बताया कि डीडीए का अतिक्रमण रोधी अभियान रविवार को भी जारी रहा। यह अभियान नौ मार्च तक जारी रहेगा। यह प्रदर्शन ऐसे वक्त में हो रहा है जब एक महीने बाद दक्षिण दिल्ली के पुरातात्विक उद्यान में जी20 की एक बैठक होनी है। डीडीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, अतीत में अदालत ने विभिन्न मामलों के सिलसिले में इस ऐतिहासिक उद्यान में अतिक्रमण का संज्ञान लिया है और पिछले कुछ दशकों में कई लोगों ने इस क्षेत्र में पांच-पांच, छह-छह मंजिलें मकान बना लिये है। पिछले दिसंबर में नोटिस जारी किया था और लोगों को अतिक्रमण हटाओ अभियान से वाकिफ करने के लिए दीवारों पर यह नोटिस चिपकाया गया था। डीडीए ने महरौली पुरातात्विक उद्यान में लाडो सराय गांव की डीडीए जमीन पर से अतिक्रमण हटाने के लिए दिल्ली पुलिस की मदद से शुक्रवार को अभियान शुरू किया था।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE
amarujala.com
NAME OF NEWSPAPERS- नई दिल्ली | सोमवार, 13 फरवरी 2023 --DATED----------

महिलाओं ने पुलिस पर फेंका मिर्च पाउडर

महरौली में तोड़फोड़ की कार्रवाई का विरोध, जमकर हुई नारेबाजी और नोकझोंक

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने महरौली में रविवार को भी बुलडोजर चलाया। इस दौरान डीडीए व पुलिस को स्थानीय लोगों के भारी विरोध का सामना भी करना पड़ा। कुछ महिलाओं ने पुलिसकर्मियों पर मिर्च पाउडर तक फेंक दिया। इस कारण पुलिस ने कुछ महिलाओं को हिरासत में ले लिया। पुलिस की मदद से डीडीए अब तक करीब 1200 गज भूमि पर तोड़फोड़ कर चुका है।

सुबह पुलिस व डीडीए कर्मचारियों के तोड़फोड़ के लिए आते ही महिलाओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। महिलाओं ने डीडीए व दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की, लेकिन उनकी एक नहीं चली। महिलाओं की नोकझोंक भी हुई। इस बीच कुछ महिलाओं ने पुलिसकर्मियों पर मिर्च पाउडर फेंक दिया। पुलिस ने सख्ती बरतते हुए लोगों को खदेड़ दिया।

इसके बाद डीडीए ने बुलडोजर चलाना शुरू किया। डीडीए ने करीब दो दर्जन फ्लैटों पर कार्रवाई की। इस दौरान लोगों के समर्थन में किसी भी दल का कोई नेता नहीं पहुंचा, जबकि स्थानीय लोगों को उम्मीद थी कि अब उनके मकान नहीं तोड़े जाएंगे। डीडीए का कहना है कि नौ मार्च तक तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा।

महरौली में रविवार को तोड़फोड़ के विरोध में नारेबाजी करतीं महिलाएं और निर्माण को ढहाता बुलडोजर। शुभम बंसल

1200
गज भूमि डीडीए ने अब तक खाली कराई

पुलिस ने लोगों को खदेड़ा, नौ मार्च तक जारी रहेगी निर्माण ढहाने की कार्रवाई

■ दिसंबर में चिपकाए गए थे नोटिस

आर्कियोलॉजिकल पार्क में जी 20 शिखर सम्मेलन की बैठक होगी। इससे पहले कार्रवाई पूरी की जानी है। डीडीए के अनुसार, दिसंबर में लोगों को सचेत करने के लिए दीवारों पर नोटिस चिपकाए गए थे। नोटिस के माध्यम से अवगत कराया गया था कि दस दिनों के भीतर इस भूमि से सभी अनधिकृत निर्माण को लोग हटा लें, लेकिन मगर लोगों ने नोटिस को गंभीरता से नहीं लिया।

■ आरोपियों पर कार्रवाई की जा रही है : पुलिस

दक्षिण जिला पुलिस उपायुक्त चंदन चौधरी ने बताया कि कुछ महिलाओं ने पुलिसकर्मियों पर मिर्च पाउडर फेंका था। इन महिलाओं समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। डीडीए की कार्रवाई के दौरान न तो किसी तरह का लाठीचार्ज हुआ और न ही कोई घायल हुआ है। कुछ लोगों ने मकान तोड़ने की कार्रवाई में बाधा डालने की कोशिश की थी।

मुआवजा देने की मांग उठाई

नई दिल्ली। महरौली में मकानों को तोड़ने की कार्रवाई के खिलाफ सामाजिक संगठन भी आगे आने शुरू हो गए हैं। दिल्ली ग्राम पंचायत संघ ने महरौली में फिर से सीमांकन करने के साथ-साथ तत्काल तोड़फोड़ की कार्रवाई बंद करने और प्रभावित लोगों को मुआवजा देने की भी मांग की है। इसके अलावा पंचायत संघ ने सभी राजनीतिक पार्टियों से महरौली के लोगों के साथ खड़े होने की अपील की है पंचायत संघ के प्रमुख थान सिंह यादव ने कहा कि जब कॉलोनियां बसती हैं तो शासन व प्रशासन खामोश रहते हैं।

इसके अलावा कॉलोनियों के दस्तावेज तैयार करने के दौरान भी प्रशासन की ओर से कोई खामी नहीं बताई जाती। इस कारण कॉलोनी बसने के लिए पूरी तरह शासन-प्रशासन दोषी हैं। इस कारण लोगों के मकान तोड़ने से पहले कॉलोनी बसने के जिम्मेदार व दस्तावेज को हरी झंडी देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं, पंचायत संघ के सह प्रमुख सुनील शर्मा और 360 गांव खाप के सुरेश शौकीन ने दिल्ली सरकार से मांग की कि मकानों को तोड़ने की जगह पैसे लेकर अधिकृत किया जाए। ब्यूरो

उपराज्यपाल और केंद्रीय मंत्री करें हस्तक्षेप : कांग्रेस

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। महरौली में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की कार्रवाई पर प्रदेश कांग्रेस ने केंद्र और दिल्ली सरकार पर निशाना साधा है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल कुमार ने रविवार को कहा कि एक तरफ केंद्र व दिल्ली सरकार आजादी का अमृत काल मना रहे हैं तो दूसरी तरफ डीडीए की कार्रवाई के जरिये लोगों को बेघर किया जा रहा है।

वैकल्पिक आवास प्रदान किए बगैर जेजे क्लस्टर और फ्लैटों को ध्वस्त करना अमानवीय और अवैध है। मामले में एलजी और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हस्तक्षेप करें। उन्होंने कहा कि जहां झुग्गी वहीं मकान का वादा कर केजरीवाल और भाजपा सरकार गरीबों को बेघर कर धोखा कर रहे हैं। जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार की राजीव रतन आवास योजना के तहत करीब 60 हजार फ्लैट बगैर आवंटन के हैं तो सरकार ने लोगों को बेघर करने की साजिश रची है। महरौली में तोड़े गए फ्लैटों के लिए रजिस्ट्री करवाकर हाउस टैक्स और बिजली बिल भी भरे जा रहे थे और लिफ्ट लगाने के लिए भी राजस्व विभाग व अग्निशमन विभाग से मंजूरी मिली हुई थी। अगर डीडीए और दिल्ली सरकार के अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं तो जीवन भर की बचत के पैसे से फ्लैट खरीदने वालों को क्यों दंडित किया जा रहा है।

'चुनाव हारने के बाद बदला ले रही भाजपा'

प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि एमसीडी चुनाव से ठीक पहले एक सांकेतिक समारोह में पांच परिवारों को चाबी सौंपी गई। कांग्रेस सरकार ने कालकाजी एक्सटेंशन में 3024 ऐसे फ्लैटों का निर्माण करवाया था। भाजपा ने एमसीडी चुनाव के घोषणापत्र में भी वादा किया था कि जेजे क्लस्टर के सभी निवासियों को इन-सीटू फ्लैट मुहैया कराएगी, लेकिन निगम चुनाव हारने के बाद भाजपा लोगों के खिलाफ बदले की भावना से काम कर रही है। केजरीवाल सरकार ने भी कई फ्लैटों को अभी तक आवंटित नहीं किया है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

THE HINDU
City
Monday, February 13, 2023
DELHI

Mehrauli demolitions continue; police detain women protesters

An officer said some women allegedly threw chilli powder at police personnel on Sunday, but they were later released. ANI

The Hindu Bureau
NEW DELHI

The police on Sunday said some women protesting against the ongoing anti-encroachment drive of the Delhi Development Authority (DDA) in south Delhi's Mehrauli were detained.

"We detained some [women] under Section 65 of the Delhi Police Act. The protesters were soon dispersed and the drive went on smoothly," DCP (South) Chandan Chowdhary said.

A senior officer said the detained women, who were released in the evening, allegedly threw chilli powder at police personnel. The DCP said that the concerned personnel were given medical attention.

The DDA has been carrying out the drive since Friday in areas that are part of the Mehrauli Archaeological Park where, it said, "unauthorised encroachments" have come up. The demolitions have drawn protests from local residents.

Shabnam Begum, one of the protesters and a nurse who lives in the area, however, said the police detained the wrong people. "Someone did throw chilli powder from the crowd. But the police took 4-5 women who were protesting peacefully. There were so many people in the crowd, we don't know who threw it," she said, adding that the police did not resort to violence but they forcibly "dragged the protesters" away from the area.

On Saturday, the DDA had said that nearly 1,200 square metres of its land was reclaimed from "encroachers" on Friday and that the exercise will continue in the coming days. The urban body said the "encroached" land, in Ladha Sarai village, houses nearly 55 monuments under the protection of Archaeological Survey of India, Delhi government's Department of Archaeology, and the DDA.

The Delhi government on Saturday had said the demarcation of the particular area – an exercise carried out by its own Revenue Department – had "fallacies" and the survey report has now been struck down. Ordering a fresh demarcation exercise in the area, it had urged the DDA to stop the drive.

दैनिक भास्कर
नई दिल्ली, सोमवार 13 फरवरी, 2023 | 02

महरौली में तोड़फोड़ अभियान जारी, एक्शन को लेकर लोगों का प्रदर्शन; पुलिस बल तैनात

नई दिल्ली | पिछले दो दिनों से दिल्ली के महरौली के पुरातत्व पार्क के अंतर्गत आने वाले अवैध अतिक्रमण पर चल रही दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की तोड़-फोड़ की कार्रवाई रविवार को भी जारी रही। इस दौरान लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। लोगों ने पुलिस पर लाठी चार्ज करने का भी आरोप लगाया जिसे पुलिस ने इंकार कर दिया। डीडीए के इस तोड़फोड़ की कार्रवाई पर शनिवार को दिल्ली सरकार ने भी इसका विरोध करते हुए डीडीए से डिमोलिशन ड्राइव पर रोक लगाने को कहा था। इस पर डीडीए के एक अधिकारी ने अपने बयान में कहा कि डीडीए ने उसी सीमा रेखा में अतिक्रमण कर बनाए गए निर्माण पर कार्रवाई की जिसे दिल्ली सरकार के ही राजस्व विभाग के अधिकारियों ने ही अवैध अतिक्रमण की पहचान कर दिसंबर, 2021 में डीडीए और वक्फ बोर्ड के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में दी थी।

हाई कोर्ट का है आदेश: इस तोड़-फोड़ के कार्रवाई को आम आदमी पार्टी व कांग्रेस के द्वारा राजनैतिक मुद्दा बनाने के बाद डीडीए के अधिकारियों ने बयान जारी कर कहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने कई मौकों पर सरकारी अधिकारियों को अवैध अतिक्रमण हटाकर महरौली पुरातत्व पार्क के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को सुरक्षित, संरक्षित करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट के इसी आदेश के तहत डीडीए अपने जमीन पर बने से अनधिकृत और अवैध रुप से अतिक्रमण कर बनाए गए निर्माण को हटाने तथा महरौली पुरातत्व उद्यान को अतिक्रमण से सुरक्षित करने की कार्रवाई कर रहा है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS-------------------------------DATED-------------------

महरौली में लगातार तीसरे दिन भी चला डीडीए का पीला पंजा

हाईकोर्ट से स्थगन के बावजूद अभियान पर जताई गई नाराजगी

आरोपों का चला दौर, प्रदर्शनकारियों ने फेंकी मिर्च तो पुलिस ने किया लाठीचार्ज

प्रदर्शन के दौरान डीडीए के खिलाफ की नारेबाजी

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी) : दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा महरौली में रविवार को लगातार तीसरे दिन अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। कार्रवाई के खिलाफ स्थानीय लोगों ने विरोध भी लगातार तीसरे दिन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार और डीडीए के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

प्रदर्शनकारियों ने 'डीडीए हाय-हाय', 'तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी' जैसे नारे लगाए। वहीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख तक स्थगन आदेश के बावजूद महरौली में अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर डीडीए की खिंचाई की है। दावा किया जा रहा है कि उग्र प्रदर्शनकारियों ने धरना स्थल पर तैनात सुरक्षाकर्मियों पर लाल मिर्च पाउडर फेंके। वहीं पुलिस पर आरोप लगा कि विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। लेकिन बाद में पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी प्रदर्शनकारी पर लाठीचार्ज नहीं किया और इसमें कोई भी घायल नहीं हुआ है। पुलिस ने कहा कि स्थानीय लोगों ने डीडीए कर्मचारियों के काम में बाधा डाल रहे थे और कुछ महिलाओं ने पुलिसकर्मियों पर लाल मिर्च पाउडर भी फेंकी। उनलोगों के खिलाफ पर्याप्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं डीडीए ने आधिकारिक बयान में कहा कि उनके अभियान का उद्देश्य सरकारी भूमि पर अनधिकृत अतिक्रमण को हटाना है, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के संरक्षित स्मारक भी शामिल हैं। महरौली पुरातत्व पार्क में पड़ने वाले लाडो सराय गांव में दिल्ली पुलिस के साथ डीडीए ने शुक्रवार से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया है। अनधिकृत और अवैध अतिक्रमण हटाने का काम उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार किया गया है।

तोड़फोड़ अभियान के दौरान मिर्च पाउडर फेंक कर विरोध करती महिला।

▸▸ महरौली में तीसरे दिन जारी डीडीए के अभियान में पक्के निर्माण को तोड़ती जेसीबी।

दिसंबर में चिपकाया था नोटिस

पुरातात्विक पार्क में एएसआई, दिल्ली सरकार के राज्य पुरातत्व विभाग और डीडीए के करीब 55 स्मारक आते हैं। विगत 12 दिसंबर 2022 को अतिक्रमण कर बनाए गए घरों पर एक नोटिस चिपकाया गया था और 10 दिनों के भीतर विवादित भूमि से सभी अनाधिकृत निर्माण को हटाने का निर्देश दिया गया था।

इधर...वजीरपुर में झुग्गियों पर भी बुलडोजर से तोड़फोड़

पश्चिमी दिल्ली, (पंजाब केसरी): वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया बी-ब्लॉक में पार्वती चौक से लेकर मच्छी मार्केट तक बनी हुई झुग्गियों पर बुलडोजर चलाया गया। यह कार्रवाई डीडीए व एमसीडी द्वारा की गई। झुग्गियों में रहने वाले लोगों का कहना है कि बिना किसी पूर्व सूचना के उनके घरों को तोड़ दिया गया। वहीं आदर्श नगर जिला कांग्रेस कमेटी पूर्व प्रत्याशी व पूर्व जिलाध्यक्ष हरी किशन जिन्दल का कहना है कि नाले की सफाई की आड़ में डीडीए और एमसीडी द्वारा मिलकर झुग्गियां तोड़ी जा रही है। ऐसे में यहां रेहड़ी पटरी वाले दुकानदारों को उजाड़ा जा रहा है। जिंदल का कहना है कि इससे पहले भी अशोक विहार फेस-2 के जेलरवाला बाग व रेलवे लाईन इंडस्ट्रियल एरिया वजीरपुर में दिल्ली स्लम बोर्ड द्वारा बनाए हुए चार शौचालय ब्लॉकों को जिसमें लगभग 100 से ज्यादा शौचालय थे उनको बिना किसी सूचना व वैकल्पिक स्थान दिए असहनीय सर्दी में तोड़ दिया गया था।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS:- THE HINDU Monday, February 13, 2023 DELHI ED----------

Off track: 'No city for those who cycle to and for work'

Alisha Dutta
NEW DELHI

Lieutenant-Governor Vinai Kumar Saxena recently laid the foundation of a new track to "encourage and foster cycling among the people of the city".

However, several cyclists – both fitness enthusiasts and those for whom it is a mode of transport – say Delhi has a long way to go before becoming a safe city for them.

In 2022, the Capital's roads accounted for 182 cycling accidents, with 134 cyclists injured and 48 killed, as per data revealed by a traffic police official.

A labourer cycling in traffic on Ring Road. SHIV KUMAR PUSHPAKAR

Dalip Singh Sabharwal, an active member of Delhi's cycling community, said the infrastructure which caters only to recreational cyclists does not serve people for whom cycling is a mode of transport for economic or environmental reasons. "Cycling tracks in the city cover a very short distance and, eventually, the cyclist has to switch to the main road," he said.

Worsening traffic

Rajendra Kumar, who sells cell phone covers and other accessories near Saket metro station, has seen the traffic getting more aggressive over the past 15 years. "In the morning, I am likely to get squashed by some speeding car or a drunk driver. Later in the day, I have to risk commuting in heavy traffic."

In its 2041 Master Plan, the Delhi Development Authority acknowledges that the city has a high share of daily active travel, with 42% trips being walking and cycling ones. Over the last decade, walking trips have increased marginally, but cycling trips have reduced by nearly a third.

The lack of separate cycling tracks and heavy vehicular traffic unnerves cyclists. Mrunal Kelkar, a postgraduate student at the School of Planning and Architecture, said, "Since the bus lane is on the left and slower vehicles like cycles are also supposed to be on the left side of the road, it is quite a nightmare to cross bus stops."

Gaurav Wadhwa, a recreational cyclist who started Delhi Cyclists in 2010, said roads that do have cycling tracks in the city "are mostly encroached upon by vendors and hawkers". "If not, they are completely taken over by motorists."

In 2009, as part of attempts to provide last-mile connectivity, the Delhi government had introduced public bicycle-sharing which requires different apps to be downloaded since various companies are operational. These are not accessible to many like Rajat Singh, a key chain seller. "People in power lack the ability to imagine a city for those who cycle to and for work."

the pioneer
NEW DELHI | MONDAY | FEBRUARY 13, 2023

Protest against demolition at Mehrauli gets nasty on 3rd day

STAFF REPORTER ■ NEW DELHI

The demonstration by the local residents against the demolition drive by the Delhi Development Authority (DDA) continues for the third day in a row on Sunday in South Delhi's Mehrauli amid protests by the local residents of the area. An anti-encroachment drive turned ugly on Sunday after locals clashed with the DDA officials and police personnel.

It has also been claimed from the site that the raging protestors threw red chilli powder on the security personnel deployed at the protest site. The police also alleged that local women pelted stones at them. However, no one was hurt in the incident. According to police, some women protesters were detained on Sunday in this regard.

The agitated protestors could be heard sloganeering against the government and the DDA with slogans of "DDA haaye haaye", "Taanashahi nahi chalegi, nahi chalegi".

On Sunday, a group of women staged a protest against the demolition drive and alleged that they were lathicharged by police personnel deployed at the spot. Denying the allegations, a senior officer said, "There was no lathicharge and no one was injured. They (protesters) were obstructing the DDA personnel and the police.

Meanwhile, the Delhi Police said that suitable legal action will be taken against some women who allegedly threw red chilli powder on the police personnel. The local residents have alleged that authorities were hand in gloves when the buildings were built and now the administration had come with full force to demolish their houses. The residents, however, claim that they have got the land registered in their name after paying hefty money.

Meanwhile, AAP supremo Arvind Kejriwal on Saturday urged the Delhi Development Authority (DDA) to stop its ongoing demolition drive in Mehrauli and demanded a fresh demarcation exercise in the area, officials said.

Revenue Minister Kailash Gahlot said that residents of the Mehrauli area can't be displaced until a fresh demarcation exercise is conducted in the area. The Delhi High court on Friday pulled up the DDA over demolition in South Delhi's Mehrauli despite a stay order till the next date of hearing. The DDA has been carrying out the drive since Friday amid police security, triggering protests from local residents and a blame-game between the AAP and the BJP.

An official statement from the DDA on Saturday said that the drive is intended to clear the unauthorised encroachments on the government's land that houses protected monuments of the Archaeological Survey of India (ASI) among others was started by the DDA on Friday in co- ordination with Delhi Police at Lado Sarai in Mehrauli Archaeological Park.

Gahlot stated in his statement that the DDA has used the revenue department's demarcation as the primary tool in its demolition campaign. But the Delhi government made changes to the demarcation after finding several shortfalls in it.

The locals had no knowledge regarding demarcation, and the demolition process started without serving any notices to them, the minister said.

Earlier, a demolition order dated December 12, 2022, was pasted on the walls of illegal structures on the land along with markings with directions to the encroachers to remove all the unauthorised construction from the land in question within 10 days", it said. According to the notice, the land on which the demolition is being carried out is part of the Mehrauli Archaeological Park and the "existing unauthorised encroachment is acting as a hindrance to the development of the Mehrauli Archaeological Park".

The action was taken as part of a demolition drive that will continue till March 9, officials said on Friday. It comes a month ahead of a G20 meeting planned to be hosted at the archaeological park in south Delhi.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

millenniumpost
NEW DELHI | MONDAY, 13 FEBRUARY, 2023 ----------DATED----------

Women protesters throw chilli powder at police during DDA's demolition drive

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: Some women protesters were detained on Sunday after they allegedly threw red chilli powder on police personnel deployed during an anti-encroachment drive here, officials said.

Nearly 1,200 square metres of government land was reclaimed during the anti-encroachment drive in the Mehrauli Archaeological Park area on Friday, the Delhi Development Authority (DDA) said in a statement on Saturday.

The DDA has been carrying out the drive since Friday amid police security, triggering protests from local residents and a blame-game between the AAP and the BJP.

On Sunday, a group of women staged a protest against the demolition drive and alleged that they were lathicharged by police personnel deployed at the spot.

Denying the allegations, a senior officer said, "There was no lathicharge and no one was injured. They (protesters) were obstructing the DDA personnel and the police.

"Some women threw red chilli powder on police personnel and a few of them have been detained. Suitable legal action will be taken."

The DDA continued with the anti-encroachment exercise on Sunday.

On Friday, the urban body said, "During the demolition programme on 10.02.2023, approximately 1,200 sq m of government/DDA land has been reclaimed from the encroachers so far, and the exercise is on to reclaim the rest of the encroached government land for its rightful use by all citizens as a park."

The action was taken as part of a demolition drive that will continue till March 9, officials said on Friday. It comes a month ahead of a G20 meeting planned to be hosted at the archaeological park in south Delhi.

"The court has in the past taken note of the encroachment in the historic park in connection with multiple cases, and many people in the last few decades have built unauthorised structures, some, even five-storey or six-storey, in the area. A notice was issued last December and pasted on walls to alert people," a senior DDA official had said.

The DDA started the drive from Friday in coordination with Delhi Police to remove encroachment from its land at Ladha Sarai village in Mehrauli Archaeological Park. The park is home to about 55 monuments under protection of the Archaeological Survey of India (ASI), state archeological department of Delhi and the DDA, the authority said on Saturday.

Earlier, a demolition order dated December 12, 2022, was pasted on the walls of illegal structures on the land along with markings with directions to the "encroachers to remove all the unauthorised construction from the land in question within 10 days", it said.

According to the notice, the land on which the demolition is being carried out is part of the Mehrauli Archaeological Park and the "existing unauthorised encroachment is acting as a hindrance to the development of the Mehrauli Archaeological Park".

The sprawling park is dotted with historic monuments and, while the area falls under the DDA, the heritage structures are maintained by the ASI.

Official sources said the ASI is also working in full swing for the G20 meet at the Mehrauli Archaeological Park, planned to be held in early March.

"The High Court of Delhi has, on many occasions, directed the government authorities to secure, protect and preserve the area falling under Mehrauli Archaeological Park by removing illegal encroachment," the statement said.

"The department is taking the action to remove the unauthorised/illegal encroachment from the government land and also to secure the Mehrauli Archaeological Park from encroachment," it said.